




भारतीय संविधान-सभा

---

# भारतीय संविधान का प्रारूप



---

(हिन्दी संविधान-समिति द्वारा अनूदिन)

---

१९४८

प्रकाशक—केन्द्रीय प्रकाशन-शाखा, भारत-शासन, दिल्ली

मुद्रक—अधीक्षक, शासन-मुद्रणालय, नागपुर

THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE OF THE  
DRAFT CONSTITUTION OF INDIA

---

Shri Ghanshyam Singh Gupta—*Chairman*

*Members*

Dr Raghuvira  
Pt Hari Bhau Upadhaya  
Pt Kamapati Tripathi  
Dr Nagendra

---

FROM

THE HONOURABLE SHRI G. S. GUPTA,  
CHAIRMAN OF THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE

TO

THE HONOURABLE THE PRESIDENT,  
THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA,  
NEW DELHI

SIR,

On behalf of the Hindi Translation Committee appointed by you, I beg to submit the Hindi version of the Draft Constitution of India, as finally passed by the Committee at its meeting on the 28th May 1948. On the very first day of our meeting it was made clear to us, by you, that we were not merely to make a popular translation of the Draft Constitution but should make it, as far as it lay within our power, as accurate and precise and as authoritative as the English Draft. We were also told to choose words which are most likely to be common to the various Provinces of the Dominion of India. We have tried to adhere to these directions. But the difficulties in our way were obvious and many. We, however, embarked on this difficult task as we thought that we might serve, though imperfectly, as sappers and miners in the process of making a new road for Hindi. Up till now Hindi—in fact every other language of India—has been the vehicle of thoughts on subjects such as theology, poetry, history and the like. Owing to political reasons and the domination of a foreign power, Hindi ceased to be the vehicle of higher scientific instructions, of law and of constitutions.

2 The first step we took was to mark out technical words and phrases and fix upon suitable Hindi equivalents. This was no easy job. The words in common use in all languages are loose and do not convey precise meaning. This was more so in the case of Hindi, as Hindi has never been used for making laws and drafting constitutions. This took a considerable part of our time. In this connection, we must record our feelings of gratitude for the great help that we received from one of our colleagues, Dr Raghuvira. In fact, he has played the main part in supplying us with suitable words. But our difficulty increased because the draft constitution in English changed considerably from time to time. And after the Draft in the final form was received by us on the 26th of February 1948, the date for the first meeting of the Constituent Assembly varied from time to time.

3 I hope you would kindly permit me to say a few words to remove some common fallacies which are prevalent generally in regard to this subject. Some people think that the words in common parlance should suffice for the purpose of such drafting. This is not possible in any language. Each special subject has its specialised vocabulary and the popular language simply fails to serve the purpose. Even a first class M.A. in English would be at sea if he were asked to read a page of a book on Integral Calculus or Thermo Dynamics. This is an extreme example to illustrate my point.

When such is the case with a developed language like English, it would be absurd to think that our present popular vocabulary of Hindi (or Hindustani) can serve the purpose in any specialised branch of knowledge or administration. When we have to provide Hindi equivalents for words with fine distinctions like consent and assent, or recovery, realisation and receipt and a thousand others, the popular vocabulary simply fails. One must learn the terminology to be able to understand the subject.

4 Then there is another mistaken idea. It is generally said that we must retain English words that have become current in Hindi language. That may be very good as far as popular language is concerned. But when we go to specialised knowledge we have no alternative but to reject many of them. I will illustrate my point. Let us take the word "thermometer". It is a very common word and is understood even in villages. For ordinary parlance nobody would like to substitute "thermometer" with any new Hindi equivalent. But this "thermometer" though popular and may persist in the common man's language, will not and cannot find a place in a Hindi book on Physics. If we keep one word like "thermometer" we have to keep hundreds of its unfamiliar derivatives and compounds.

The same would apply in regard to Arabic and Persian words. We gave considerable thought to this problem. And as a result of our experience we came to the conclusion that Hindustani (fusion of Hindi and Urdu with varying degrees of Hindi and Urdu words in different localities) can remain only the spoken language of those areas. It can become also the national language of India, but in the limited sense of common man's spoken language only. The language of higher sciences of administration and law cannot be Hindustani. There is no go from the position that it can be either Hindi derived mostly from Sanskrit or Urdu derived mostly from Arabic and Persian. We cannot have both except in common parlance. To give only one example and but a few of its derivatives let us take the word "law". "Law" has to be distinguished from rules, ordinances, regulations, orders and a lot others. Its derivatives and compounds have also to be provided for. For "law" alone it is easy and desirable to adopt a current Arabic word "Qanun". But if we have to make provision for the whole series, then we must either reject the word "Qanun", howsoever current and dear it may be, or else we must adopt a lot of other words to meet our requirements. That must necessarily bring in new words of Persian and Arabic origin which are not common and have little affinity with our languages even as they are today. The word "law" has no less than about 80 derivatives and compounds, e.g., lawful, unlawful, lawless, law-abiding, law-giver, law-maker and so on and so forth. In specialised branches of knowledge and administration we must choose either Hindi based on Sanskrit or Urdu based on Arabic and Persian. We have decided in favour of Hindi for reasons which are obvious. It has one great advantage, *viz*, these words would be common to most of the languages of the Dominion of India—Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, etc. They are all of Sanskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly Telugu, Kanarese, Malayalam are highly nurtured in Sanskrit.

5 I would beg your indulgence in trying to meet another criticism, which is likely to come from persons learned in Hindi literature, with respect to the choice of words and style.

As to the choice of words, it is easy in many cases to suggest an alternative for the one accepted here. For instance we have the words "Mantri", "Sachiva" and "Amatya" in Hindi which we have to fix for Minister and Secretary. We have fixed "Mantri" for Minister and "Sachiva" for Secretary. One may as well say, why not "Sachiva" or "Amatya" for Minister and "Mantri" or "Amatya" for Secretary. On the face of it there

may not appear any reason for the choice. But in many cases the choice of words has been after due deliberation, and in a few, after hours of discussions. In this particular case we have chosen the word "Mantri" because it is on the *mantrana* (advice) of his Minister that the Governor acts, and "Sachiva" is from *Sacha*, one who is with his master.

As to the style, we would like to impress that in every language each subject has its own style. If this is borne in mind, the objection will melt. The style differs from subject to subject. Even in the English language, the style of literature is different from that of sciences and law. The style of Shakespeare is not the style of the Law of Crimes. Even in various branches of literature itself the style differs. Poetry, drama and novel have each a different style. Even the same author, when writing on different subjects, writes differently. There is a world of difference in the styles of "The History of England" and the "Indian Penal Code" both by Lord Macaulay. In the one case there is a flourish of language and in the other there is terseness. In the former different words will be used to convey the same meaning to give beauty to the language while in the latter same words must be used to convey the same sense even to the point of becoming nauseating. We are accustomed to this difference of style in the English language and, therefore, do not notice anything unusual in it. But being a new thing for Hindi we fail to appreciate it and are prone to criticise. In fact, we should realise that an altogether new road has to be built so far as Hindi is concerned. We have to make it a language of law and of law courts and also of Sciences. We have in a way to create new styles in Hindi to suit these new subjects. As a matter of fact, the subject-matter will force its own style on the language, even if we failed to do it, provided of course, that we persist in making Hindi the vehicle of subjects like Law and Constitution.

6 Faced with these difficulties and handicaps, we have tried to make the Draft as simple as could be consistent with accuracy of such a technical subject. We have gone to the length of even changing our words almost up to the last moment, to introduce what may be called words of popular use. But with all that, we must say that passages could still be pointed out, to fully understand which one has to acquire familiarity with new terms. This can easily be done by any one possessing a fair knowledge of Hindi and of course of the subject-matter.

7 We have been given the task of translating a terse document originally drafted in English and it was impossible to make it true and faithful without importing, in some degree, the spirit and atmosphere of the original, English. If, however, the original Constitution itself had been framed in Hindi, the phraseology, syntax, spirit and atmosphere would have been our own without departing in any way from the basic conceptions.

8 With these observations I beg to submit this Hindi Draft of the Constitution. We are fully aware of the difficulties and our own limitations. Nobody is so vain as to claim anything like perfection for this Draft, and we readily recognise the possibility of improvement by suitable amendments. But what we do hope and pray for is that this may well serve to fulfil your noble wish to have the first Constitution of Free India framed in Hindi. In giving vent to that sentiment, Sir, you have voiced the innermost feelings of the millions of our countrymen in the Dominion of India. We have obtained political liberty but are still labouring under the dominance of the English language. Under your wise guidance may God free us from that dominance also and the first Constitution of Free India be framed in Hindi.

9 Before I conclude I must express my gratitude to Dr Raghuvira for the invaluable help he gave in regard to terminology Shri Haribhau Upadhaya gave all attention to the work and his help has been invaluable My thanks are also due to Pandit Kamlapati Tripathi and Doctor Nagendra I have to express the appreciation of the Committee for the work done by Professor Balkrishna I have also to thank the staff of the Central Provinces Legislative Assembly for their ungrudging help Shri V K Aiyar, the Superintendent of the Government Press, Nagpur, rendered all possible help in the matter of printing and I must thank him for all that

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

G S GUPTA,

*Chairman*

तरफ से

माननीय घनश्यामसिंह गुप्त,  
सभापति,  
हिन्दी अनुवाद-समिति

सेवा में

माननीय प्रधान जी,  
भारतीय सविधान-सभा,  
नई दिल्ली.

श्रीमान् जी,

भारतीय सविधान के हिन्दी अनुवाद के लिये, आपने जो समिति बनाई थी उसकी ओर से आप की सेवा में हिन्दी सविधान का यह मसविदा पेश करता हूँ। समिति ने इसे अपनी तारीख २८ मई १९४८ की बैठक में स्वीकार कर लिया है और आप की सेवा में पेश करने का मुझे अधिकार दिया है।

हमारी पहिली बैठक में ही श्रीमान् जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा अनुवाद, केवल साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन् ऐसा हो जो कानूनी पण्डितों की जाच में उतर सके और जिस की प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि अंग्रेजी मसविदा की। श्रीमान् जी ने यह भी इंगित किया था कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली प्रायः ऐसी हो जो इस भारत-अधिराज्य (इंडियन डोमीनियन) के अन्य प्रान्तों को समान रूप से ग्राह्य हो सके। आप की इन हिदायतों को ध्यान में रखकर ही हमने अपना कार्य आरम्भ किया। हमारे मार्ग में कई कठिनाइयाँ थी जो प्रायः सबको विदित हैं। तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण में हम किसी प्रकार सफर मैना का काम दे सके। अब तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था। धर्मग्रन्थ, कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र आदि विषयों में हिन्दी का प्रयोग होता रहा। उच्च विज्ञान, विधान और सविधान का माध्यम हिन्दी नहीं रह गया था। हमारी राजनैतिक परिस्थिति के कारण वह अंग्रेजी का विशेष क्षेत्र बना हुआ था। इससे सविधान के हिन्दी अनुवाद में, जिसमें प्रामाणिकता का दावा हो सके, असाधारण कठिनाइयों का होना स्वाभाविक था।

२. पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक और विशेषार्थी अंग्रेजी शब्दों को छोटना और उनके पर्यायवाची शब्द को ढूँढना, निश्चित करना अथवा नया निर्माण करना। यह कार्य कोई आसान नहीं था। इसमें पर्याप्त समय लगा। इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयुत डा. रघुवीर जी के हम आभारी हैं। वास्तव में शब्द निर्माण का कार्य उन्हीं का कहा जा सकता है। हमारी कठिनाइयाँ इसलिये भी वहाँ कि अंग्रेजी का मसविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त बदलता गया और जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १९४८ ई. को अन्तिम प्रारूप मिला तब सविधान की आगामी बैठक की तिथि दूर नहीं समझी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ अधिक लाभ न उठा सके।

३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य अन्यत्र करने में जो आक्षेप मेरे सुनने में आये उनका यहाँ जिक्र करने के लिये आप से क्षमा चाहता हूँ। उस प्रकार के भ्रम प्रायः पाये जाते हैं, इसीलिये उनको ग्रहा दूर करना मैं उचित समझता हूँ। कुछ लोगों की समझ है कि हमारी साधारण बोलचाल की भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये। विशिष्ट ज्ञान की अथवा विधान की पुस्तकों की भाषा को समझने की क्षमता साधारण लोगों को हो सकती चाहिये। यह केवल भ्रम है। यह किसी भी भाषा में सम्भव नहीं। सभी भाषाओं में विशेष विषय की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जो साधारण बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती है। जिसने अंग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया है ऐसे विद्यार्थी को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कैलकुलस) अथवा शाकव छेद (कानिक सेकशन) सम्बन्धी अंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पृष्ठ को भी नहीं समझ सकेगा। यही बात न्यूनाधिक परिमाण में सब विषयों के लिये है। जब अंग्रेजी सरीखी समृद्ध भाषा की यह बात है तो हिन्दी के लिये यह समझना कि साधारण भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयों के ग्रन्थों को समझ सके यह अज्ञानता की बात है। जब हमें सूक्ष्म भेद रखने वाले शब्दों के लिये हिन्दी पर्याय बनाना है तो साधारण भाषा पंगु हो जाती है। यथा.—प्रोफेशन, श्याकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कार्लिगज, और एम्प्लायमेन्ट किसी विशिष्ट विषय को समझने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना होगा।



४. दूसरे प्रकार की एक और धारणा प्रायः पाई जाती है. कुछ लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को हमें रखना चाहिये. यह साधारण बोल-चाल के लिये तो ठीक है, परन्तु विशेष विषय के ग्रन्थ के लिये ठीक नहीं. वहा तो इस प्रकार के कई शब्दों को हमें छोड़ना होगा. उदाहरण के लिये “थरमामीटर” को लीजिये. “थरमामीटर” बहुत प्रचलित शब्द है जिसे गांव वाले भी जानते हैं. यह शब्द प्रयोग में आता है और बोलचाल की भाषा में आगे भी आयेगा. बोलचाल में “थरमामीटर” के स्थान में हिन्दी पर्याय के उपयोग की आवश्यकता नहीं. परन्तु भौतिक विज्ञान की पुस्तक में इससे काम न चलेगा. यदि हम इस एक “थरमामीटर” शब्द को विज्ञान की पुस्तक में रखते हैं तो उसके पचासो व्युत्पन्न और संयुक्त शब्दों को भी रखना होगा. ये पचासो शब्द हमारे सर्वथा अपरिचित हैं. यथा—“थरमल कंडिशन”.

ठीक यही बात अरबी और फारसी शब्दों की है इस विषय पर हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया और अपने अनुभव के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दुस्तानी (हिन्दी उर्दू का मिश्रण) साधारण बोलचाल की भाषा है और साधारण बोलचाल की भाषा बनी रहेगी. इससे आगे इसकी परिधि नहीं जा सकती. उच्च विज्ञान अथवा विधान की भाषा यह नहीं हो सकती. इनकी भाषा या तो हिन्दी (प्रायशः संस्कृतजन्य) या उर्दू (प्रायशः अरबी, फारसीजन्य) होगी. इसके सिवाय कोई चारा नहीं. उदाहरण के लिये “ला” शब्द को लीजिये. इसके लिये प्रचलित अरबी शब्द “कानून” है परन्तु जब हमें बोल चाल से आगे जाकर “ला, रुस्स, आरडिनेन्स, रेगुलेशन, आर्डर” आदि में भेद करने होंगे और जब ‘ला’ के पचासो तद्भव शब्द बनाने होंगे यथा “लाफूल, अनलाफूल, लालेस” आदि तब “कानून” से काम न चलेगा. एक प्रचलित शब्द “कानून” को रखने से उसके परिवार के पचासो शब्द हमें लेने होंगे जो हमारी भाषा में सर्वथा नये और अर्थहीन होंगे. तब हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि एक प्रिय शब्द “कानून” को रख कर हम अनेको नये शब्दों का अर्थहीन भार उठायेँ या कि उस एक को छोड़कर उस भार से मुक्त हो जावे और उससे भी अधिक अपनी भावी सन्तान को उस भार से मुक्त रखें. जबकि संस्कृतजन्य हिन्दी अथवा अरबी फारसीजन्य उर्दू के सिवाय तीसरा युक्तियुक्त मार्ग नहीं तो हमने स्वाभावतः हिन्दी को अंगीकार किया. इसमें एक विशेष सुविधा यह है कि भारत-अधिराज्य (इन्डियन डोमीनियन) की अन्य भाषाएं, मराठी, बंगाली, गुजराती भी संस्कृतजन्य होने के कारण, और तेलगू, कनाडी, मलयालम संस्कृत प्रचुर होने के कारण, उन प्रान्तीय भाषाओं को भी, यह शब्दावली प्रायः समान रूप से ग्राह्य होगी.

५. एक और आक्षेप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ. यह आक्षेप कुछ हिन्दी साहित्य विद्वानों की ओर से शब्दों के चुनाव सम्बन्धी तथा हिन्दी की शैली के विषय में होता है. शब्दों के चुनाव के सम्बन्ध में, किसी एक चुने हुए शब्द के स्थान में दूसरा पर्यायवाची शब्द बनाना आसान है. उदाहरण के लिये हमारी भाषा में “मन्त्री”, “सचिव” और “आमात्य” तीन शब्द हैं जिन्हें “मिनिस्टर” और “सेक्रेटरी” के लिये निर्धारित करना है. हमने “मिनिस्टर” के लिये “मन्त्री” और “सेक्रेटरी” के लिये “सचिव” रखा है. कोई यह कह सकता है कि “मिनिस्टर” के लिये “सचिव” अथवा “आमात्य” क्यों नहीं और “सेक्रेटरी” के लिये “मन्त्री” अथवा “आमात्य” क्यों नहीं रखना चाहिये. यो देखने से तो एक या दूसरा उतना ही ठीक प्रतीत होता है. परन्तु शब्दों का चुनाव प्रायः पर्याप्त विचार के पश्चात् ही किया गया है और कही कहीं तो घटो के विमर्श के बाद. अपने मिनिस्टर की मन्त्रणा से शासक (गवर्नर) का कार्य होता है, इसलिये मिनिस्टर के लिये मन्त्री रखा गया है सचा से सचिव बना है, जो अपने स्वामी के साथ रहता है इसलिये सेक्रेटरी को सचिव कहा गया है.

शैली के सम्बन्ध में यह निवेदन करना उचित होगा कि सभी भाषाओं में प्रत्येक विषय की अपनी विशेष शैली होती है. उसी भाषा में एक विषय की शैली दूसरे में उपयुक्त नहीं होती. अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य की जो शैली है वह विज्ञान की अथवा कानून की शैली नहीं. शेक्सपियर की अथवा सर वाल्टर स्काट की शैली में और दण्ड विधान की शैली में बड़ा अन्तर है. एक में तो भाषा को ललित और मनोहर बनाने के लिये उसी विचार के लिये भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है और दूसरे में उसी विचार को प्रगट करने के लिये उसी शब्द और उसी वाक्यांश का पुनः पुनः प्रयोग यहाँ तक किया जाता है कि वह कर्णकटु होने लगता है. उसी लेखक की भी भिन्न विषय की शैली भिन्न

होती है। लॉर्ड मैकाले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की शैली और इण्डियन पीनल कोड की शैली में आकाश पाताल का अन्तर है यद्यपि दोनों का लेखक वही है। अंग्रेजी में तो इस भेद के हम अभ्यस्त होने के कारण इसमें हमें अनोखापन नहीं दीखता परन्तु यही चीज हमें हिन्दी में अनोखी दीखती है और हम विधान अथवा सविधान की शैली को साहित्य की शैली से तौलने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि हिन्दी के लिये वास्तव में यह नया मार्ग है नये विषय के अनुरूप हमें कुछ नई शैली का निर्माण करना होगा जो साहित्य की शैली से कुछ भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती वास्तव में तो शैली के निर्माता लेखक नहीं होते विषय होता है और हिन्दी में विधान बनाना हम जारी रखें तो यह निश्चित है कि विधान का विषय हिन्दी में भी अपनी शैली बना लेगा, चाहे उसके प्रतिकूल हमारी कितनी भी इच्छा हो।

६ इन सब कठिनाइयों और अडचनों के अस्तित्व में, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सविधान के सवृक्ष विशिष्ट विषय की परिशुद्धता और प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार त्रुटि न आने पावे, सविधान का यह हिन्दी मसविदा जितना भी सरल बनाया जा सकता था उतना सरल बनाने का यत्न किया गया। प्रायः अन्तिम समय में भी हमने अपने निर्धारित शब्दों को बदला ताकि साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों को स्थान मिल सके परन्तु इन सब प्रयत्नों के बाद भी, हम यह नहीं कह सकते कि सविधान में ऐसे स्थान नहीं हैं जिनको पूरी तौर से समझने के लिये विशेष शब्दावली की जानकारी की आवश्यकता न हो इन शब्दों को जाने बिना यह सम्भव नहीं कि सविधान की सारी भाषा समझ में आ जावे परन्तु हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा को और विषय को जानने वाले किसी सज्जन को इन शब्दों की जानकारी सहज में ही हो सकती है।

७ मूल सविधान अंग्रेजी में बना है जो कार्य हमें दिया गया है वह उसके अनुवाद का है सविधान सरीखे गूढ़ और जटिल विषय के सच्चे और प्रामाणिक अनुवाद में, मूल भाषा अंग्रेजी की आत्मीयता सर्वथा न हो यह सम्भव नहीं है। हा यदि मूल विधान बनाने का कार्य ही हिन्दी में हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि निर्धारित विचारों को सर्वथा कायम रखते हुए भी उसमें अंग्रेजी की आत्मीयता का सर्वथा अभाव होना सम्भव था और हिन्दी का अपना निर्मल सुन्दर स्वरूप हो सकता

८ इन विचारों को व्यक्त करते हुए, सविधान का हिन्दी प्रारूप (मसविदा) आप की सेवा में उपस्थित किया जाता है उक्त कठिनाइयों के साथ साथ हम अपनी न्यूनता को भी भूलें नहीं हैं इस सविधान के लिये किसी का यह दावा नहीं कि यह सर्वथा ही निर्दोष है हम यह मानते हैं कि उपयुक्त सशोधन द्वारा इसमें सुधार होने की गुंजाइश हो सकती है परन्तु एक बात की आशा हम अवश्य करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि यह मसविदा आप के उस पवित्र संकल्प में—स्वतन्त्र भारत का सविधान हिन्दी में बनाने में—सहायक हो भारत अधिराज्य के लाखों नरनारी इस बात में आप के पीछे हैं हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता तो मिल गई है परन्तु अभी भी हम अंग्रेजी भाषा के दास बने हुए हैं आप के नेतृत्व में परमात्मा उस गुलामी से भी हमें मुक्त करे और उमका श्रीगणेश हिन्दी में सविधान का बनना हो

९. सविधान के लिये शब्दावली देने के लिये हम डा रघुवीर के उपकृत हैं, इस दिशा में उनकी सहायता बहुमूल्य रही है श्रीयुत हरीभाऊजी उपाध्याय इस कार्य में पूर्ण दत्तचित्त रहे और उनकी सहायता विशेष महत्व की रही प कमलापतिजी त्रिपाठी तथा डा नगेंद्रजी धन्यवाद के पात्र हैं प्रो वालकृष्ण जी के कार्य के लिये यह समिति अपना सन्तोष प्रकट करना चाहती है। मध्यप्रान्त और बरार की विधान-सभा के कार्यकर्ताओं ने भरसक सहायता दी उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं नागपुर सरकारी छापाखाने के अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग) श्रीयुत वी के अय्यर ने छापने के कार्य में सब प्रकार की सुविधा दी इसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

भवदीय  
विनीत सेवक,  
धनश्यामसिंह गुप्त,  
सभापति.



# भारतीय संविधान का प्रारूप

पृष्ठ

## सूची

प्रस्तावना	...	...	...	...	...	१
------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

अनुच्छेद

## भाग १

### संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा अधिकारक्षेत्र

१.	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र	...	...	...	२
२.	नये राज्यों का प्रवेशन तथा स्थापन	...	...	...	२
३.	नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों का परिवर्तन	...	...	...	२
४.	प्रथम अनुसूची के सशोधन और आनुषंगिक तथा समनुवर्ती विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधि.	...	...	...	३

## भाग २

### जानपदत्व (सिटीजनशिप)

५.	संविधान की प्रारम्भ तिथि पर जानपदत्व	...	...	४
६.	संसद् का विधि द्वारा जानपदत्व अधिकार का आनियमन	...	...	४

## भाग ३

### मूलाधिकार

#### सामान्य

७.	परिभाषा	...	...	...	५
८.	परित्राण	...	...	...	५

#### समताधिकार

९.	धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध.	...	...	५
१०.	राज्याधीन नियुक्ति में अवसर-समता	...	...	५
११.	अस्पृश्यता का अन्त	...	...	६
१२.	उपाधियों का अन्त	...	...	६
१३.	वाक्-स्वातंत्र्य आदि से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का रक्षण	...	...	६
१४.	दोष-निर्धारण विषयक रक्षण	...	...	७
१५.	प्राण, दैहिक स्वातंत्र्य और विधि के समक्ष समता का रक्षण	...	...	७
१६.	भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वातंत्र्य.	...	...	७
१७.	मानव-पणन और बलात्क्रम का वर्जन	...	...	७
१८.	बालकों के निर्माणियों आदि में सेवायोजना का वर्जन	...	...	७

#### धर्म सम्बन्धी अधिकार

१९.	विश्वास, स्वातंत्र्य तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वातंत्र्य.	...	...	८
-----	--	-----	-----	---

अनुच्छेद	पृष्ठ
२०. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध और धार्मिक तथा परोपकारी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, अवापन और प्रशासन का स्वातंत्र्य.	८
२१. विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति तथा संधारण के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातंत्र्य.	८
२२. कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने के विषय में स्वातंत्र्य.	८
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	
२३. अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण	९
साम्पत्तिक अधिकार	
२४. सम्पत्ति का अनिवार्य अवापन                    ...                    ...                    ...	९
सावधानिक उपचाराधिकार	
२५. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के उपचार                    ...	९
२६. इस भाग द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का बलों की प्रयुक्ति की अवस्था में संपरिवर्तन करने की संसद् की शक्ति.	१०
२७. इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान                    ...	१०
८                    भाग ४	
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त	
२८. परिभाषा                    ...                    ...                    ...                    ...	११
२९. इस भाग में वर्णित सिद्धान्तों की प्रयुक्ति                    ...                    ...	११
३०. लोक-हित-वृद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा                    ...	११
३१. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ सिद्धान्त                    ...                    ...	११
३२. कुछ अवस्थाओं में कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहाय्याधिकार.	११
३३. कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं का तथा प्रसूति साहाय्य का प्रावधान.	११
३४. कर्मकारियों के लिये निर्वाह-भृत्ति आदि                    ...                    ...	१२
३५. जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार सहिता                    ...	१२
३६. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान                    ...                    ...	१२
३७. अनुसूचित जातियों, आदिवासी जातियों तथा अन्य दुर्बल भागों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि.	१२
३८. आहार-पोषण-तल और जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.	१२
३९. राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, आस्मारकों का रक्षण, परिरक्षण तथा संधारण.	१२
४०. अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशंकाता का प्रवर्तन-रक्षण                    ...	१२

## भाग ५

## सघ

## अध्याय १ — अधिशासन

## प्रधान तथा उपप्रधान

४१.	भारत का प्रधान	...	...	...	१३
४२.	सघ की अधिशासी शक्ति	.	.	...	१३
४३.	प्रधान का निर्वाचन	..	..	...	१३
४४.	प्रधान के निर्वाचन की रीति	.	...	..	१३
४५.	प्रधान की पद-अवधि	..	..	...	१४
४६.	पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता	.	.	...	१४
४७.	प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यताएँ	.	..	...	१४
४८.	प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध	..	.	...	१५
४९.	पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न अथवा उसके प्रकार्य निर्वाहक के लिये निश्चयोक्ति अथवा शपथ.				१५
५०.	प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रणाली	...	..		१५
५१.	प्रधान-पद की रिक्ति पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा आकस्मिक रिक्तिपूरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि				१६
५२.	भारत का उपप्रधान	...	..	...	१६
५३.	उपप्रधान पद-कारणात् राज्य-परिषद् की सभापति होगा	...			१६
५४.	प्रधान की अनुपस्थिति अथवा उसके पद की आकस्मिक रिक्ति के काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकार्य अथवा उसके पद के कर्तव्यो का पालन.				१६
५५.	उपप्रधान का निर्वाचन	...	..	...	१६
५६.	उपप्रधान की पदावधि	...	...	...	१७
५७.	अन्य किसी सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ प्रावधान बनाने की संसद् की शक्ति.				१८
५८.	प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय.				१८
५९.	क्षमण, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति				१८
६०.	सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार	...	...	...	१८
मन्त्रिपरिषद्					
६१.	प्रधान को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मन्त्रिपरिषद्	...			१९
६२.	मन्त्रियो सम्बन्धी अन्य प्रावधान	...	...	...	१९
भारत का महाप्राभिकर्ता					
६३.	भारत का महाप्राभिकर्ता	...	...	...	१९

## शासन-कार्य का संचालन

६४. भारत-शासन-कार्य का संचालन ... .. २०  
 ६५. प्रधान को सूचना देने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तव्य... २०

## अध्याय २.—संसद्

## सामान्य

६६. संसद् का संघटन ... .. २०  
 ६७. संसद् के आगारों की रचना ... .. २०  
 ६८. संसद् के आगारों की अवधि ... .. २२  
 ६९. संसद् के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन ... .. २२  
 ७०. आगारों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का अधिकार. २२  
 ७१. संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों का संसद् में पर्यालोचन. २२  
 ७२. आगारों विषयक मंत्रियों और महाप्राधिकारियों का अधिकार ... २२

## संसद् के अधिकारी

७३. राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति ... .. २३  
 ७४. उपसभापति की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. २३  
 ७५. उपसभापति तथा अन्य व्यक्तियों की सभापति के पद-कर्तव्यों के पालन करने की अथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्ति. २३  
 ७६. लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ... .. २३  
 ७७. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. २३  
 ७८. अध्यक्ष पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति. २४  
 ७९. सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय. २४

## कार्य-संचालन

८०. आगारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुए भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक. २४

## सदस्यों की नियोग्यताएँ

८१. सदस्यों द्वारा घोषणा ... .. २५  
 ८२. स्थानों की रिक्ति ... .. २५  
 ८३. सदस्यता के लिये नियोग्यताएँ ... .. २५  
 ८४. अनुच्छेद ८१ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुए अथवा नियोग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड. २६

अनुच्छेद

पृष्ठ

सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियों

८५.	सदस्यों के विशेषाधिकार, आदि	...	...	...	२६
८६.	सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय	...	...	...	२६

विधान कार्यप्रणाली

८७.	विधेयको के पुर स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान	...	...	...	२६
८८.	कुछ अवस्थाओं में आगारो की संयुक्त बैठक	...	...	...	२७
८९.	मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली	...	...	...	२८
९०.	मुद्रा-विधेयको की परिभाषा	...	...	...	२८
९१.	विधेयको पर अनुमति	..	...	...	२९

आर्थिक विषयों में कार्य-प्रणाली

९२.	वार्षिक आर्थिक विवरण	...	...	...	२९
९३.	ससद् में आगणना-विषयक कार्य-प्रणाली	...	...	...	३०
९४.	प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन	...	...	...	३०
९५.	व्यय के अनुपूरक विवरण	...	...	...	३१
९६.	अतिशायी अनुदान	...	...	...	३१
९७.	आर्थिक विधेयको के लिये विशेष प्रावधान	...	...	...	३१

सामान्य कार्य-प्रणाली

९८.	कार्य-प्रणाली के नियम	...	...	...	३१
९९.	ससद् में प्रयोक्तव्य भाषा	...	...	...	३२
१००.	ससद् में पर्यालोचन पर आग्रहण	...	...	...	३२
१०१	संसद् की कार्यवाहियों की न्यायालय परिपृच्छा न करेगी	...	...	...	३२

अध्याय ३.—प्रधान की विधायिनी शक्तिया

१०२.	संसद् के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश के प्रवर्तन की प्रधान की शक्ति.	...	...	...	३२
------	---	-----	-----	-----	----

अध्याय ४.—सब का न्याय-मंडल

१०३.	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संघटन	...	...	...	३३
१०४.	न्यायाधीशों के वेतन आदि	...	...	...	३४
१०५.	स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की सेवायुक्ति	...	...	...	३४
१०६.	एतदर्थ (एडहाक) न्यायाधीशों की नियुक्ति	...	...	...	३४
१०७.	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति.	...	...	...	३५
१०८.	सर्वोच्च न्यायालय का स्थान	...	...	...	३५
१०९.	सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र	...	...	...	३५
११०.	विशेष अवस्थाओं में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुनर्विचार प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार क्षेत्राधिकार.	...	...	...	३६



अनुच्छेद		पृष्ठ
१११.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से अन्य मामलों की पुनर्विचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार-क्षेत्राधिकार.	३६
११२.	कुछ अन्य मामलों में पुनर्विचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति.	३७
११३.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अभियोगों में सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था-प्रार्थना.	३७
११४.	सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि ... ..	३७
११५.	कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रदान...	३७
११६.	सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ ... ..	३८
११७.	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.	३८
११८.	सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और आदेशों का प्रवर्तन तथा प्रलेखों को प्रकट कराने आदि के आदेश.	३८
११९.	सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की प्रधान की शक्ति ...	३८
१२०.	असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे.	३८
१२१.	न्यायालय के नियम आदि ... ..	३८
१२२.	सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय.	३९
१२३.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देशों का अन्वय.	३९

#### अध्याय ५.—भारत का महाकेक्षक

१२४.	भारत का महाकेक्षक ... ..	४०
१२५.	महाकेक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ ... ..	४०
१२६.	लेखों के विषय में निर्देश देने की महाकेक्षक की शक्ति ...	४०
१२७.	अंकेक्षण प्रतिवेदन ... ..	४०

#### भाग ६

#### प्रथम सूची के भाग १ में के राज्य

#### अध्याय १.—सामान्य

१२८.	परिभाषा.	४१
------	----------	----

#### अध्याय २.—अधिशासि-वर्ग

#### शासक

१२९.	राज्यों के शासक ... ..	४१
१३०.	राज्यों की अधिशासी शक्ति ... ..	४१
१३१.	शासक का निर्वाचन ... ..	४१

अनुच्छेद		पृष्ठ
	विकल्पतः	
१३१.	शासक की नियुक्ति ... ..	४१
१३२.	शासक की पदावधि ... ..	४१
१३३.	शासक की पुनर्निर्वाचन/पुनर्नियुक्ति के लिये पात्रता ...	४२
१३४.	शासक निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें ... ..	४२
	विकल्पतः	
१३४.	शासक नियुक्त होने के लिये योग्यतायें ... ..	४२
१३५.	शासकपद के प्रतिबन्ध .. ...	४३
१३६.	पदग्रहण से पूर्व शासक अथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन करने वाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति अथवा शपथ	४३
१३७.	शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली ... ..	४३
१३८.	विशेष सम्भाव्यताओं में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान) की शक्ति.	४४
१३९.	शासक-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका सघटनार्थ निर्वाचन) समय.	४४
१४०.	शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका सघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय.	४४
१४१.	क्षमण आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन करने की शासक की शक्ति.	४४
१४२.	राज्यों की अधिशासी शक्ति का विस्तार ... ..	४४
	मन्त्रि-परिषद्	
१४३.	शासक को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद् ...	४५
१४४.	मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान ... ..	४५
	राज्य का महाधिवक्ता	
१४५.	राज्य का महाधिवक्ता ... ..	४५
	शासन-कार्य का संचालन	
१४६.	राज्य-शासन-कार्य का संचालन .. ...	४६
१४७.	शासक को सूचना देने आदि विषयक मुख्य मन्त्री के कर्तव्य ...	४६
	अध्याय ३ — राज्य का विधान-मंडल	
	सामान्य	
१४८.	प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के विधान-मंडलों का सघटन	४६
१४९.	विधान-सभाओं की रचना ... ..	४६
१५०.	विधान-परिषदों की रचना ... ..	४७
१५१.	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ... ..	४८
१५२.	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये आयु-सीमा ...	४८
१५३.	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन ...	४८

अनुच्छेद		पृष्ठ
१५४.	आगारो को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का शासक का अधिकार.	४८
१५५.	प्रत्येक सत्रारम्भ में शासक का विशेष अभिभाषण, तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयो का विधान-मंडल में पर्यालोचन.	४९
१५६.	आगारो विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ...	४९
	राज्य के विधान मंडल के अधिकारी	
१५७.	विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ... ..	४९
१५८.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पदनिष्कासन.	४९
१५९.	अध्यक्षपद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति	५०
१६०.	विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति ... ..	५०
१६१.	सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति, पदत्याग तथा पदनिष्कासन.	५०
१६२.	सभापति-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा सभापति के स्थानापन्न होने की, उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.	५०
१६३.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति तथा उपसभापति के वेतन तथा अधिदेय	५१
	कार्य-संचालन	
१६४.	आगारो में मतदान; रिक्तियों के होते हुये भी आगारो के कार्य करने की शक्ति तथा गएपूरक.	५१
	सदस्यों की नियोग्यताएं	
१६५.	सदस्यों द्वारा घोषणा ... ..	५१
१६६.	स्थानो की रिक्ति ... ..	५१
१६७.	सदस्यता के लिये नियोग्यताएं ... ..	५२
१६८.	अनुच्छेद १६५ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुये अथवा नियोग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दण्ड.	५३
	सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तिया	
१६९.	सदस्यों के विशेषाधिकार आदि ... ..	५३
१७०.	सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय ... ..	५३
	विधान-कार्यप्रणाली	
१७१.	विधेयको के पुर-स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान ...	५४
१७२.	कुछ अवस्थाओं में, विधान-परिषदो वाले राज्यों के दोनो आगारो की संयुक्त बैठक.	५४
१७३.	भुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली ... ..	५५
१७४.	भुद्रा-विधेयको की परिभाषा ... ..	५५

अनुच्छेद		पृष्ठ
१७५.	विधेयको पर अनुमति ... ..	५६
१७६.	विचारार्थ आरक्षित विधेयक .. .	५६
<b>आर्थिक विषयो में कार्यप्रणाली</b>		
१७७.	वार्षिक आर्थिक विवरण ... ..	५६
१७८.	विधान-मंडल में आगणना-विषयक-कार्यप्रणाली ..	५७
१७९.	प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन . .	५७
१८०.	व्यय के अनुपूरक विवरण . ... ..	५८
१८१.	अतिशायी अनुदान . . . . .	५८
१८२.	आर्थिक विधेयको के लिये विशेष प्रावधान - ... ..	५८
<b>सामान्य कार्यप्रणाली</b>		
१८३.	कार्यप्रणाली के नियम . . . . .	५९
१८४.	राज्यो के विधान-मंडलो में प्रयोक्तव्य भाषा ..	५९
१८५.	विधान-मंडल में पर्यालोचन पर आयत्रण . . .	५९
१८६.	विधान-मंडल की कार्यवाहियों की, न्यायालय परिपृच्छा न करेगे	५९
<b>अध्याय ४—शासक की विधायिनी शक्ति</b>		
१८७.	विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में शासक की अध्यादेश-प्रवर्तन-शक्ति.	६०
<b>अध्याय ५—गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति विषयक-प्रावधान</b>		
१८८.	गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति में शासक की शक्ति . . . . .	६०
<b>अध्याय ६—अनुसूचित और वनजाति क्षेत्र</b>		
१८९.	परिभाषाएं ... ..	६१
१९०.	अनुसूचित और वनजाति-क्षेत्रो का प्रशासन . . . . .	६१
<b>अध्याय ७.—राज्यो के उच्च न्यायालय</b>		
१९१.	उच्च न्यायालय का अर्थ ... ..	६१
१९२.	उच्च न्यायालयो का सघटन ... ..	६२
१९३.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के प्रतिबन्ध	६२
१९४.	सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानो की उच्च न्यायालयों पर प्रयुक्ति.	६३
१९५.	पद-प्रवेश से पूर्व उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशों की घोषणा	६३
१९६.	उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हुए व्यक्ति के लिये न्यायालयो में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन करने पर प्रतिषेध.	६४
१९७.	न्यायाधीशो के वेतन, आदि ... ..	६४
१९८.	अस्थायी न्यायाधीश . . . . .	६४

अनुच्छेद		पृष्ठ
१६६.	अपर न्यायाधीश ... ..	६४
२००.	सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति.	६५
२०१.	विद्यमान उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार ... ..	६५
२०२.	विशेष लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति	६५
२०३.	उच्च न्यायालयों के प्रशासन प्रकार्य ... ..	६५
२०४.	विशेष अभियोगों के वैधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को हस्तांतरण.	६६
२०५.	उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय.	६६
२०६.	उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनःसंस्थापन करने की शक्ति	६६
२०७.	उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में विस्तार अथवा अपवर्जन	६७
२०८.	राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किन्हीं राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में राज्यों के विधान-मंडलों की विधि बनाने की शक्ति पर आयंत्रण.	६७
२०९.	निर्वचन ... ..	६८
अध्याय ६.—राज्यों के मुख्याकेक्षक		
२१०.	राज्य के मुख्याकेक्षक ... ..	६८
२११.	अंकेक्षण-प्रतिवेदन .. ...	६९

### भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य

२१२.	प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन ...	७०
२१३.	स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणा-परिषद् बनाना व जारी रखना.	७०
२१४.	कुर्ग ... ..	७०

### भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

२१५.	प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, और अन्य राज्यक्षेत्रों का जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं, प्रशासन.	७१
------	--	----

### भाग ९

सघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का विभाजन

२१६.	संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार.	७२
------	--	----

अनुच्छेद	पृष्ठ
२१७ ससद्द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलो द्वारा निर्मित विधि के विषय.	७२
२१८. सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी विधान . . . . .	७२
२१९ किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की ससद् की शक्ति	७२
२२०. उच्च न्यायालयों के सस्थापन और सघटन सम्बन्धी विधान	७३
२२१ उच्च न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र और शक्तियों सम्बन्धी विधान.	७३
२२२. दीवानी और फौजदारी विषयों में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली सम्बन्धी विधान	७३
२२३ अवशिष्ट विधान-शक्ति	७३
२२४. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध में किन्हीं विषयों पर विधि बनाने की ससद् की शक्तियों पर आयन्त्रण.	७३
२२५. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति का विस्तार	७४
२२६. राष्ट्रीय हित में, "राज्य-सूची" में के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की ससद् की शक्ति	७४
२२७. जब सद्यस्कृत्यस्यिति घोषणा प्रवृत्त है तब "राज्य-सूची" में के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की, ससद् की शक्ति	७४
२२८. अनुच्छेद २२६ और २२७ के अधीन ससद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	७४
२२९. एक या अधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की ससद् की शक्ति और ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अभिग्रहण	७५
२३०. अन्ताराष्ट्रीय सविदाओं के पालनार्थ विधान . . . . .	७५
२३१. संसद् द्वारा निर्मित और राज्यों की विधानमंडलो द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	७५

#### विधायिनी शक्तियों पर आयन्त्रण

२३२. अभिस्तावों की अपेक्षाओं को केवल कार्य-प्रणाली के विषय में मानना	७५
--	----

#### अध्याय २.—प्रशासन-सम्बन्ध

##### सामान्य

२३३. सघ और राज्यों के कर्तव्य . . . . .	७६
२३४. सघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का राज्यों का कर्तव्य.	७६
२३५. विशेष अवस्थाओं में राज्यों को अधिकार-प्रदान की ससद् की शक्ति.	७६
२३६. किन्हीं राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की सघ की शक्ति.	७७

अनुच्छेद		पृष्ठ
२३७.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकारों को ग्रहण करने की, प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की शक्ति.	७७
२३८.	सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तथा न्यायिक कार्यवाहिया ...	७८
	जल-प्रदाय में हस्तक्षेप	
२३९.	जल-प्रदाय में हस्तक्षेप की शिकायते (परिदेवना) ... ..	७८
२४०.	परिदेवनाओं के निर्णय ... ..	७८
२४१.	प्रथम अनुसूची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्त-क्षेप.	७९
२४२.	न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन ... ..	८०
	अन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य	
२४३.	व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को अधिमान देने अथवा विभेद करने पर प्रतिषेध.	८०
२४४.	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर आयन्त्रण	८०
२४५.	अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति.	८१
	राज्यों के बीच सहयोग	
२४६.	अन्ताराज्य-परिषद् विषयक प्रावधान ... ..	८१
	भाग १०	
	अर्थ, सम्पत्ति, प्रसविदा और व्यवहार	
	अध्याय १.—अर्थ	
	संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन	
२४७.	निर्वाचन ... ..	८२
२४८.	“ भारत के आगम ” तथा “ राज्य के आगम ” का अर्थ ...	८२
२४९.	संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा आत्म-सात्कृत बलिया.	८२
२५०.	संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को नियोजित कर	८२
२५१.	संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत और संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित कर.	८३
२५२.	संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर अधिभार	८४
२५३.	कर जो संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित हो सके.	८४
२५४.	सन अथवा सन की बनी वस्तुओं की बलि का विभाजन . .	८४
२५५.	कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान .. ..	८४
२५६.	व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर ...	८५

अनुच्छेद		पृष्ठ
२५७	परित्राण .. ...	८५
२५८	करो तथा बलियो के आरोपण, संग्रहण और विभाजन के विषय में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से सविदा.	८५
२५९.	“शुद्ध उदय” आवि का गणन ... . . .	८६
२६०.	अर्थयोग ... ..	८६
२६१.	अर्थयोग के अभिस्ताव ... ..	८७

#### प्रकीर्ण आर्थिक प्रावधान

२६२	भारत के आगमों में से शोध्य व्यय ... ..	८७
२६३	लोक-मुद्रा के अभिरक्षण विषयक प्रावधान . . .	८७
२६४	कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपण से मुक्ति .. ...	८७
२६५	विद्युत् पर कर से मुक्ति ... ..	८७
२६६	राज्य के शासनो की सघ-कर से मुक्ति .. ...	८८
२६७	कतिपय व्ययो तथा उत्तर वेतनो के विषय में समायोजना .	८८

#### अध्याय २ — उद्धार-ग्रहण

२६८	भारत-शासन द्वारा उद्धार-ग्रहण . . . .	८९
२६९	राज्यो द्वारा उद्धार-ग्रहण ... ..	८९

#### अध्याय ३ — सम्पत्ति, प्रसविदा, देय और व्यवहार

२७०	परिसम्पत्तियो तथा ऋणो, अधिकारो तथा देयो पर उत्तराधिकार.	९९
२७१	उत्तराधिकारी के अभाव, व्यपगम अथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत सम्पत्ति	९०
२७२.	सम्पत्ति के अवापन की शक्ति ... ..	९०
२७३.	प्रसविदाएँ ... ..	९०
२७४.	व्यवहार तथा कार्यवाहिया ... ..	९०

#### भाग ११

#### सद्यस्कृत्यस्थिति-प्रावधान

२७५.	सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा ... ..	९२
२७६.	सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव ... ..	९२
२७७.	जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवर्तन में है, उसमें आगम-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानो का प्रयोग.	९२
२७८.	प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों में सावैधानिक तंत्र के असफल हो जान की अवस्था में प्रावधान	९३
२७९.	सद्यस्कृत्यस्थिति की अवधि में अनुच्छेद १३ के प्रावधानो का निलम्बन.	९४
२८०.	सद्यस्कृत्यस्थिति की अवधि में अनुच्छेद २५ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारो का निलम्बन.	९४



## भाग १२

## संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

## अध्याय १ —सेवाएं

२८१.	निर्वाचन	...	...	...	...	...	६५
२८२.	संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं के प्रतिबन्ध.						६५
२८३.	अन्तर्वर्ती प्रावधान	...	...	...	...	...	६५
अध्याय २ —लोक-सेवा-आयोग							
२८४.	संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग	...	...	...	...	...	६५
२८५.	आयोगों की रचना और कर्मचारि-वर्ग	...	...	...	...	...	६६
२८६.	लोक-सेवा-आयोगों के प्रकार्य	...	...	...	...	...	६७
२८७.	लोक-सेवा-आयोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शक्ति						६८
२८८.	लोक सेवा-आयोगों के व्यय	...	...	...	...	...	६८

## भाग १३

## निर्वाचन

२८९.	निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण निर्वाचन-आयोग में निहित होंगे.						६९
२९०.	संसद् के लिये निर्वाचन	...	...	...	...	...	६९
२९१.	राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन	...	...	...	...	...	६९

## भाग १४

## अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

२९२.	लोक-सभा में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण	...	...	...	...	...	१००
२९३.	लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान.						१००
२९४.	राज्यों की विधान-सभाओं में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण.						१००
२९५.	राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान.						१००
२९६.	सेवाओं और पदों के लिये अल्प संख्यक समुदायों के दावे	...	...	...	...	...	१०१
२९७.	विशेष सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान						१०१
२९८.	आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षण-अनुदान के लिये में विशेष प्रावधान.						१०१
२९९.	संघ और राज्यों में अल्प संख्यकों के लिये विशेष अधिकारी	...	...	...	...	...	१०१
३००.	प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित-जन जातियों के कल्याणार्थ संघ का नियन्त्रण.						१०२

अनुच्छेद		पृष्ठ
३०१.	पिछड़ी हुई जातियों की अवस्थाओं के अनुसन्धान के लिये आयोग की नियुक्ति.	१०२

## भाग १५

## प्रकीर्ण

३०२.	प्रधान और शासको की रक्षा	...	...	..	१०३
३०३.	निर्वचन, आदि	...	...	...	१०३

## भाग १६

## सविधान का संशोधन

३०४.	सविधान के संशोधन की कार्यप्रणाली	...	...	...	१०७
३०५.	अल्प सख्यको के लिये स्थानों का आरक्षण केवल १० वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसका प्रवर्तन सविधान के संशोधन से चालू न रखा जाये.				१०७

## भाग १७

## अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

३०६.	राज्य-सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में, ससद् को विधि बनाने का अस्थायी अधिकार मानो कि ये समवर्ती सूची के विषय हों.				१०८
३०७.	वर्तमान विधियों और उनके संशोधित रूपों का चालू रहना	...			१०८
३०८.	सघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाना और सघान न्यायालय में या सपरिषद् सम्राट् दे समक्ष, लम्बित कार्यवाहियों का सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाना				१०९
३०९.	इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, इसके प्रावधानों के अधीन, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का अपने अपने प्रकार्यों को करते रहना.				१०९
३१०.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान	...			११०
३११.	संघ के अस्थायी विधान-मंडल तथा प्रधान आदि के विषय में प्रावधान.				११०
३१२.	प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के अस्थायी विधान-मंडल, तथा शासक आदि के विषय में प्रावधान.				११०
३१३.	कठिनाइयों को दूर करने की प्रधान की शक्ति	...	...		१११

## भाग १८

## प्रारम्भ और विखण्डन

३१४.	प्रारम्भ	...	...	...	...	११२
३१५.	विखण्डन	...	...	...	...	११२

## अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची.—भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र	...	...	११३
द्वितीय अनुसूची—			
भाग १.—प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के शासकों के सम्बन्ध में प्रावधान.			११५
भाग २.—संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के मंत्रियों के लिये प्रावधान.			११५
भाग ३.—लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की विधान-सभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति सम्बन्धी प्रावधान.			११६
भाग ४.—सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये प्रावधान.			११६
भाग ५.—भारत के महाकेसक के सम्बन्ध में प्रावधान	...		११७
तृतीय अनुसूची—घोषणा-प्रपत्र	...	...	११८
चतुर्थ अनुसूची—प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को निर्देश			१२०
पंचम अनुसूची—अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित वन जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रावधान.			१२१
भाग १.—सामान्य	...	...	१२१
भाग २.—मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उड़ीसा राज्यों के सम्बन्ध में प्रावधान.			१२१
भाग ३.—संयुक्तप्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान	...	...	१२३
भाग ४.—पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान	...	...	१२४
भाग ५.—अनुसूचित क्षेत्र	...	...	१२५
छठी अनुसूची—आसाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान			१२७
सप्तम अनुसूची—			
सूची १.—संघ-सूची	...	...	१३६
सूची २.—राज्य-सूची	...	...	१४०
सूची ३.—समवर्ती सूची	...	...	१४४
अष्टम अनुसूची—अनुसूचित वन जातियां			
भाग १.—मद्रास	...	...	१४६
भाग २.—बम्बई	...	...	१४७
भाग ३.—पश्चिमी बंगाल	...	...	१४७
भाग ४.—संयुक्त प्रान्त	...	...	१४७
भाग ५.—पूर्वी पंजाब	...	...	१४७
भाग ६.—बिहार	...	...	१४८
भाग ७.—मध्यप्रान्त	...	...	१४८
भाग ८.—आसाम	...	...	१४९
भाग ९.—उड़ीसा	...	...	१४९



अभयं मित्रादभयममित्राद्

अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निराभयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥

# भारतीय संविधान का प्रारूप

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ता-धारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जानपदों को :

व्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ;

स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की,  
धर्म की, और उपासना की ;

समता, प्रास्थिति की और अवसर की ;

प्राप्त कराने,  
तथा उन सब में

बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की  
एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने,

के हेतु, कृतदृढसंकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में  
आज तारीख . . . . . मई १९४८ ई, को इसके द्वारा  
इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम  
(एक्ट) का रूप देते हैं, और अपने आपको अर्पण  
करते हैं.

## भाग १

## संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा अधिकारक्षेत्र

संघ का नाम  
और राज्यक्षेत्र

१. (१) भारत राज्यों का संघ होगा.

(२) राज्यों से प्रथम अनुसूची (शिड्यूल) के भाग १, २ और ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे. ५

(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) के अन्तर्गत होंगे—

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य-क्षेत्र, तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्वाप्त (अक्वायर) किये जायें. १०

नये राज्यों का  
प्रवेशन तथा  
स्थापन.

२. संसद् (पार्लमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यों का, विधि द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और अभिसमयों (टर्मज) के साथ, जिनको वह उचित समझे संघ में प्रवेशन अथवा स्थापन कर सकेगी.

नये राज्यों का  
निर्माण और  
वर्तमान राज्यों  
के क्षेत्रों, सीमाओं  
तथा नामों का  
परिवर्तन.

३. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों १५ या राज्यों के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी ;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी : २०

पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक संसद् के किसी आगार में (पुर.स्थापित न किया जायगा) न रखा जायगा सिवाय भारत-शासन के द्वारा और वह भी तब तक नहीं जब तक कि—

(क) या तो—

(१) जिस राज्य से प्रदेश अलग या अपवर्जन (एक्स्क्लूड) किया जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या ने इस विषय का अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान को न किया हो, अथवा

(२) जिस राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर विधेयक में दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पड़ता हो ३० उस राज्य के विधान-मंडल ने इस विषय में संकल्प (रिजोलूशन) पारण (पास) न किया हो ; और

(ख) जब विधेयक (बिल) में दी हुई प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर पड़ता हो जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों से भिन्न ३५ है, तो विधेयक (बिल) को (पुर स्थापित करने) रखने की प्रस्थापना

के सम्बन्धमें और उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान ने उस राज्य के विधानमंडल के विचार निश्चित रूप से न जान लिये हो, और जब ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर पड़ता हो तो उस प्रस्थापना के लिये उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो। ५

४. (१) इस सविधान के अनुच्छेद २ अथवा अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में, प्रथम अनुसूची के संशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होंगे, जो उस विधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान (इन्टीडेन्टल एंड कॉन्सीक्वेशल प्रॉविजन्स) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् (पार्लमेन्ट) १० आवश्यक समझे.

(२) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, अनुच्छेद ३०४ के प्रयोजनार्थ इस सविधान का संशोधन नहीं समझी जायगी.



जानपदत्व (सिटीजनशिप)

सविधान की  
प्रारम्भ-तिथि पर  
जानपदत्व

५. इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनको (माता पिता) में से एक भी अथवा जिसके महाजनको (महापिता के मातापिताओं) में से कोई इस सविधान द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने अप्रैल, सन १९४७ ई. के प्रथम दिवस के पश्चात् अपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य में नहीं किया है, और
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनको में से एक भी, अथवा १० जिसके महाजनको में से कोई, भारत शासन अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया एक्ट), सन १९३५ ई. (यथा मूलतः अधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, अथवा ब्रह्मदेश, लंका, अथवा मलय देश में जन्मा था और जिसका अधिवास (डोमिसाइल) इस सविधान द्वारा परिभाषित १५ भारत के राज्यक्षेत्र में है,

भारत का जानपद होगा, यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी विदेशी राज्य का जानपदत्व अर्वाप्त नहीं कर लिया है.

व्याख्या — इस अनुच्छेद के खड (ख) के पयोजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास रखने वाला समझा जायेगा —

२०

- (१) यदि उसका ऐसे राज्यक्षेत्र में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इन्डियन सक्सेशन एक्ट), सन १९२५ ई., के भाग २ के अधीन अधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के प्रावधान उस पर लागू होते, अथवा
- (२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने सण्डलाधीश २५ (डिरिक्ट मैजिस्ट्रेट) के कार्यालय में ऐसे अधिवास को अर्वाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे दी हो और उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो

ससद् का विधि  
द्वारा जानपदत्व-  
अधिकार का  
आनियमन.

६. संसद्, विधि द्वारा, जानपदत्व की अर्वाप्ति और अरवसान तथा तत्सम्बन्धी ३० अन्य सब बातों के लिये और भी प्रावधान बना सकेगी.

## भाग ३

## सूलाधिकार

## सामान्य

७. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अश्रेष्ठ न हो, तो इस भाग में "राज्य" शब्द में भारत के शासन और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक के शासन और विधान-मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तर्गत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों का समावेश है। ५

न. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से तत्पूव भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सब विधियाँ, उस मात्रा तक, शून्य होगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं।

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिसमें इस भाग द्वारा प्रदत्त १० अधिकारों का अपहरण अथवा न्यूनन होता हो और इस खंड के प्रतिकूल बनी प्रत्येक विधि प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगी।

पर इस खंड की कोई बात किसी वर्तमान विधि से पैदा हुई असमता, विपत्तियों अथवा अथवा विभेद को हटाने के लिये विधि बनाने में बाधक न होगी।

(३) इस अनुच्छेद में "विधि" शब्द में ऐसे सब अध्यादेश (ऑर्जिन्स), १५ अध्यादेश, उपविधि (बाइ-लॉ), नियम, आनियम (रगुलेशन), अधिसूचना (नोटिफिकेशन), रूढ़ि अथवा परिपाटी समाविष्ट होगी जिनका भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में विधि सदृश प्रभाव है।

## समताधिकार

६ (१) राज्य किसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रैस), २० जाति, लिंग अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

विशेषतया केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई जानपद—

(क) दुकानों, सार्वजनिक उपाहारगृहों (रेस्टोरण्ट), विश्रान्तिगृहों (होटल), २५ तथा सार्वजनिक श्राद्ध स्थानों में प्रवेश, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य-आगम से सधृत, अथवा लोक-उपयोग के लिये समर्पित कुओं, जलाशयों, सड़कों तथा लोक-समागम स्थानों के उपयोग,

सम्बन्धी किसी भी अयोग्यता, देयता (लाएबिलिटी), आयन्त्रण (रिस्ट्रिक्शन) अथवा ३० प्रतिबन्ध के अधीन न होगा।

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष प्रावधान बनाने में रुकावट न होगी।

१०. (१) सब जानपदों को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर-समता होगी।

(२) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म-स्थान अथवा ३५ इनमें से किसी के आधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये अपात्र न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी जानपद वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण (रिजर्वेशन) के लिये प्रावधान करने में कोई रुकावट न होगी।

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक सस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो।

अस्पृश्यता का अन्त

११. "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित किया जाता है. "अस्पृश्यता" अन्य किसी अयोग्यता को लागू करना विध्यनुसार दंडनीय अपराध होगा.

उपाधियों का अन्त

१२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा.  
(२) भारत का कोई जानपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार न करेगा.

(३) राज्य के अधीन लाभ-पद अथवा विश्वास-पद पर आरूढ़ कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन, कोई भेंट, परिलाभ (इमोल्यूमेण्ट), उपाधि, अथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा.

वाक् स्वातन्त्र्य आदि से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का रक्षण

१३. (१) इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब जानपदों को अधिकार होगा--

- (क) भाषण और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का ; २०
- (ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का ;
- (ग) पार्लेड (असोसिएशन) अथवा सघ (यूनियन) बनाने का ;
- (घ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अज्ञात पर्यटन का ;
- (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का , २५
- (च) सम्पत्ति के अवापन, सारण और यापन का ; और
- (छ) कोई व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यापार करने का.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क) की किसी बात से, अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, अथवा शिष्टता या शील पर आघात, या राज्य के प्राधिकार (अथॉरिटी) अथवा उसके आधार को जर्जर करने वाली किसी बात सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा. ३०

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की किसी बात से लोक-व्यवस्था के हित में उक्त खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये रुकावट न होगी. ३५

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हितों के लिये उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रण आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ड) और (च) की किसी बात से जन-सामान्य के हित में अथवा किसी आदिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग पर आयन्त्रण आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

५

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील और लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली और विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यवहार करने के लिये व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताओं का विनिधान अथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली १० किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विधि बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

१४. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उल्लंघन न करे जो अपराधारोपित क्रिया करने के समय प्रवृत्त थी और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के १५ करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था.

(२) कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिये एक बार से अधिक दंडित न किया जायेगा.

(३) किसी अपराध में कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये सवाधित न किया जायगा.

२०

१५ भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वातंत्र्य से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायगा और न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से अथवा विधियों के सम रक्षण से वंचित रखा जायेगा.

१६. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के और ससद् द्वारा बनाई २५ हुई किसी भी विधि के अधीन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम श्रावण होगा.

१७. (१) मानव-पणन और बेगार तथा अन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम वर्जित किये जाते हैं और इस प्रावधान का कोई भी अतिक्रमण विध्यनुसार दंडनीय अपराध होगा.

३०

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवा का आरोप करने में रुकावट न होगी ऐसी सेवा का आरोपण करने में प्रजाति, धर्म, जाति अथवा वर्ग के आधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा.

१८. चौदह वर्ष के कम आयु वाले किसी भी बालक को किसी निर्माणी (फैक्टरी) अथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा और न किसी और सकटास्पद ३५ सेवायोजन में लगाया जायगा.

## धर्म सम्बन्धी अधिकार

विश्वास  
स्वातन्त्र्य तथा  
धर्म के अबाध  
मानने, आचरण  
और प्रचार  
करने का  
स्वातन्त्र्य

१६. (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातन्त्र्य का तथा धर्म को अबाध रूपेण मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा.

व्याख्या.—कृपाण का धारण तथा वहन सिखजर्म के आचरण का अंग माना ५ जायगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को अवरोध, न होगा जो—

- (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वैत्तिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओं का आनियमन १० अथवा आर्यत्रण करती हो ;
- (ख) सामाजिक कल्याण अथवा सुधार के लिये हो अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के किसी वर्ग अथवा विभाग के लिये खोलती हो.

धार्मिक कार्यों के  
प्रबन्ध और  
धार्मिक तथा  
परोपकारी  
प्रयोजन के लिये  
सम्पत्ति के  
स्वामित्व, अवापन  
और प्रशासन का  
स्वातन्त्र्य

२०. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को— १५

- (क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिये संस्थाओं के स्थापन और संधारण करने का ;
- (ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का ;
- (ग) चल और अचल सम्पत्ति के अवापन और स्वामित्व का ; तथा
- (घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा.

२०

विशेष धर्म अथवा  
धार्मिक सम्प्रदाय  
की उन्नति तथा  
संधारण के लिये  
लगाये हुए कर  
के देने के सम्बन्ध  
में स्वातन्त्र्य

२१. कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये संवाधित न किया जायगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति अथवा संधारण में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो.

कुछ शैक्षिक  
संस्थाओं में  
धार्मिक शिक्षा  
अथवा धार्मिक  
उपासना में  
सम्मिलित होने  
के विषय में  
स्वातन्त्र्य

२२. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेट-फंड) से पूर्णतः संधारित किसी शैक्षिक संस्था में, राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी :

पर इस खंड की कोई बात ऐसी शैक्षिक संस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीवि अथवा प्रन्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है.

(२) राज्याभिज्ञात अथवा राज्य-प्रणीवि से सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्था में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक

उपासना में, सम्मिलित होने के लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अल्पवयस्क हो तो उसके सरक्षक ने, इसके लिये अपनी सहमति न दे दी हो।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से, किसी समुदाय अथवा सम्प्रदाय के लिये, अपने समुदाय अथवा सम्प्रदाय के विद्यार्थियों को शैक्षक सस्था के कार्यकाल के पश्चात् धार्मिक शिक्षा देने में रुकावट न होगी। ५

## सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी जानपदों के किसी विभाग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और सस्कृति है, इन के समारक्षण का अधिकार होगा। १०

(२) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी भी अल्पसख्यक वर्ग के विरुद्ध किसी राज्य सधृत शैक्षिक सस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा।

(३) (क) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत सब अल्पसख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षिक सस्थाओं के स्थापन और प्रशासन का अधिकार होगा। १५

(ख) शैक्षिक सस्थाओं को सहायता के अनुदान करने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध विभेद इसी कारण से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी अल्पसख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है।

## साम्पत्तिक अधिकार

२४. (१) कोई व्यक्ति बिना विधि-प्राधिकार के अपनी सम्पत्ति से वचित २० न किया जायेगा।

(२) कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले प्रमडल (कंपनी) में, है, ऐसी विधि के अधीन, जो ऐसी धृति अथवा अवाप्ति का प्राधिकार देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत अथवा अवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत अथवा अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविजे का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविजे की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे मुआविजे का निश्चय होना है २५

(३) इस अनुच्छेद के खड (२) की किसी बात का प्रभाव न पडेगा—

(क) किसी वर्तमान विधि के प्रावधानों पर, अथवा ३०

(ख) किसी विधि के प्रावधानों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात् कर लगाने अथवा सग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि अथवा जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिये बनाये।

## सांवैधानिक उपचाराधिकार

२५ (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के लिय सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अधिकार (गारंटी) के प्रत्याभूत किया जाता है ३५

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त अधिकारों में से किसी की भी पूर्ति कराने के लिये बन्धुपस्थापन, परमादेश, पतिबध, अधिकारपृच्छालेख, उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी। ४०

(३) ससद्, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी.

(४) इस संविधान में अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार स्थगित न किये जायेंगे. ५

इस भाग द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का बलों की प्रयुक्ति की अवस्था में सपरिवर्तन करने की ससद् की शक्ति.

२६. ससद् विधि द्वारा निश्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभूत अधिकारों को, सशस्त्रबल अथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयुक्त होने की अवस्था में, उनके निश्चय रूप से कर्तव्यों के उचित पालन करने और उन में अनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकृत किया जाये.

इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान.

२७. इस संविधान में अन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम १० अनुसूची के भाग १ और भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी और संसद् को यह शक्ति होगी कि वह—

(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के अनुसार संसद् के लिये विधान द्वारा प्रावधान करना आवश्यक है ; तथा

(ख) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ ; १५

विधि बनाये और इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विषयों के प्रावधानार्थ तथा ऐसे कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ विधि बनायेगी :

पर इस अनुच्छेद के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, अथवा इस भाग में अपराध घोषित किसी कार्य के लिये दंड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में, प्रवृत्त, कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि २० संसद् अथवा अन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा वह परिवर्तित अथवा विखंडित (रिपील्ड) अथवा सशोधित न की जाय.

## भाग ४

## राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त

२८. यदि प्रश्न से दूतरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस सविधान के भाग ३ में है

२९. इस भाग में दिये गये प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे, तथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के गालन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धान्तों का अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य होगा

३०. राज्य का प्रयत्न होगा कि, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जितना हो सके, परिणामकारी रूप में, स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन को सब संस्थाएँ अनुप्राणित हो, लोक हित-वृद्धि करे १०

३१. विशेषतः राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा--

- (१) कि नर और नारी सभी जानपदों को समान रूप में आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ,
- (२) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम अनुसेवन हो ,
- (३) कि आर्थिक व्यवस्था के चलन का ऐसा परिणाम न हो कि धन और उत्पादन-साधनों का सार्वजनिक अधिकारों को संकेन्द्रण हो ,
- (४) कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को ही समान कार्य के लिये समान वेतन मिले , २०
- (५) कि कर्मकारी पुरुषों तथा स्त्रियों की शक्ति और स्वास्थ्य का तथा बालकों के सुकुमार वयस का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत होकर जानपदों को अपने व्यय अथवा शक्ति के अननुकूल उपव्यवसायों (अवोकेशनस) में न जाना पड़े ; २५
- (६) कि बाल्यकाल और युवावस्था का विदोहन तथा आचारिक और आर्थिक परित्यजन से रक्षण हो

३२. राज्य, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा वृत्तिहीनता, वृद्धता, हातावस्था, अयोग्यावस्था तथा अन्य अनर्ह अभावस्थाओं में लोक साहाय्याधिकार का फनदायी प्रावधान करेगा. ३०

३३. राज्य, कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं तथा प्रसूति साहाय्य के लिये प्रावधान करेगा



कर्मकारियों के लिये निर्वाह-भृति आदि

३४. उपयुक्त विधान अथवा आर्थिक संघटन द्वारा अथवा, और किसी प्रकार से राज्य, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार के सब कर्मकारियों को कार्य, निर्वाह-भृति, समुचित जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग, निश्चित करने वाली कार्य की दशा, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा.

जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता

३५. भारत के साद्यन्त राज्यक्षेत्र में जानपदों के लिये राज्य, एकविध व्यवहार-संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा.

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान

३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी होगा और राज्य का प्रयत्न होगा कि इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में सब बालकों और बालिकाओं को वह चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क १० तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करे.

अनुसूचित जातियों, आदिवासी जातियों तथा अन्य दुर्बल भागों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि.

३७. राज्य, लोक के दुर्बल भागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा.

आहार-पोषण-तल और जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

३८. राज्य अपने लोगों के आहार-पोषण-तल की तथा जीवन-स्तर की १५ उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा.

राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, आस्मारकों का रक्षण, परिरक्षण तथा सधारण

३९. ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये प्रत्येक कलायुक्त अथवा ऐतिहासिक महत्त्ववाले आस्मारक अथवा स्थान अथवा वस्तु का प्रसंगानुसार बिगाडने, नाशन, अपनयन, हस्तान्तरकरण अथवा निष्कामण से रक्षण करने का तथा ऐसे सब आस्मारकों, स्थानों अथवा वस्तुओं के ससद् द्वारा २० बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षण तथा सधारण करना राज्य का कर्तव्य होगा.

अन्तराष्ट्रीय शान्ति और निःशकता का प्रवर्तन-रक्षण.

४०. राष्ट्रों के बीच, अगुप्त, न्याय्य तथा सम्मान्य सम्बन्धों का विनिधान कर के, अन्तराष्ट्रीय विधि की शान्यताओं को, राज्यों के पारस्परिक आचार के वास्तविक नियम के रूप में दृढतापूर्वक स्थापित करके तथा संगठित लोगों के आपसी व्यवहारों में न्याय-सधारण और सधिबन्धनों का पालन करके, राज्य अन्तराष्ट्रीय शान्ति और २५ निःशकता को बढ़ाएगा

## भाग ५

## संघ

## अध्याय १.—अधिशसन

## प्रधान तथा उपप्रधान

४१ भारत का एक प्रधान होगा.

५

४२ (१) संघ की अधिशासी शक्ति प्रधान में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग, इस संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा

(२) पूर्वांगामी प्राधान की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से अनियमित होगा

१०

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) किसी वर्तमान विधि द्वारा, किसी राज्य के शासन अथवा अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त कोई प्रकार्य (फक्शन्स) प्रधान को दिया जाना न समझा जायेगा ; या

(ख) ससद् द्वारा प्रधान के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा १५ प्रकार्य प्रदान में बाधा न होगी.

४३ प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक निकाय के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) ससद् के दोनों आंगारों के सदस्य, तथा

(ख) राज्यों के विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य

२०

होंगे

४४ (१) जहां तक व्यवहार्य हो, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधान की माप-धेणी में एकरूपता होगी

(२) ऐसी एकरूपता करने के लिये ससद् तथा प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकारी है उसकी २५ सख्या आगामी रीति से निश्चित की जायेगी —

(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक सहस्र के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसख्या को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों की समस्त सख्या से भाग देने से आये ,

३०

(ख) एक सहस्र के उक्त गुणितो को लेने के पश्चात् यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की सं , म एक और जोड़ दिया जायेगा ;

(ग) संसद् के किसी आगार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो इस खंड के उपखंड (क) तथा (ख) द्वारा राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त मत-संख्या को इन सदस्यों की समस्त संख्या के भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को बढ़ा कर एक गिना जायेगा ५ और अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जायेगी।

(३) प्रधान का निर्वाचन एकल सक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान रीति के अनुसार होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका (बैलट) द्वारा होगा।

व्याख्या.—यदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस अनुच्छेद में “किसी राज्य के विधान-मंडल” से विधान मंडल का अवर आगार अभिप्रेत है, तथा “जन-संख्या” १० से अन्तिम पूर्ववर्ती जन-गणना में निश्चित की गई जन-संख्या अभिप्रेत है।

प्रधान की पद-  
अवधि

४५. प्रधान अपने पद-प्रवेश तिथि से पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

पर—

(क) प्रधान राज्य-परिषद् के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को १५ स्वोदित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद ५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ; २०

(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा।

पुनर्निर्वाचन के  
लिये पात्रता।

४६. कोई व्यक्ति, जो प्रधान के पद पर है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

प्रधान निर्वाचित  
होने के लिये  
योग्यताएँ

४७ (१) कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि २५ वह—

(क) भारत का जानपद न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, और

(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो।

(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, ३० अथवा उक्त शासनो में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ केवल इसी लिये न समझा जायेगा कि —

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का सत्री है ; अथवा ३५

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उत समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार है, वहां विधान-मंडल के अवरआगार के प्रति उत्तरदायी है, और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, ५ तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं

४८ (१) प्रधान न तो समूह का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि सभ का अध्यक्ष किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य प्रधान निर्वाचित हो जाये तो वह समझा जायेगा कि उसने सभ का प्रथम उस विधान मंडल का, जैसी कि स्थिति हो, अपना स्थान, प्रधान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया है १०

(२) प्रधान, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति ग्रहण न करेगा.

(३) प्रधान के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय (अलाउन्स) दिये जायेंगे जो सभ विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न हों तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे १५

(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि में घटायें न जायेंगे.

४९ प्रत्येक प्रधान, और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधान का स्थानापन्न है अथवा उसके प्रकार्यों को करता है, अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निम्न निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात्—

✓ “मैं, अमुक, सम्भारतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) २० हूँ कि मैं सच्चे हृदय से भारत के प्रधान पद का निष्पादन (अथवा प्रधान के प्रकार्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी उत्कृष्टतम योग्यता से सविधान और निधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं अपने को भारत की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊँगा”

५० (१) सविधान के अतिक्रमण के लिये, जब प्रधान का प्राभियोग करना २५ हो, तब दोषारोप का पुरोधान, सभ का कोई एक आगार करेगा.

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक सकल्प के रूप में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जिस पर उस आगार के तीस से अन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस ३० सकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस सकल्प का समर्थन, उस आगार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून सहमत न किया हो

(३) जब दोषारोप का पुरोधान सभ के किसी आगार द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा आगार उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा ३५ और इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार होगा.

(४) यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का अनुसंधान करने या कराने वाले आगार के सदस्यों की समस्त संख्या की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण तिथि से, प्रधान का अपने पद से निष्कासन होगा.

५

प्रधान-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा आकस्मिक रिक्तिपूरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

५१. (१) प्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन, अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और हर अवस्था में छ-मास बीतने के पहले किया जायगा; और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद ४५ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पदधारण करने का अधिकारी होगा.

१०

भारत का उपप्रधान

५२. भारत का एक उपप्रधान होगा.

उपप्रधान पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा

५३. उपप्रधान अपने पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा और अन्य किसी परिलाभ का पद अथवा स्थिति धारण न करेगा :

१५

पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न होता है अथवा इस संविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य परिषद् के सभापति-पद के कर्तव्यों को न करेगा.

प्रधान की अनुपस्थिति अथवा उसके पद की आकस्मिक रिक्ति के काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकार्य अथवा उसके पद के कर्तव्यों का पालन

५४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से पद-रिक्ति की अवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा जब तक कि इस अध्याय के ऐसी रिक्ति-पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे.

२०

(२) अनुपस्थिति, रूग्णावस्था अथवा किसी अन्य कारण से जब प्रधान अपने प्रकार्य करने में असमर्थ हो तब उपप्रधान उसके प्रकार्यों का पालन उस तिथि तक करेगा जिस तिथि को प्रधान अपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रहण करे.

२५

(३) उपप्रधान उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, अथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा है, प्रधान की सब शक्तियों और विभक्तियों का अधिकारी होगा.

उपप्रधान का निर्वाचन

५५. (१) संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित ससद् के उभय आगारों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपप्रधान का निर्वाचन होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढशलाका द्वारा होगा.

३०

(२) उपप्रधान न तो ससद् का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, जैसी कि स्थिति हो, उपप्रधान-पद-प्रवेश-तिथि में रिक्त कर दिया है.

३५

(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का जानपद न हो ,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ; और

(ग) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने का पात्र न हो. ५

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन अथवा इनमें से किसी शासन से नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है, उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा १० स्थिति पर आरूढ़ केवल इन्हीं लिये न समझा जायगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है , अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के १५ प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवर आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं

(५) उपप्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये २० निर्वाचन, अवधि अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(६) उपप्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से हुई पद-रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति की तिथि के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किया जायगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस विधान के अनुच्छेद ५६ में प्रावहित पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का अधिकारी २५ होगा.

५६. उपप्रधान अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा .

पर—

(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपने ३० पद को त्याग सकेगा ;

(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद् के ऐसे सकल्प द्वारा अपने पद से असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारण किया हो तथा जिसे लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त हो परन्तु इस खंड के ३५ प्रयोजनार्थ कोई भी सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो ;

(ग) उपप्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा.

अन्य किसी सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ प्रावधान बनाने की ससद् की शक्ति.

५७. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ संसद्, जैसा उचित समझे, वैसा प्रावधान बना सकेगी.

प्रधान अथवा उप-प्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय.

५८. (१) प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णयित होंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रधान अथवा उप-प्रधान के निर्वाचन विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन ससद् विधि द्वारा कर सकेगी.

क्षमण, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति

५९. (१) किसी अपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन (रेप्रीव), प्रास्यगन (रेस्पिट) या परिहरण (रेमिशन) प्रदान करने की १० अथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेश (कम्यूट) करने की प्रधान को शक्ति होगी—

(क) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय द्वारा दिया गया हो ;

(ख) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय १५ सम्बन्धी किसी विधि के अधीन अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद् को है और उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि अपराध किया गया हो ;

(ग) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो.

२०

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के स्थगन, परिहरण, अथवा हल्का करने की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस समय प्रवर्तमान, किसी विधि के अधीन, राज्य के शासक अथवा नरेश द्वारा प्रयोक्तव्य २५ मृत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा हल्का करने की शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

संघ की अधि-शासी शक्ति का विस्तार

६०. (१) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ की अधि-शासी शक्ति के अन्तर्गत होंगे—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है, ३० और

(ख) किसी संधि अथवा सविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग

पर इस संविधान में अथवा ससद् द्वारा निर्मित किसी विधि में, स्पष्टतया प्रावहित स्थिति के अतिरिक्त इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य में उन विषयों पर न होगा जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है. ३५

(२) जब तक संसद् अन्य प्रावधान न करे, तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी उन विषयो में, जिनके सम्बन्ध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी अधिशासी शक्ति का प्रयोग अथवा प्रकार्यों का पालन करते रह सकते हैं, जैसी कि वह राज्य अथवा उसके अधिकारी अथवा प्राधिकारी इस सविधान के प्रारम्भ से ५ सद्य पूर्व कर सकते थे.

### मन्त्रिपरिषद्

६१ (१) प्रधान को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधान मन्त्री होगा.

(२) क्या मन्त्रियो ने प्रधान को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी, तो क्या इस १० प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी.

६२. (१) प्रधान मन्त्री की नियुक्ति प्रधान करेगा और अन्य मन्त्रियो को, प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मन्त्री अपने पद पर आसीन रहेंगे.

(३) मन्त्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. १५

(४) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, तृतीय अनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद तथा गृहता की शायें दिलायेगा.

(५) कोई मन्त्री, जो छ. निरन्तर मासों की किसी अवधि तक ससद् के किसी आगार का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात् मन्त्री न रहेगा. २०

(६) मन्त्रियो के वेतन तथा अधिदेय वेही होंगे जो समय समय पर ससद् विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक ससद् ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होंगे

### भारत का महाप्राभिकर्ता

६३ (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता २५ रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, भारत का महाप्राभिकर्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाप्राभिकर्ता का कर्तव्य होगा कि वह भारत-शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयो पर मन्त्रणा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यो का पालन करे जो उसे प्रधान समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य ३० विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हो

(३) अपने कर्तव्य पालनार्थ महाप्राभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत सब न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा

(४) महाप्राभिकर्ता, प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासीन रहेगा और उसको वे परितोषण दिये जायेंगे जो प्रधान निश्चित करे.



## शासन-कार्य का संचालन

भारत-शासन-  
कार्य का संचालन

६४. (१) भारत-शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से की गई कही जायगी.

(२) प्रधान के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों तथा अन्य विलेखों (इन्स्ट्रुमेंट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले ५ नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणिकित आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप इस आधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त अथवा अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है.

प्रधान को  
ससूचना देने  
आदि विषयक  
प्रधान मन्त्री के  
कर्तव्य

६५. प्रधान मन्त्री का कर्तव्य होगा—

- (क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रपरिषद् के समस्त निर्णय १० तथा विधानार्थ प्रस्थापनाएँ, प्रधान को पहुँचाना ;
- (ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मगावे ; और
- (ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है, किन्तु १५ मन्त्र-परिषद् ने विचार नहीं किया है, प्रधान के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना

## अध्याय २—ससद्

## सामान्य

ससद् का सघटन.

६६ संघ के लिये एक ससद् होगी जो प्रधान और दो आगारों की बनेगी, २० जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद् और लोक सभा होंगे

ससद् के आगारों  
की रचना

६७ (१) राज्य-परिषद् के दो सौ पचास सदस्य होंगे जिनमें से—

- (क) पन्द्रह सदस्य प्रधान द्वारा दस अनुच्छेद के खड (२) में प्रावहित रीति से मनोनीत होंगे, और
- (ख) शेष राज्यों के प्रतिनिधि होंगे. २५

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से अधिक न होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खड (१) के उपखड (क) के अधीन प्रधान द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्— ३०

- (क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा ;
- (ख) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सम्बद्ध विषय ;
- (ग) अभियन्त्रणा (इन्जीनियरी) और वास्तु शास्त्र ;
- (घ) लोक-प्रशासन और सामाजिक सेवाएँ.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उम समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि—

- (क) जहाँ राज्य के विधान-मंडल के दो प्रागार हैं, वहाँ प्रवरागार (लोअर हाउज) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे,
- (ख) जहाँ राज्य के विधान-मंडल का एक प्रागार है, वहाँ उम प्रागार के ५ निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, तथा
- (ग) जहाँ के राज्य के लिये कोई विधान-मंडल नहीं है, वहाँ ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा समद्विनिधान करे

(४) राज्य-परिषद् में, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित १० रहे राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा समद्विनिधान करे

(५) (क) इन विधान के अनुच्छेद २६२ और २६३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, व्यवहार्य रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक प्रतिनिधि, लोकसभा में पाच नों से अधिक न होंगे १५

(ख) उपर्युक्त (क) के प्रयोजनार्थ भारत में राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण अथवा निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिये दो जाने वाली प्रतिनिधि सभा इन प्रकार नियत की जायेगी, जिसमें कि यह निश्चित रहे कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्यून और प्रत्येक ५,००,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा २०

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उम समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या का, उन ही संख्या में जनसंख्या से अनुपात, उम अनुपात से अधिक न होगा जो उक्त अनुसूची के भाग १ और २ में उम समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या का इन राज्यों की संख्या में जनसंख्या से है

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र के लिए किसी समय निर्वाचित होने वाले २५ सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, संख्या में भारत में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक ही होगा

(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रौढ गताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था दृढ़कीन वर्ग से कम नहीं है और जिसको इस सविधान अथवा समद्विनिधान के किसी अधिनियम के अधीन, अनिदान, मनोविक्षेप, पातक ३० अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्वाच्य नहीं किया गया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाता रजिस्टर होने का अधिकारी होगा

(७) ससद, विधि द्वारा, राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोकसभा में प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी

(८) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद् में विविध राज्यों का ३५ और लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस सविधान के अनुच्छेद २८६ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारों द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि ससद, विधि द्वारा, निश्चय करे

(९) जब, राज्य-परिषद् में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के ४० भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को जोड़ कर वर्ग बनाया जाये, तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह समस्त वर्ग, एक राज्य समझा जायेगा

संसद् के आगारों की अवधि.

६८. (१) राज्य-परिषद् का विलयन (डिस्सोल्यूशन) न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यों में से एकतिहाई की यथा शक्य निकटतम् संख्या, संसद् से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायेगी.

(२) लोक सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे अधिक नहीं, और पांच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा

पर उक्त अवधि का विस्तरण, जब तक कि सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा लागू है, प्रधान द्वारा किसी अवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी और किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ १० मास की अवधि से अधिक विस्तृत न होगी, किया जा सकेगा.

संसद् के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन

६९. (१) संसद् के आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छ मास का अन्तर न होगा.

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान, समय समय पर— १५

(क) संसद् के आगारों को, अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ;

(ख) आगारों का सत्रावसान (प्रोरोग) कर सकेगा ;

(ग) लोकसभा का विलयन कर सकेगा.

आगारों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का अधिकार

७०. (१) संसद् के किसी एक आगार को अथवा एकत्र हुए दोनों आगारों २० को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) प्रधान, संसद् में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश, संसद् के किसी आगार को भेज सकेगा, और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा अपेक्षित २५ विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्रता से, विचार करेगा.

संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों का ससद में पर्यालोचन.

७१ (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, संसद् के एकत्र हुए दोनों आगारों को, प्रधान सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण संसद् को बतलायेगा.

(२) किसी भी आगार की कार्य-प्रणाली के अनियामक नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के ३० अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्वजातिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा.

आगारों विषयक मन्त्रियों और महाप्राधिकारों का अधिकार

७२. भारत के प्रत्येक मन्त्री और महाप्राधिकारों को अधिकार होगा कि वह किसी भी आगार में, आगारों के संयुक्त अधिवेशन में, तथा संसद् की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्य कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधारे पर उसको मत देने का अधिकार न होगा.

## संसद् के अधिकारी

७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभा-पति होगा.

(२) राज्य-परिषद्, यथा सम्भव शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उप-सभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब परिषद् ५ किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी.

७४. राज्य-परिषद् के उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य—

- (क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;
- (ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति १० को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा ; और
- (ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित १५ न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो.

७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, अथवा किसी कालावधि में जब कि इस सविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न रह रहा है अथवा उसके प्रकार्यों को कर रहा है, तब उपसभापति अथवा, यदि २० उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में, उप-सभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद् की कार्य-प्रणाली के नियमों से निश्चय किया जा सके, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित २५ नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी कि स्थिति हो, चुनेगी.

३०

७७. लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ सदस्य—

- (क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;
- (ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; और

३५

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से ५ कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात् होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के सद्य पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की, शक्ति

७८. (१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे, प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा की कार्य प्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय

७९. राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को, और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, और, जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बनें तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं.

#### कार्य-संचालन

आगारों में मतदान, रिक्तियों के होते हुये भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक

८०. (१) इस सविधान में प्रावहित अवस्था को छोड़कर, अन्य आगारों की किसी अथवा संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निश्चयन, सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा पर मत-समता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा.

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद् के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् की कार्यवाही मान्य होगी.

(३) यदि आगार की बैठक में किसी समय भी आगार के सदस्यों की समस्त संख्या के छठे भाग से कम की उपस्थिति हो तो सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यों के छठे भाग की उपस्थिति न हो जाये.

### सदस्यों की नियोग्यताएँ

८१. ससद् के प्रत्येक आगार का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, प्रधान अथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

५

८२ (१) कोई व्यक्ति ससद् के दोनो आगारो का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनो आगारो का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिये, ससद् विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी.

(२) यदि ससद् के किसी आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खड (१) में वर्णित नियोग्यताओ १० का पात्र हो जाता है ; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार, सभापति अथवा अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(३) यदि ससद् के किसी आगार का सदस्य साठ दिनों की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा

१५

पर उक्त अवधि की सगणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन, हुआ है.

२०

८३. (१) कोई व्यक्ति ससद् के किसी आगार का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये नियोग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा किसी राज्य के शासन के, अधीन, लाभपद पर आरूढ़ है, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके धारण करने वाले का, नियोग्य न होना ससद् ने विधि द्वारा घोषित २५ किया है ,

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ,

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता ३० स्वीकार किये हुए है, अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारो अथवा विशेषाधिकारो का अधिकारी है , और

(ङ) यदि वह ससद् निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार नियोग्य कर दिया गया है.

३५

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति भारत शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ पद पर आरूढ़ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

४०

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के प्रति, अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं वहां, विधान-मंडल के अवरागार, के प्रति उत्तरदायी हैं और यदि विधान-मंडल अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, ५ तीनचौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

अनुच्छेद ८१ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुए अथवा नियोग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड.

८४. यदि कोई व्यक्ति संसद् के किसी आगार में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस संविधान के अनुच्छेद ८१ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है, अथवा जब वह जानता है, कि मैं योग्य नहीं हूँ, अथवा उसकी सदस्यता के लिये नियोग्य कर दिया गया हूँ, अथवा ससद् निर्मित किसी विधि के १० प्रावधानों से ऐसा करने से वर्जित कर दिया गया है तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो भारत-शासन को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा.

#### सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ

सदस्यों के विशेषाधिकार, आदि

८५. (१) ससद् की कार्य-प्रणाली के आनियामक नियमों और स्थायी १५ आदेशों के अधीन रहते हुये ससद् में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा.

(२) ससद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के सम्बन्ध में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण पत्र, पत्र, मतों अथवा कार्यवाहियों २० के प्रकाशन के विषय से इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी.

(३) अन्य बातों में, संसद् के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ वेही होंगी जो संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, और वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर प्नाईटेटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस आफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त २५ हैं.

(४) जिन्हें इस संविधान के सागर्य से संसद् के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ससद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं. ३०

सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय

८६. संसद् के प्रत्येक आगार के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयों को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हें ससद् विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व भारत-अधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विषय में लागू थे. ३५

#### विधान-कार्यप्रणाली

विधेयको के पुर-स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान.

८७. (१) मुद्राविधेयको तथा अन्य प्राथिक-विधेयको के विषय में इस संविधान के अनुच्छेद ८६ और ६७ के, प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक ससद् के किसी आगार में प्रारम्भ हो सकेगा.

(२) इस संविधान के अनुच्छेद ८८ और ८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक ससद् के आगारों से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो बिना सशोधन के या दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत सशोधनो सहित दोनों आगारों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) आगारों के सत्रावसान के कारण, ससद् में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा (गिर न जायेगा)।

(४) राज्य-परिषद् में लम्बमान विधेयक, जिसका लोकसभा ने पारण नहीं किया है, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा।

(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बमान है अथवा जो लोकसभा से पारित हो कर राज्य-परिषद् में लम्बमान है, इस संविधान के अनुच्छेद ८८ के अधीन रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा।

८८ (१) यदि किसी विधेयक के एक आगार में पारित होने और दूसरे आगार को पारेषित किये जाने के पश्चात्—

(क) दूसरे आगार द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है ; अथवा १५

(ख) विधेयक में किये जाने वाले सशोधनो पर दोनों आगार अन्ततः असहमत हो चुके हैं ; अथवा

(ग) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसको पारण किये, दूसरे आगार को छ से अधिक मास बीत चुके हैं,

तो, लोकसभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो २० विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ सयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना, यदि वे आगार बैठे हुये हैं तो सदेश द्वारा, अथवा यदि बैठे हुये नहीं हैं तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान आगारों की देगा

पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा-विधेयक को लागू न होगी।

(२) ऐसी छ मास की अवधि की सगणना में, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (१) २५ में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में दोनों आगारों का सत्रावसान समय अथवा चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन हुआ है।

(३) जब प्रधान, आगारों को सयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय को, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो तो कोई आगार विधेयक पर आगे कार्यवाही न करेगा किन्तु प्रधान, अधिसूचना की तिथि के पश्चात् किसी ३० समय, आगारों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ सयुक्त अधिवेशन में बुला सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है, तो आगार तदनुसार अधिवेशन में बैठेंगे।

(४) यदि, आगारों की सयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनो सहित, यदि कोई हो, जिनको सयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों आगारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो ३५ इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों आगारों से पारित समझा जायेगा

पर सयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक, एक आगार से पारित हो कर दूसरे आगार द्वारा सशोधनो सहित पारित नहीं किया गया है और उस आगार को, जिसमें वह उद्भूत हुआ था, लौटा दिया गया है तो ऐसे ४०



संशोधनों (यदि कोई हों) के अतिरिक्त, जैसे कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन जैसे कि ऊपर कथित हैं तथा ५ ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हैं जिन पर आगारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ;

और अव्याप्ती व्यक्ति का निर्णय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा.

(५) इस अनुच्छेद के अधीन सयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक १० पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, आगारों को अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना के पश्चात् लोक सभा का विलयन बीच में आ चुका है.

मुद्रा-विधेयक  
विषयक विशेष  
कार्य प्रणाली.

८६. (१) राज्य-परिषद् में मुद्रा-विधेयक पुर.स्थापित न किया जायगा.

(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् को इसके अभिस्तावों के लिये, पारेषित किया जायगा ; और राज्य-परिषद्, विधेयक १५ की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर, लोकसभा को, विधेयक को अपने अभिस्तावों सहित लौटा देगी और तब लोकसभा, राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को, लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा लोकसभा २० द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों द्वारा पारित समझा जायेगा.

(४) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार नहीं करती तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित किसी संशोधन के बिना, उस रूप में दोनों आगारों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था. २५

(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद् को उसके अभिस्तावों के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनों आगारों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था

मुद्रा-विधेयको  
की परिभाषा

६०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक ३० समझा जायेगा जिस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही हैं, अर्थात् :—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहरण, परिवर्तन अथवा अनियमन ;

(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋण लाने का, अथवा प्रत्याभूति देने का, ३५ अथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, अनियमन ;

(ग) प्रदाय ;

(घ) भारत के आगमों का नियोजन ;

- (इ) किसी व्यय को भारत-आगमो पर प्रभुत्वव्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि ,
- (च) भारत-आगमो के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा के समारक्षण या निर्गम, अथवा भारत-शासन के लेखे का अकेक्षण; अथवा
- (छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुषंगी कोई विषय .

५

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्रा-विधेयक न समझा जायेगा, कि वह अर्थ-दंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्पादन, परिहरण, परिवर्तन या अनियमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक मुद्रा-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

१५

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्रा-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो उस प्रत्येक मुद्रा-विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण अंकित रहेगा कि वह मुद्रा-विधेयक है.

६१. जब ससद् के दोनों आगारों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो वह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

पर प्रधान, अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पश्चात् अधिक से अधिक छ सप्ताह में, उस विधेयक को, यदि वह मुद्रा-विधेयक नहीं है, तो आगारों को संदेश के साथ लौटा सकेगा और इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि वे इस विधेयक पर अथवा इस के किसी उल्लिखित प्रावधान पर पुनर्विचार करे और विशेषतः उन सशोधनों के पुर-स्थापित करने की वाछनीयता पर विचार करे जिनको उसने अपने संदेश में अभिस्तावित किया हो, और आगार विधेयक पर तदनुसार विचार करेंगे.

### आर्थिक विषयों में कार्य-प्रणाली

३०

६२ (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये ससद् के दोनों आगारों के समक्ष प्रधान, भारत-शासन की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और व्यय का विवरण-पत्र, रखवायेगा जिसे इस सविधान के इस भाग में " वार्षिक आर्थिक विवरण " के नाम से निर्देश किया गया है

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणना में—

३५

(क) जो व्यय इस सविधान में, भारत-आगमो पर प्रभुत्व-व्यय के रूप से वर्णित है, उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया, और

(ख) भारत-आगमो से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया,

पृथक् पृथक् दिखाई जावेगी और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा.

४०

(३) निम्न व्यय भारत-प्रागमो पर प्रभूत व्यय होगा—

- (क) प्रधान के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;
- (ख) राज्य-परिवर्द्ध के सभापति तथा उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ और अधिदेय ;
- (ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता भारत-शासन पर है, जिनमें व्याज, प्रतिस्थापन प्रणिवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार, और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ;
- (घ) (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, १० दिवसे जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन ;
- (२) सवान न्यायालय के न्यायाधीशों, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिवसे जाने वाले उत्तर वेतन ,
- (३) जो उच्च न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में समाविष्ट किसी क्षेत्र १५ के अन्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व करता था, उसके न्यायाधीशों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिवसे जाने वाले उत्तर वेतन ;
- (ङ) किसी न्यायालय अथवा विवाची घर्नाविकरण के निर्णय, प्रादेश (डिक्री) अथवा परिनिर्णय (अवार्ड) के संतोषण के लिये अपेक्षित २० कोई राशिया ;
- (च) इस सविधान से अथवा ससद् से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभूत घोषित किया गया कोई अन्य व्यय

ससद् में आग-  
एना-विषयक  
कार्यप्रणाली

६३. (१) जितनी आगएनायें भारत-शासनो के आगमो पर प्रभूत व्यय से सम्बद्ध हैं वे, संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इन खंड की किसी २५ बात का यह प्रन्द्य न किया जायगा कि वह, ससद् के किसी आगार में इनमें से किसी आगएना के पर्यालोचन को रोकती है

(२) उक्त आगएनाओ में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, लोकसभा के समक्ष अनुदान माग के रूप में रखी जायेंगी और लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी माग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी माग को, उसमें उल्लिखित ३० राशि को कम कर के, स्वीकार करे.

(३) प्रधान के अभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की माग न की जायेगी

६४. (१) प्रधान अपने हस्ताक्षर द्वारा—

(क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन लोकसभा द्वारा किये गये अनुदानों का,

(ख) भारत के आगमो पर प्रभूत व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियों का, किन्तु जो ससद् के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नहीं,

उल्लेख करने वाली अनुसूची को प्रामाणिक करेगा.

प्राधिकृत व्यय  
की अनुसूची का  
प्रामाणिकन

(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी किन्तु ससद् में पर्यालोचन अथवा मतदान के लिये खुली न होगी

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत-आगमो में से कोई भी व्यय सम्बन्ध-प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित नहीं है ५

६५ यदि किसी आर्थिक वर्ष में, भारत-आगमो से, उक्त वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और बजट आवश्यक हो जाता है, तो प्रधान उक्त व्यय की आगणित राशि को दिखाने वाले प्रारम्भिक विवरण को ससद् के दोनों प्रागारों के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित १० व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हैं.

६६. यदि किसी आर्थिक वर्ष में भारत-आगमो से किसी सेवा पर, जिस पर कि ससद् का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो लोक सभा के समक्ष, उस अधिव्यय के लिये मांग उपस्थित की जायेगी और इस सविधान के अनुच्छेद ६३ और ६४ के प्रावधान ऐसी मांग १५ के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे अनुदान की मांग के लिये प्रभावी हैं.

६७ (१) इस सविधान के अनुच्छेद ६० के लड (१) के (क) से (च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा सशोधन प्रधान के अभिस्ताव के बिना पुर स्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य-परिषद में पुर स्थापित न किया जायगा २०

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी सशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी.

(२) कोई विधेयक अथवा सशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न सप्रभा जायेगा कि वह प्रथमदंड या अन्य आर्थिक शास्त्रि के आरोपण का अथवा अगुजाओ (लाईसेंस) के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क की, अभियन्तना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है २५

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाय जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, भारत-आगमो से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक ससद् के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्तवन न किया हो ३०

### सामान्य कार्यप्रणाली

६८ (१) इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ससद् का प्रत्येक आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्य-संचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा, ३५

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत अधिराज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे संपरिवर्तनी तथा उद्योगजनाओं के साथ जिन्हें राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो करे, ससद् के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे। ५

(३) राज्य-परिषद् के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से विमर्श करने के पश्चात्, प्रधान, दोनों आगारों की संयुक्त पठन सम्बन्धी तथा, उनमें परस्पर संचार सम्बन्धी कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों आगारों को चयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अर्थात् जैसी होगी, जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन बनाई गई कार्यप्रणाली के नियमों के चयन निश्चय हो

ससद् में प्रयो-  
क्त भाषा.

६६ (१) ससद् में कार्य, हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जायगा

पर राज्य-परिषद् का सभापति, अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, किसी सदस्य को, जो इन में से किसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता, अपने मातृभाषा में आगार को सम्बोधन करने की आज्ञा दे १५ सकेगा

(२) राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में संक्षेप राज्य-परिषद् अथवा लोकसभा में, जैसा कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रवन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार को कार्यवाहियों के उल्लेख-पत्र में २० सनाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था।

ससद् में पर्या-  
लोचन पर  
आयत्रण

१००. (१) इसके पश्चात् प्रावहित रीति से न्यायाधीश के निष्कासन के लिये प्रदान के समक्ष प्रार्थनात्मक अभिनेत्र के उदस्थापन के प्रस्ताव के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यपालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में ससद् में कोई पर्यालोचन न होगा। २५

(२) इस अनुच्छेद में "उच्च न्यायालय" के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा, जो इस भाग के अध्याय ४ में दिये हुए किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है

ससद् की कार्य  
वाहियों की  
न्यायालय  
परिपुच्छा न  
करेगी

१०१ (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर ससद् की किसी कार्यवाही की पान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी ३०

(२) ससद् का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, ससद् में कार्यप्रणाली को अथवा कार्य-संचालन को आ-नियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होंगे।

अध्याय ३—प्रधान की विधायिनी शक्तियां

३५

ससद् के  
विश्रान्तिकाल  
में अध्यादेश के  
प्रवर्तन की  
प्रधान की शक्ति.

१०२. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि ससद् के दोनों आगार सत्रस्थ हैं, यदि किसी समय प्रधान को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारण आवश्यक दीखें।

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा ४०

व्याख्या २.—इस खंड के प्रयोजनार्थ अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्याय-पद धारण किया हो।

(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से निष्कासित न किया जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार अथवा असामर्थ्य के कारण निष्कासन के लिये, ५ ससद् के दोनो आगारो द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालो में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यो से समर्थित अभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने के पश्चात्, प्रधान ने आदेश न दिया हो।

(५) अन्तिम पूर्वगामी खंड के अधीन किसी अभिलेख के उपस्थापन की, तथा, न्यायाधीश के दुराचार अथवा असामर्थ्य के अनुसंधान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रणाली १० का ससद् विधि द्वारा आनियमन कर सकेगी।

(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद प्रवेश के पूर्व प्रधान अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उम पर हस्ताक्षर करेगा। १५

(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा।

न्यायाधीशो के वेतन आदि।

१०४. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनो और अधिदेयो के, तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारो के अधिकारी होंगे जैसे कि २० समय समय पर संसद् द्वारा बनाई विधि से, अथवा विधि के अधीन नियत किये गये हों, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनो और अधिदेयो के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारो के अधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है :

पर न तो न्यायाधीश के वेतन में प्रौर न उसके अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी २५ अधिकारो में उसकी नियुक्ति के पश्चात्, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो।

स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की सेवायुक्ति

१०५ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यो का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ ३० नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यो का पालन करेगा।

एतदर्थ (एडहाँक) न्यायाधीशो की नियुक्ति

१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने अथवा चालू रखने के लिये न्यायाधीशो का गणपूरक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अपने मनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में, एतदर्थ न्यायाधीश ३५ के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये आवश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा।

(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कर्तव्य होगा, कि अपने पद के अन्य कर्तव्यो की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में, उस समय तथा उस

कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेगा

सेवानिवृत्त  
न्यायाधीशों की  
सर्वोच्च न्याया-  
लय की बैठकों  
में उपस्थिति

१०७ इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का मुख्य न्याया- ५  
धीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति  
से, जो सर्वोच्च न्यायालय के अथवा सवान न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण  
कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की  
प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और  
कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ १०  
और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा  
जायेगा

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने  
तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने  
की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी. १५

सर्वोच्च न्यायालय  
का स्थान

१०८. सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और देहली में तथा ऐसे  
अन्य स्थान अथवा स्थानों में, यदि कोई हो, जिन्हे मुख्य न्यायाधीश समय समय पर  
प्रधान के अनुमोदन से नियुक्त करे, बैठेगा.

सर्वोच्च न्याया-  
लय का  
प्रारम्भिक  
अधिकार क्षेत्र

१०९ इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुये—

(क) भारत-शासन और एक अथवा अनेक राज्यों के मध्य, अथवा २०

(ख) एक और भारत-शासन और कोई राज्य अथवा राज्यों तथा दूसरी  
और एक अथवा अनेक अन्य राज्यों के मध्य; अथवा

(ग) दो या अधिक राज्यों के मध्य,

विवाद में, जहाँ तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्भूत है (चाहे तो  
विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी बंध अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार २५  
निर्भर है, वहाँ तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय  
का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा

पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न विवादों पर न होगा—

(१) वह विवाद जिस में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय  
उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में है, यदि वह विवाद इस ३०  
सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व की हुई, और उस तिथि के  
पश्चात् प्रवृत्त रही हुई अथवा प्रवृत्त रखी हुई किसी सधि, सविदा,  
अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश विलेख के  
किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ है,

(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में है यदि वह विवाद ३५  
किसी ऐसी सधि, सविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश  
विलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुआ है जो यह प्रावधान  
करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर  
न होगा.

विशेष अवस्थाओं में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुनर्विचार प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार क्षेत्राधिकार

११०. (१) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्भूत है तो राज्य के उच्च न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दांडिक, चाहे अन्य कार्यवाही में द्विप्रे निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना (अपील) सर्वोच्च न्यायालय को हो सकेगी.

५

(२) जहां कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्भूत है तो, ऐसे निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति दे सकेगा.

(३) जहां ऐसा प्रमाणपत्र अथवा ऐसी अनुमति दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्षवान केवल इसी आधार पर नहीं कि कोई पूर्वोक्त प्रश्न, अशुद्ध निर्णय हुआ है, किन्तु किसी अन्य आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार प्रार्थना कर सकेगा.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, “अन्तिम आदेश” पद में ऐसे वाद-हेतु का निर्णायक आदेश भी समाविष्ट है, जो यदि पुनर्विचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णयित १५ हो तो उस मामले का अन्तिम निर्णय करने के लिये पर्याप्त होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से अन्य मामले की पुनर्विचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार-क्षेत्राधिकार.

१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक कार्यवाही में दिये गये निर्णय, प्रादेश, अथवा अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे—

२०

- (क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि अथवा मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम न था और पुनर्विचार-प्रार्थना-गत विवाद में भी उस से कम नहीं है; या
- (ख) कि निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश इतनी राशि अथवा मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी अर्ध्यर्थना अथवा प्रश्न को प्रत्यक्ष २५ अथवा परोक्षरूप में अन्तर्धारण करता है, या
- (ग) कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार प्रार्थना के समुपयुक्त है,

और जहां कि पुनर्विचार प्रार्थित निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश विनान्तर नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपोषण करता है तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले ३० से भिन्न मामले में पुनर्विचार प्रार्थना तब हो सकेगी जब उच्च-न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुनर्विचार प्रार्थना में कोई सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्भूत है

(२) इस संविधान के अनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार प्रार्थना करने वाला ३५ कोई पक्षवान ऐसी पुनर्विचार प्रार्थना में एक कारण यह भी बता सकेगा कि इस में संविधान के निर्वचन का सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्भूत है जिसका अशुद्ध निर्णय किया गया है.



कुछ अन्य मामलो में पुनर्विचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति

११२. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के अतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस सविधान के अनुच्छेद ११० अथवा अनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलो में लागू नहीं हैं उन मामलो में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय अथवा धर्माधिकरण द्वारा किसी वाद अथवा विषय में दिये हुये किसी निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति अनुदान कर सकेगा ५

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अभियोगों में सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था प्रार्थना

११३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दंड अथवा अन्य कार्यवाही के वर्तन में ससद् की, अथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य के विधान-मंडल की, किसी विधि की प्रयोज्यता अथवा निर्वचन सम्बन्धी कोई प्रश्न, जो ऐसी कार्यवाही में १० किसी वाद-हेतु के निश्चयन के लिये महत्वपूर्ण हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, स्वेच्छा से अथवा पक्षों में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रश्न का विशेष निर्देश करते हुए तथा उस पर अपनी मति देते हुए उस मामले का विवरण बना सकेगा और ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, भेज सकेगा १५

(२) जहाँ ऐसा कोई उच्च न्यायालय खंड (१) के अधीन मामले का विवरण बनाना अस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस प्रकार विवरण बनाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा.

(३) जब इस अनुच्छेद के खंड (१) के अथवा (२) के अधीन किसी मामले का ऐसा विवरण बना दिया जाता है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त २० न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा

(४) पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार भेजे हुए प्रश्न का निर्णय करेगा, और अपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्च न्यायालय को भिजवायेगा और उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा. २५

(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस अनुच्छेद के अधीन विवरण बनाये हुए मामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें और दूसरे तथ्यों का विवरण दिया जाये.

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि

११४ (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया होंगी जिन्हे ससद्, विधि द्वारा, ३० प्रदान करे.

(२) यदि ससद्, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया होंगी जिन्हे भारत-शासन और कोई राज्य विशेष सविदा द्वारा प्रदान करे ३५

कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति-प्रदान

११५. इस सविधान के अनुच्छेद २५ के खंड (२), (जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध है, में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये बन्धुपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा तथा उन्प्रेषण लेखों के, अथवा इनमें से किसी प्रकार के निर्देशों अथवा आदेशों को निकालने की शक्ति ससद् विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकेगी. ४०

सर्वोच्च न्यायालय  
की सहायक  
शक्तिया

११६. इस सविधान के प्रावधानों में से किसी से अनसगत ऐसी अनुपूरक शक्तियों का ससद्, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिये प्रावधान कर सकेगी जैसी कि उस न्यायालय को, इस सविधान से अथवा उस के अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक अथवा वाञ्छनीय प्रतीत हो।

५

सर्वोच्च न्याया-  
लय द्वारा घोषित  
विधि सत्र न्याया-  
लयों को बन्धन-  
कारी होगी

११७ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी।

सर्वोच्च न्याया-  
लय के प्रादेशों  
और प्रादेशों  
का प्रवर्तन  
तथा प्रलेखों  
को प्रकट  
कराने आदि के  
आदेश

११८. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा प्रादेश, अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि इसके समक्ष लम्बमान किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो, और इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश १० अथवा आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसी कि संसद् किसी विधि द्वारा अथवा अधीन, विनिधान करे।

(२) संसद् द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, किसी व्यक्ति को उपस्थित कराने के, किन्हीं प्रलेखों को प्रकट अथवा प्रस्तुत कराने के, या अपने किसी १५ अपमान के अनुसंधान कराने अथवा दंड दिलाने के प्रयोजनार्थ कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।

सर्वोच्च न्यायालय  
से परामर्श करने  
की प्रधान  
की शक्ति

११९. (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि अथवा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति लेना उचित २० होगा, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, प्रधान को उस पर अपनी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा।

(२) प्रधान, इस सविधान के अनुच्छेद १०९ के परादिक के खंड (१) में किसी बात के होने हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च २५ न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेज सकेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेगा और इस का प्रतिवेदन प्रधान को करेगा।

असैनिक  
तथा न्यायिक  
प्राधिकारी  
सर्वोच्च न्याया-  
लय के साहाय्य  
में कार्य करेंगे।

१२०. भारत राज्यक्षेत्र के असैनिक और न्यायिक, सब प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे

३०

न्यायालय के  
नियम आदि

१२१. (१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, प्रधान के अनुमोदन से उस न्यायालय के आचार और कार्य-प्रणाली के सामान्यत आनियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन नियमों में निम्न नियमों का भी समावेश होगा—

(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियम, ३५

- (ख) पुनर्विचारप्रार्थनाओं को सुनने की तथा अन्य विषयों को, कार्यप्रणाली से सम्बद्ध नियम अन्य विषयोंमें वह समय भी सम्मिलित है जिसमें पुनर्विचार प्रार्थनाएँ न्यायालय में प्रवेश की जायें और जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को तत्सम्बन्धी अपने निवेदन करने के लिये दिया जाये, ५
- (ग) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के अथवा उनके आनुषंगिक-परिव्ययों सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध में प्रभूत शुल्क सम्बन्धी नियम,
- (घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरण सम्बन्धी नियम,
- (ङ) कार्यवाहियों के स्थगन सम्बन्धी नियम, १०
- (च) किसी पुनर्विचार प्रार्थना के, जो न्यायालय को तुच्छ अथवा, प्रवाधी या विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है, सक्षेपत निश्चयन को प्रावहित करने वाले नियम.

(२) इस सविधान के निर्वचन विषयक सारबद्ध विधि प्रश्न अन्तर्गामी किसी मामले का निर्णय करने के लिये, अथवा इस सविधान के अनुच्छेद ११६ के अधीन भेजे हुए प्रश्न के सुनने के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की अल्पिष्ठ संख्या पाच होगी : १५

पर, उक्त प्रयोजनों के लिये प्रत्येक न्यायाधीश बैठने के लिये स्वतन्त्र होगा जब तक कि वह रूग्णावस्था, वैयक्तिक हित, अथवा अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के अयोग्य न हो.

(३) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा इस संविधान के अनुच्छेद ११६ के २० अधीन किसी प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले अधिवेशन में ही दी जायेगी

(४) मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सम्मति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा और न कोई निर्णय दिया जायेगा, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी न्यायाधीश को, २५ जो सम्मत नहीं होता, अपनी भिन्न मति अथवा निर्णय देने में अवरोध करने वाली न समझी जायेगी.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय

१२२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतनों को भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. ३०

(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय, तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हैं, भारत-आगमो पर प्रभूत होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा अन्य मुद्रायें भारत आगमो की भाग होगी.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देशों का अन्वय.

१२३ (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत, अथवा वहां क्षेत्राधिकार रखने वाले, उच्च न्यायालय के प्रति इस अध्याय के अनुच्छेद १०३ और १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय और उस राज्य के नरेश से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा सतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के साथ तुलना के योग्य है, उन अनुच्छेदों के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय घोषित करे. ४०

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति, इस अध्याय के अनुच्छेद ११० और ११३ में, जो निर्देश किये गये हैं वे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पुनर्विचार प्रार्थना अथवा प्रेष्टिका प्रावधान उन अनुच्छेदों में किया गया है, उस राज्य के अन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे। ५

## अध्याय ५ भारत का महाकेक्षक

भारत का  
महाकेक्षक

१२४. (१) भारत का एक महाकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा और वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया जाता है। १०

(२) महाकेक्षक के वेतन, अधिदेय और सेवा के अन्य प्रतिबन्ध ऐसे होंगे जैसे कि ससद् विधि द्वारा निश्चय करे और जब तक संसद् उनका निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची के उल्लेखानुसार होंगे।

पर न तो महाकेक्षक के वेतन में और न उसके अवकाश, उत्तरवेतन अथवा सेवानिवर्तन वयस-सम्बन्धी अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा १५ परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो।

(३) अपने पद-धारण के पर्यवसान के पश्चात् महाकेक्षक भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन और पद का पात्र न होगा।

(४) महाकेक्षक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तरवेतन को महाकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा। २०

(५) महाकेक्षक तथा उसके कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन भारत-आगमो पर प्रभूत होंगे।

महाकेक्षक के  
कर्तव्य और  
शक्तियाँ

१२५. महाकेक्षक भारत-शासन के, और किसी राज्य के शासन के, लेखा-सम्बन्धी ऐसे कर्तव्यों का पालन, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जैसे कि ससत्कृत किसी विधि द्वारा, अथवा उसके अधीन, विनिहित है अथवा होवे। २५

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में “ससत्कृत विधि” पद में भारत के राज्यक्षेत्र में उस समय के लिये प्रवृत्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश है।

लेखे के विषय  
में निर्देश देने  
की महाकेक्षक  
की शक्ति।

१२६. भारत-शासन का लेखा वैसे रूप में रखा जायेगा जैसे कि भारत का महाकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, विनिधान करे, और जिन रीतियों अथवा सिद्धान्तों के अनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में ३० भारत का महाकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, जो कुछ निर्देश दे उसके अनुसार लेखा रखवाना उस राज्य के शासन का कर्तव्य होगा

अकेक्षण-  
प्रतिवेदन

१२७. भारत के महाकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनो को प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान उनको ससद् के समक्ष रखवायेगा

## भाग ६

## प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य

## अध्याय १.—सामान्य

परिभाषा

१२८. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा

५

## अध्याय २.----अधिशायी-वर्ग

## शासक

राज्यों के  
शामक

१२९. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा

राज्यों की  
अधिशायी शक्ति

१३०. (१) राज्य की अधिशायी शक्ति, शासक में निहित होगी, और वह इस का प्रयोग, संविधान अथवा विधि के अनुसार कर सकेगा.

१०

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो प्रकार्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को किये हुए हैं वे प्रकार्य शासक को हस्ताक्षरित किये हुए न समझे जायेंगे, या

(ख) शासक के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकार्य प्रदान करने में सत्तद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी १५

शासक का  
निर्वाचन

१३१ राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियों के, (डायरेक्ट वोट) अव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य निर्वाचन में मत देने का अधिकार है

## विकल्पत

२०

शासक की  
नियुक्ति

१३१ किसी राज्य के शासक को, प्रधान अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अधिपत्र द्वारा, चार ऐसे अभ्यर्थियों की तालिका में से नियुक्त करेगा जिनका निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा अथवा जहाँ राज्य में विधानपरिषद् है वहाँ संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा और विधान-परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल सक्राम्य मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढशलाका द्वारा होगा २५

शासक की  
पदावधि

१३२. शासक अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा

पर—

(क) शासक, राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष को, अथवा जहाँ राज्य ३० के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहाँ राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद् के सभापति, को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर, शासक इस संविधान के अनुच्छेद १३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से निष्कासित किया जा सकेगा ;

(ग) शासक अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ रहेगा ;

शासक की  
पुनर्निर्वाचन/  
पुनर्नियुक्ति के  
लिये पात्रता

१३३. कोई व्यक्ति जो शासक-रूप में पदारूढ है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुनर्निर्वाचन/पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा.

शासक निर्वाचित  
होने के लिये  
योग्यताएँ

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो.

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा— १०

(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया गया है:

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा , अथवा

(ख) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय १५ उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, अथवा उक्त शासनो में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ है.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा २० स्थिति पर आरूढ केवल इसी लिये न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल २५ के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां उस विधान-मंडल के अवरागार के प्रति उत्तरदायी है और यदि उस विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी भी स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित है.

विकल्पतः

३०

शासक नियुक्त  
होने के लिये  
योग्यताएँ.

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा, यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया ३५ गया है :

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा.

शासकपद के प्रतिबन्ध

१३५. (१) शासक न तो संसद् का और न प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित/नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, जैसी भी स्थिति हो, शासक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया है.

५

(२) शासक, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति धारण न करेगा.

(३) शासक के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे.

१०

(४) शासक के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि में न घटाय जायेंगे.

पदग्रहण से पूर्व शासक अथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन करनेवाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति अथवा शपथ

१३६ प्रत्येक शासक और शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्यो के समक्ष निम्न रूप में निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात् —

“मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हू कि मैं सच्चे हृदय से १५ (अमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन (अथवा शासक के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूंगा तथा अपनी उत्कृष्टतम योग्यता से सविधान और विधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं अपने को . . . . . (अमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊंगा”

२०

शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली

१३७ (१) सविधान के अतिक्रमण के लिये जब शासक का प्राभियोग करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक सकलपरूप में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो जिस २५ पर विधान-सभा के तीस से अन्यून सदस्यो ने हस्ताक्षर करके उस सकलपरूप को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस सकलपरूप का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यो की दो-तिहाई से अन्यून सख्या ने किया हो.

(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा ३० का अध्यक्ष राज्य-परिषद् के सभापति को सूचित करेगा और तब राज्य-परिषद्, दोषारोप के अनुसन्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की भी हो सकेगी अथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेंगे जो राज्य-परिषद् के सदस्य नहीं हैं और शासक को इस अनुसन्धान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का अधिकार होगा

(४) यदि अनुसन्धान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला सकलपरूप, राज्य-परिषद् के समस्त सदस्यो की दो-तिहाई से अन्यून सख्या द्वारा समर्थित हो कर पार हो जाता है, तो उस सकलपरूप का प्रभाव, विधान-सभा के अध्यक्ष के पास उस सकलपरूप को भेजने की तिथि से, शासक का अपने पद से निष्कासन होगा.

३५

४०

विशेष सम्भाव्यताओं में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान) की शक्ति

१३८. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्यका विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकार्य निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

### विकल्पश

इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में प्रधान किसी राज्य के शासक के प्रकार्य-निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

शासक-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) समय

१३९. (१) शासक की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्तिके लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनार्थ निर्वाचन) अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायेगा.

(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन), रिक्ति होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, किया जायेगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित (नियुक्त) व्यक्ति, इस सविधान के अनुच्छेद १३२ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पद-धारण करने का अधिकारी होगा.

शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय

१४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सब सदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णीत होंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा कर सकेगा

क्षमण आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन करने की, शासक की शक्ति

१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दोष प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरण प्रदान करने की, अथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन करने की, उस राज्य के शासक को शक्ति होगी.

राज्यों की अधिशासी शक्ति का विस्तार

१४२. इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति के अन्तर्गत होंगे—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है ; और

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से अथवा राज्यों के समूह से, इस सविधान के अनुच्छेद २३६ अथवा २३७ के अधीन की गई किसी संविदा के अनुसार प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग.



## मन्त्रि-परिषद्

शासक को सहा-  
यता और मन्त्रणा  
देने के लिये मन्त्रि-  
परिषद्

१४३. (१) जिन बातों में इस सविधान द्वारा अथवा इसके अधीन शासक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रकार्यों अथवा उनमें से किन्हीं के पालन में स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातों को छोड़ कर, शासक को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रमुख मुख्यमन्त्री होगा. ५

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके सम्बन्ध में, इस सविधान के द्वारा अथवा अधीन शासक को स्वविवेक से कार्य करना अपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय अन्तिम होगा, और शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण कोई प्रश्न न किया जायेगा कि उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था. १०

(३) क्या मन्त्रियों ने शासक को कोई मन्त्रणा दी, और यदि वी तो क्या, इस प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी

मन्त्रियों सबधी  
अन्य प्रावधान

१४४ (१) अपने मन्त्रियों की नियुक्ति शासक करेगा और वे उसके प्रसादकाल तक अपने पद पर आसीन रहेंगे १५

पर बिहार, मध्यप्रान्त और वरार तथा उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मन्त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकेगा

(२) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसकी तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुये प्रश्नों के अनुसार, पद तथा गूढता की शपथें दिलायेगा २०

(३) कोई मन्त्री, जो छ निरन्तर मासों की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात्, मन्त्री न रहेगा.

(४) अपने मन्त्रियों को चुनने में और उनके साथ अपने व्यवहारों में शासक चतुर्थ अनुसूची में दिये हुये निदेशों पर सामान्यतः चलेगा, पर शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई प्रश्न न किया जायेगा कि वह उन निदेशों के अनुकूल नहीं की गई थी. २५

(५) मन्त्रियों के वेतन तथा अधिदेय वे ही होंगे जो समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होंगे.

(६) इस अनुच्छेद के अधीन मन्त्रियों की नियुक्ति और विधुक्ति से सम्बद्ध अपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. ३०

## राज्य का महाधिक्ता

राज्य का महा-  
धिक्ता

१४५. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिक्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाधिक्ता का कर्तव्य होगा कि, वह उस राज्य के शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मन्त्रणा दे और ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो उसे शासक समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस सविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हों ३५

(३) राज्य के मुख्य मन्त्री के पदत्याग पर, महाधिवक्ता अपने पद से निवृत्त होगा, पर वह अपने उत्तराधिकारी की निष्पत्ति अथवा अपनी पुनर्नियुक्ति होने तक पदासीन रह सकेगा.

(४) महाधिवक्ता को वे परितोषण दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे.

### शासन-कार्य का संचालन

५

राज्य-शासन-कार्य  
का संचालन

१४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही शासक के नाम से की गई कही जायेगी.

(२) शासक के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों तथा अन्य विलेखों का प्रमाणिकता उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणिकता आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप १० इस आधार पर न किया जायेगा कि यह, शासक द्वारा दत्त अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है.

शासक को सू-  
चना देने आदि  
विषयक मुख्य  
मन्त्री के कर्तव्य

१४७. प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री का कर्तव्य होगा--

- (क) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रि-परिषद् के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाएं, शासक को पहुंचाना ; १५
- (ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे शासक मंगावे; और
- (ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है किन्तु मन्त्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, शासक के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना. २०

### अध्याय ३ ----राज्य का विधान-मंडल

#### सामान्य

प्रथम अनुसूची  
के भाग १ के  
राज्यों के विधान-  
मंडलों का संघ-  
टन

१४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो शासक, और

- (क) -----राज्यों में, दो आगारों से ; २५
- (ख) अन्य राज्यों में, एक आगार से,

बनेगा.

(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक आगार है वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा. ३०

विधान-सभाओं  
की रचना.

१४९ (१) इस संविधान के अनुच्छेद २६४ और २६५ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा, अव्यवहित निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से बनेगी.

(२) निर्वाचन, प्रौढ मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इकतीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस सविधान अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के अधीन, अनिवास्त, मनोविक्षेप, पातक, अथवा भ्रष्ट या अशुभ आचरण के आधार पर निर्दोष नहीं किया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाता पंजीयित होने का अधिकारी होगा। ५

(३) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र को अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में दी हुई जनसंख्या के आधार पर होगा और आसाम के स्वायत्त शासी मंडलों को छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक लाख के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा

पर किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था १० में तीन सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस सविधान के अनुच्छेद २८६ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान- १५ मंडल, विधि द्वारा निश्चय करे।

पर उस समय वर्तमान विधान-सभा के विलयन होने तक इस पुनर्व्यवस्थापन का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पड़ेगा

विधान परिषदों की रचना

१५० (१) जिस राज्य में विधान-परिषद् है, वहाँ परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस २० प्रतिशत से अधिक न होगी।

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या में से—

(क) आधी, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित अभ्यर्थियों की तालिकाओं में से, चुनी जायेगी ;

(ख) एक-तिहाई, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य, अनुपाती प्रति- २५ निधान पद्धति के अनुसार एकल सक्रम्य मत द्वारा, निर्वाचित करेगे ;

(ग) शेष शासक मनोनीत करेगा।

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, और तत्पश्चात् इस सविधान के अनुच्छेद १५१ के खंड (२) के अनुसार प्रत्येक ३० अर्थात् निर्वाचन के पूर्व, अभ्यर्थियों की पांच तालिकाएँ बनाई जायेगी, जिन में से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम रहेगे और शेष चार में क्रमशः ऐसे व्यक्तियों के नाम रहेगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

(क) साहित्य कला, और विज्ञान ;

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन, और तत्सम्बन्धी विषय ;

(ग) अभियन्त्रणा और वास्तु शास्त्र ;

(घ) लोक-प्रशासन और समाजिक सेवाएँ

(४) इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उस तालिका में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से कम दूनी संख्या होगी।

(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) ऐसी उपयोजनाओं और संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा विनिहित करे।

५

राज्यों के  
विधान-मंडल  
की अवधि

१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और पांच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव विधान-सभा का विलयन होगा।

१०

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् का विलयन न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यों में से, एक-तिहाई के यथा शक्य निकटतम संख्या, उस राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक तृतीय वर्ष की समाप्ति पर, निवृत्त होगी।

राज्य के  
विधान-मंडल  
की सदस्यता के  
लिये आयु-  
सीमा

१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल में स्थान पाने के योग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दशा में पच्चीस वर्ष की, और १५ विधान-परिषद् के स्थान की दशा में पैंतीस वर्ष की, आयु से अग्र्यून न हो।

राज्य के विधान-  
मंडल के सत्र,  
सत्रावसान तथा  
विलयन

१५३. (१) राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छः मास का अन्तर न होगा।

२०

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर—

(क) आगारों को अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ;

(ख) आगार अथवा आगारों का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ग) विधान-सभा का विलयन कर सकेगा।

२५

(३) इस अनुच्छेद के खंड (२) के उपखंड (क) और (ग) में दिये हुये प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा।

आगारों को  
सम्बोधन करने  
और सदेश  
भेजने का शासक  
का अधिकार

१५४. (१) विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक आगार को, अथवा एकत्र हुये दोनो आगारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ३० सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों को भेज सकेगा और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा विचारापेक्षित विषय पर यथासुविध शीघ्रता से ३५ विचार करेगा।

प्रत्येक सत्र-  
रम्भ में  
शासक का  
विशेष अभि-  
भाषण, तथा  
अभिभाषण में  
निर्दिष्ट विषयों  
का विधान-  
मंडल में  
पर्यालोचन.

१५५. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अरजत में, एकत्र हुये दोनों आगारों को, शासक सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण विधान-मंडल को बतलायेगा

(२) किसी भी आगार की कार्यप्रणाली के आनिर्दिष्ट नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ सत्रय रखने के लिये, तथा आगार के अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. ५

आगारों  
विषयक,  
मन्त्रियों और  
महाधिवक्ता के  
अधिकार

१५६. राज्य के प्रत्येक मन्त्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह, उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, दोनों आगारों में तथा आगारों की किसी समुक्त बैठक में, बोले और अन्यथा उनकी कार्यवाहियों में भाग ले, तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिस में उसका १० नाम सदस्यरूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्य कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का अधिकार न होगा

#### राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

विधान-सभा  
का अध्यक्ष  
और उपा-  
ध्यक्ष

१५७. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपा- १५  
ध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुनेगी

अध्यक्ष तथा  
उपाध्यक्ष की  
पद-रिक्ति,  
पदत्याग तथा  
पदनिष्कासन

१५८. किसी विधान-सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ; २०

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद-त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, सभा के तत्कालीन २५  
सभ्य सदस्यों के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो.

३०

पर यह और भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात् होने वाली विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के सत्र पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्षपद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति

१५६. (१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) विधान-सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसका सभा की कार्यप्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति

१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहाँ ऐसी परिषद् है, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को कमज. अपने सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब जब सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब परिषद् किसी १० अन्य सदस्यों को स्थितानुसार सभापति अथवा उपसभापति चुनेगी.

सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति पदत्याग तथा पदनिष्कासन

१६१. किसी विधान-परिषद् के सभापति अथवा उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य—

- (क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर १५ देगा ;
- (ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा ; और
- (ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद् के तत्कालीन २० समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम २५ से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो.

सभापति-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा सभापति के स्थानापन्न होने की, उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.

१६२. (१) जब तक सभापति का पद रिक्त हो, तब तक उपसभापति, अथवा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में, उप-सभापति अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद् की कार्यप्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

अध्यक्ष तथा  
उपाध्यक्ष और  
सभापति तथा  
उपसभापति के  
वेतन तथा  
अधिदेय

१६३ विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः, राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं

५

### कार्य-संचालन

आगारों में  
मतदान,  
रिक्तियों के  
होते हुये  
भी आगारों के  
कार्य करने  
की शक्ति तथा  
गणपूरक

१६४ (१) इस सविधान में प्रावहित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में अथवा दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में, सब प्रश्नों का निश्चयन, अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा १०

अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति, प्रथमतः मत न देगा पर मत-सभता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा। वह उसका प्रयोग करेगा

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि वाद में यह पता चले कि कोई २० अनधिकृत व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाही मान्य होगी

(३) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् की बैठक में किसी समय भी गणपूरक न रहे तो अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये २५ विलम्बित कर दे जब तक गणपूरक न हो जाये

गणपूरक, दस सदस्यों का, अथवा आगार के सदस्यों की समस्त संख्या के छठे भाग का होगा, इन में जो भी अधिक हो

### सदस्यों की नियोग्यताएँ

सदस्य द्वारा  
घोषणा

१६५ राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य ३० अथवा ३५ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व, शासक अथवा शासक द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रश्नों के अनुसार, घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा

स्थानों की  
रिक्ति

१६६ (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मंडल के दोनों आगारों का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके ३५ एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा प्रावधान बनायेगा

(२) कोई व्यक्ति, ससद् और किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनों का सदस्य न होगा और यदि कोई व्यक्ति ससद् और किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनों का सदस्य चुना गया है तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमों में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, उस व्यक्ति का उस राज्य के विधान-मंडल का स्थान रिक्त हो जायेगा, यदि उसने ससद् का अपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया हो। ४०

(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खंड (१) में वर्णित नियोग्यताओं का पात्र हो जाता है; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार अध्यक्ष अथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, ५

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य साठ दिनों की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा.

पर उक्त अवधि की गणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा १० जिस में आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन, हुआ है.

सदस्यता के लिये नियोग्यताएँ

१६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये नियोग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय १५ उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन लाभपद पर आरूढ है, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का नियोग्य न होना, ससद् ने विधि द्वारा, घोषित किया है ;

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; २०

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार किये हुए है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारी अथवा विशेषाधिकारों का अधिकारी है ; २५

(ङ) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार नियोग्य कर दिया गया है.

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति, भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ-३० पद पर आरूढ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है यदि वह, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा ३५ जहाँ राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहाँ विधान-मंडल के अवर-आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि स्थित्यनुसार विधान-मंडल के अथवा आगार के, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित है.



अनुच्छेद १६५  
के अधीन  
घोषणा किये  
बिना, अथवा  
योग्य न होते  
हुये अथवा  
नियोग्य किये  
जाने पर  
बैठने और  
मतदान के  
लिये दंड

१६८. यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस सविधान के अनुच्छेद १६५ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है, अथवा जब वह जानता है, कि में योग्य नहीं है, अथवा उसकी सदस्यता के लिये नियोग्य कर दिया गया है, अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निमित्त किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा करने से वर्जित कर दिया गया है तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में प्रत्यादात होगा। ५

### सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ

सदस्यों के  
विशेषाधिकार  
आदि

१६९ (१) विधान-मंडल की कार्यप्रणाली के आनिर्णायक नियमों और १० स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा.

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, १५ विधान-मंडल के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण-पत्र, पत्र, मतो अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी

(३) अन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के आगार के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ वेही होंगी जो वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि- २० द्वारा परिभाषित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वेही होंगी जो इस सविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस ऑफ़ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं.

(४) जिन्हे, इस सविधान के सामर्थ्य से राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधि- २५ कार है, उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं

सदस्यों के  
वेतन तथा  
अधिदेय

१७० राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयों को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हे उस राज्य का विधान-मंडल, विधि ३० द्वारा, समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे:

## विधान-कार्यप्रणाली

विधेयको के  
पुर स्थापन  
तथा पारण  
विषयक  
प्रावधान.

१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तथा अन्य आर्थिक विधेयकों के विषय में इस सविधान के अनुच्छेद १७३ और १८२ के, प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में, प्रारम्भ हो सकेगा.

५

(२) इस सविधान के अनुच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगारों से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना संशोधन के या दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों ने उसको स्वीकार न कर लिया हो.

१०

(३) आगार अथवा आगारों के सत्रावसान के कारण, किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बमान विधेयक व्ययगत न होगा

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बमान विधेयक, जिसको विधान-सभा ने पारण नहीं किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्ययगत न होगा

(५) जो विधेयक, किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बमान है अथवा जो विधान-सभा द्वारा पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बमान है, वह विधान-सभा के विलयन पर व्ययगत हो जायेगा.

कुछ अवस्थाओं में, विधान-परिषदों वाले राज्यों के दोनों आगारों की संयुक्त बैठक

१७२. (१) विधान-परिषद् वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, किसी विधेयक के पारित होने, और विधान-परिषद् को पारिषित किये जाने, के पश्चात्, विधान-परिषद् द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनों आगारों द्वारा विधेयक को पारण किये बिना, यदि छः से अधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्ययगत नहीं हो गया है तो, विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक आगारों को संयुक्त बैठक के लिये बुला सकेगा.

पर इस खंड की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक पर लागू न होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) में निर्दिष्ट छः मासकी अवधि की गणना २५ में दोनों आगारों के सत्रावसान समय अथवा चार से अधिक दिन के लिये स्थगन समय को न गिना जायेगा

(३) यदि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार आहत दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों आगारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाये तो इस सविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों आगारों से पारित समझा जायेगा :

पर संयुक्त बैठक में—

(क) यदि, विधान-परिषद् ने विधेयक को संशोधनों सहित पारण न किया हो और विधान-सभा को लौटा दिया हो, तो उन संशोधनों (यदि कोई हो) के अतिरिक्त, जो विधेयक के पारण में विलम्ब के कारण आवश्यक हो गये हो, विधेयक पर कोई और संशोधन स्थापित न किये जायेंगे ,

(ख) यदि विधान-परिषद् ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया है और लौटा दिया है तो विधेयक पर केवल पूर्वोक्त सशोधन, तथा ऐसे अन्य सशोधन जो उन विषयो से सगत हैं जिन पर आगारो में सहमति नहीं हुई है, पस्थापित किये जायेंगे ;

और अध्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खंड के अग्रीन कौन से सशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा. ५

मुद्रा विधेयक  
विषयक विशेष  
कार्यप्रणाली

१७३ (१) विधान-परिषद् में मुद्रा विधेयक पुर स्थापित न किया जायेगा.

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् को इसके अभिस्तावो के लिये, पारेषित किया जायेगा, और विधान-परिषद्, विधेयक को प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की अवधि के १० भीतर, विधेयक को अपने अभिस्तावो सहित विधान सभा को, लौटा देगी और तब विधान-सभा, विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को, विधान-सभा स्वीकार कर ले तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत सशोधनो सहित, दोनों आगारो द्वारा पारित समझा जायेगा १५

(४) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावो में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार न करे तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित सशोधनो के बिना विधान-सभा से पारित समझा जायेगा

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तथा विधान-परिषद् को उसके अभिस्तावो के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया न जाये तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनों आगारो द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान-सभा ने उसको पारित किया था २०

मुद्रा विधेयको  
की परिभाषा

१७४ (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक समझा जायेगा जिसमें निम्नलिखित विषयो में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही हो, अर्थात्— २५

(क) किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहरण, परिवर्तन. अथवा आनियमन ,

(ख) राज्य द्वारा मुद्राऋण लेनेका, अथवा प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के सशोधन करने का, आनियमन , ३०

(ग) प्रदाय ,

(घ) राज्य के आगमो का नियोजन ,

(ङ) किसी व्यय को राज्य आगमो पर प्रभूत व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय को राशि की वृद्धि , ३५

(च) राज्य आगमो के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा का समारक्षण या निर्गम अथवा राज्य के लेखे का अकेक्षण ; अथवा

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदो में उल्लिखित विषयानुसंगी कोई विषय

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्राविधेयक न समझा जायेगा, कि वह, अर्थदंडो (जुमानो), या अन्य आर्थिक शास्त्रि के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्पादन, परिहरण, परिवर्तन या आनिधमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल में पुर स्थापित कोई विधेयक मुद्राविधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्राविधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये शासक के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो प्रत्येक मुद्राविधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण, अंकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक है.

विधेयको पर  
अनुमति

१७५. जो विधेयक किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों आगारों द्वारा, पारित कर दिया गया है, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और शासक विधेयक पर अपनी अनुमति देने या रोक लेने अथवा विधेयक को प्रधान के विचारार्थ आरक्षित रखने की घोषणा करेगा :

पर, जहाँ विधान-मंडल का केवल एक आगार है और विधेयक को उस आगार में पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को सदेश के साथ लौटा सकेगा और इस सदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि आगार इस विधेयक पर अथवा इस के किन्हीं उल्लिखित प्रावधानों पर पुनर्विचार करे और विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापन की वाछनीयता पर पुनर्विचार करे जिनको उसने अपने सदेश में अभिस्तुत किया हो, और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तब आगार उस पर तदनुसार विचार करेगा और यदि आगार विधेयक को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पुनः पारण करे, और शासक के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस पर अनुमति नहीं रोकेगा.

विचारार्थ  
आरक्षित  
विधेयक

१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक द्वारा आरक्षित किया जाये तो प्रधान विधेयक पर अपनी अनुमति देने अथवा रोक लेने की घोषणा करेगा :

३०

पर, जहाँ विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहाँ प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के विधान-मंडल के उस आगार को अथवा स्थित्यनुसार उन आगारों को, अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के परादिक में उल्लिखित सदेश के साथ लौटाने के लिये, शासक को आदेश दे सकता है और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक अथवा दोनों आगार उस पर उस सदेश के पाने की तिथि से छ मास की अवधि के भीतर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के पुनः पारण करे तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचारार्थ पुनः उपस्थित किया जायेगा.

आर्थिक विषयों में कार्यप्रणाली

वार्षिक आर्थिक  
विवरण

१७७. (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और ४९

व्यय का विवरणपत्र रखवायेगा जिसे इस सविधान के इस भाग में "वार्षिक आर्थिक विवरण" के नाम से निर्देश किया गया है

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणनाओं में—

- (क) जो व्यय इस सविधान में राज्य-आगमो पर प्रभूत व्यय के रूप से वर्णित है उन ही पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ ; और ५
- (ख) राज्य-आगमो से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ ,

पूथरू पूथरू दिखाई जायेंगी, और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा

(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के आगमो पर प्रभूत व्यय होगा— १०

- (क) शासक के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;
- (ख) विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, विधान-परिषद् के सभापति तथा उस सभापति के भी परिलाभ और अधिदेय , १५
- (ग) ऐसे ऋण प्रभार, जिनकी देयता राज्य पर है, जिसमें व्याज-प्रतिस्थापन प्रणोवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण-निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ,
- (घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अधिदेयो २० सम्बन्धी-व्यय ,
- (ङ) किसी न्यायालय अथवा त्रिवाची धर्माधिकरण के निर्णय, प्रादेश अथवा परिनिर्णय के सतोषण के लिये अपेक्षित कोई राशियाँ ;
- (च) इस सविधान से, अथवा राज्य के विधान-मडल से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभूत घोषित किया गया कोई अन्य व्यय. २५

विधान-मडल में आगणना-विषयक-कार्य-प्रणाली

१७८ (१) जितनी आगणनाएँ राज्य के आगमो पर प्रभूत व्यय से सम्बद्ध हैं वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेगी, किन्तु इस खड की किसी बात का यह अन्वय न किया जायेगा कि वह, विधान-मडल में, इनमें से किसी आगणना के पर्यालोचन को, रोकती है

(२) उक्त आगणनाओं में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, विधान-सभा ३० के समक्ष अनुदान माग के रूप में रखी जायेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी माग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी माग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे

(३) शासक के अभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की माग न की जायेगी

प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन

१७९ (१) शासक अपने हस्ताक्षर द्वारा—

- (क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों का , ३५

(ख) राज्य के आगमो पर प्रभूत व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियों का, किन्तु जो आगार अथवा आगारो के समक्ष, पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नहीं ;

उल्लेख करने वाली सूची को प्रामाणिक करेगा

(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची विधान-सभा के समक्ष रखी जायेगी किन्तु विधान-मंडल में उस पर पर्यालोचन अथवा मतदान न हो सकेगा. ५

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, राज्यों के आगमो में से कोई भी व्यय सम्यक प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित न हो. १०

व्यय के अनुपूरक  
विवरण

१८०. यदि किसी आर्थिक वर्ष में, राज्य के आगमो से उस वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय आवश्यक हो जाता है, तो शासक, उक्त व्यय की आगणित राशि को दिलाने वाले अनुपूरक विवरण को आगार अथवा आगारो के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हैं. १५

अतिशायी  
अनुदान

१८१. यदि किसी आर्थिक वर्ष में राज्य के आगमों में से किसी सेवा पर, जिस पर कि विधान-सभा का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो, विधान-सभा के समक्ष उस आधिक्य के लिये माग उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के अनुच्छेद १७८ और १७९ के प्रावधान ऐसी माग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे अनुदान की माग के लिये प्रभावी हैं. २०

आर्थिक  
विधेयको के लिये  
विशेष प्रावधान

१८२. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से (च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा संशोधन शासक के अभिस्ताव के बिना पुर स्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायेगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुर-स्थापित न किया जायेगा : २५

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी. ३०

(२) कोई विधेयक अथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह अर्थ दंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या अनियमन का प्रावधान करता है. ३५

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, राज्य के आगमो से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्ताव न किया हो. ४०

## सामान्य कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली  
के नियम

१८३ (१) इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्यसंचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व, राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे सपरिवर्तनों तथा उपयोजनों के साथ जिन्हें विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जैसी भी स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे। १०

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, शासक, दोनों आगारों की संयुक्त बैठक-सम्बन्धी, तथा, उनमें परस्पर सचर-सम्बन्धी, कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में विधान-सभा का अध्यक्ष, अथवा १५ उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यायी होगा जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार निश्चय हो

राज्यों के  
विधान-मंडलों  
में प्रयोक्तव्य  
भाषा

१८४ (१) किसी राज्य के विधान-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में, अथवा हिन्दी में, अथवा प्रग्रेजी में, किया जायेगा

(२) विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जब २० कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, उस राज्य में सामान्य तथा प्रयुक्त किसी भाषा में अथवा प्रग्रेजी में संक्षेप, विधान-सभा में अथवा विधान-परिषद् में, जैसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रवन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार को कार्यवाहियों के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था २५

विधान-मंडल  
में पर्यालोचन  
पर आयतन

१८५ (१) सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई पर्यालोचन न होगा

(२) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश ३० होगा जो इस सविधान के भाग ५ के अध्याय ४ में दिये हुये किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय हैं

विधान-मंडल  
की कार्यवाहियों  
की, न्यायालय  
परिपृच्छा न  
करेंगे

१८६ (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमिता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल को किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी

(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें ३५ इस सविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, उस विधान-मंडल में कार्यप्रणाली को अथवा कार्यसंचालन को आनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होंगे।

### अध्याय ४.—शासक की विधायिनी शक्ति

विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में शासक की अध्यादेश-प्रवर्तनशक्ति.

१८७. (१) उम समय को छोड़ कर जब, राज्य की विधान-सभा, और जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहा, विधान-मंडल के दोनो आगार, सन्नस्थ है, यदि किसी समय शासक को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितिया विद्यमान है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा ५ जो उसे परिस्थितियों के कारण आवश्यक दीखें :

पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रवर्तन न करेगा यदि राज्य के विधान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानो वाला अधिनियम इस सविधान के प्रावधानो के अवीन अमान्य होता, जबतक कि प्रधान के विचार के निचे आरक्षित किया जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती. १०

(२) इस अनुच्छेद के अवीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही दल और प्रभाव होगा जो शासक द्वारा स्वीकृत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, और जहा राज्य में विधान-परिषद् है वहा दोनो आगारों के समक्ष रखा जायेगा और विधान-मंडल के पुन अधिविष्ट होने से छ. सप्ताह के अवसान पर, अथवा यदि उस कालावधि के अवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिधता का सकल्प विधान-सभा से पारित और यदि विधान-परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो सकल्प पारण होने पर, अथवा सकल्प स्वीकृत होने पर, जैसी स्थिति हो, प्रवृत्त न रहेगा ; और १५

(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकेगा.

व्याख्या —जब विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगार भिन्न तिथियों में पुन एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खड के प्रयोजनार्थ छ. सप्ताह की अवधि को गणना उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी २५

(३) इस अनुच्छेद के अवीन प्रवर्तित अध्यादेश, यदि और जिस मात्रा तक ऐसा प्रावधान करता है जो विधान-मंडल द्वारा निर्मित और शासक द्वारा स्वीकृत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा .

पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का, ससद् अधिनियम से अथवा किसी वर्तमान विधि से, किसी समवर्ती सूची में अंकित किसी विषय के सम्बन्ध में, ३० विरोध का प्रभाव दर्शानेवाले इस सविधान के प्रावधानो के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान के निदेश से प्रवर्तित अध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है और जिस को उसने स्वीकृति दे दी.

### अध्याय ५.—गम्भीर सद्यस्कृत्य स्थिति विषयक प्रावधान

३५

गम्भीर सद्य-स्कृत्यस्थिति में शासक की शक्ति.

१८८. (१) यदि किसी समय किसी राज्य के शासक को समाधान हो जाये कि, गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की शान्ति और अक्षोभ शक्तास्पद हो गए हैं और इस सविधान के प्रावधानो के अनुसार राज्य का शासन चलाना सम्भव नहीं रहा, तो वह उद्घोषणा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि मैं अपने



प्रकार्यों को उद्घोषणा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊँगा। ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुष्णिक तथा सननुवर्ती प्रावधान रह सकेंगे जैसे शासक को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें। इन प्रावधानों में, राज्य के किसी निकाय अथवा प्राधिकारी सबधी इस सविधान के किन्हीं प्रावधानों के प्रवर्तन को पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगन करने के लिये प्रावधानों का समावेश हो सकेगा।

पर इस खण्ड की किसी भी बात से शासक को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालयों सबधी इस सविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन को या तो पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगन करे।

(२) शासक, उद्घोषणा की सूचना प्रधान को तुरन्त ही देगा और प्रधान १० तब या तो उस उद्घोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी यह इस सविधान के अनुच्छेद २७८ के अधीन अपने में निहित सद्यस्कृत्यता की शक्तियों के प्रयोग में समुपयुक्त समझे।

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा दो सप्ताह की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी यदि उसे शासक अथवा प्रधान ने लोक अधिसूचना द्वारा उससे १५ पूर्व ही खण्डित न कर दिया हो।

(४) इस अनुच्छेद के अधीन अपने प्रकार्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से करेगा।

#### अध्याय ६ — अनुसूचित और वनजाति-क्षेत्र

परिभाषाएँ

१८६ इस सविधान में—

२०

(क) “अनुसूचित क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो पंचम अनुसूची की कण्डिका १८ से सलग्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित हैं, तथा जिनका सबध उन राज्यों से है जिनसे वे भाग संबद्ध हैं,

(ख) “वन-जाति-क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो षष्ठ अनुसूची २५ की कण्डिका १६ से सलग्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित हैं।

अनुसूचित और वन-जाति-क्षेत्रों का प्रशासन

१६० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उक्त समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिये पंचम अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे।

३०

(२) आसाम राज्य के वनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे।

#### अध्याय ७ — राज्यों के उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का अर्थ

१६१ (१) इस सविधान के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़ कर, भारत के राज्य क्षेत्र के सबध में निम्न-लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च न्यायालय, पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय और अवध का मुख्य न्यायालय,

- (ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस अध्याय के अनुसार उच्च न्यायालय सस्थापित अथवा पुनःसंस्थापित किया गया हो ; और
- (ग) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे समुपयुक्त विधान-मण्डल विधि द्वारा इस सविधान के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय घोषित करे :

पर यदि समुपयुक्त विधान मण्डल इस खण्ड में वर्णित किसी न्यायालय या न्यायालयों का स्थान लेने के लिये किसी उच्च न्यायालय के स्थापन का प्रावधान करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापन-काल से इस अनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय या न्यायालयों के स्थान में १० इस नये न्यायालय का वर्णन रहा हो.

(२) अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोड़ कर, इस अध्याय के प्रावधान, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लागू होंगे.

उच्च न्यायालयों  
का सघटन

१६२ प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और वह एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों और इस अध्याय के आगामी प्रावधानों के अनुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्हीं अपर न्यायाधीशों को मिला कर उनकी संख्या किसी भी समय उस अधिकतम संख्या से अधिक न होगी जो प्रधान उस न्यायालय के सर्वेभ में आदेश द्वारा निश्चित करे.

उच्च न्यायालय  
के न्यायाधीश  
की नियुक्ति और  
उस के पद के  
प्रतिबन्ध

१६३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के शासक से, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अवस्था में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, परामर्श करने के पश्चात् प्रधान, स्वहस्ताक्षरित तथा स्वमुद्रांकित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले, या उससे अधिक उतने वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले जो पैंसठ वर्ष से अधिक न हो और जिसे उस राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ निश्चित करे :

पर--

- (क) कोई न्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ३० अपने पद को त्याग सकेगा ;
- (ख) इस सविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ;
- (ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जायेगा.

(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ; और—

- (क) किसी राज्य में जिसने या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय है वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो ; या ५
- (ख) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो अथवा अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो.

व्याख्या १—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ—

- (क) किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी १० व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो ;
- (ख) उस कालावधि की गणना में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसी १५ उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है, इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व की उस अवधि का भी समावेश किया जावेगा जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ के पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, की परिभाषा के अनुसार ब्रिटिश भारत में था, न्यायिकपद धारण किया हो अथवा २० ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो.

व्याख्या २—इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) में उच्च न्यायालय के निर्देश में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस सविधान के अनुच्छेद १०३ और २५ १०६ के प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय है

सर्वोच्च न्याया-  
लय सम्बन्धी  
कतिपय प्रावधानों  
की उच्च न्याया-  
लयों पर प्रयुक्ति

१९४ इस सविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) और (५) के प्राव-  
धान, उच्च न्यायालय के संबन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय  
के संबन्ध में लागू हैं, और जहाँ जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उनके स्थान में  
उच्च न्यायालय के निर्देश ही जाएंगे. ३०

पद-प्रवेश से  
पूर्व उच्च न्याया-  
लयों के न्याया-  
धीशों की  
घोषणा

१९५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्त,  
प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक के समक्ष अथवा उससे तदर्थ  
नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार  
घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

उच्च न्यायालय  
में न्यायाधीश का  
पद धारण कर  
चुके हुए व्यक्ति  
के लिये न्याया-  
लयों में अथवा  
किसी प्राधिकारी  
के समक्ष अधि-  
वचन करने पर  
प्रतिषेध

न्यायाधीशों के  
वेतन, आदि

अस्थायी न्याया-  
धीश

अपर न्याया-  
धीश

१९६. कोई व्यक्ति जो—

- (क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, अथवा  
(ख) अधिवक्ता वर्ग (वार) में से भर्ती किया जाकर किसी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश का, पद धारण कर चुका है, भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा.

१९७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई विधि में, अथवा १० विधि के अधीन, नियत किये गये हों जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय का मुख्य अधि-ष्ठान (सोट) हो, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है:

पर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार सहस्र रुपये १५ प्रति मास से कम न होगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश का वेतन साढ़े तीन सहस्र रुपये प्रति मास से कम न होगा:

पर यह और भी कि न तो न्यायाधीश के वेतन में और न अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो.

१९८. (१) जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) (क) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का पद २५ रिक्त हो अथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाये, या जब अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, उस न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा.

(ख) नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाएगा.

(ग) इस खण्ड की किसी बात से, प्रधान को, इस खण्ड के अधीन की हुई किसी नियुक्ति के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी.

१९९. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि होने के कारण ३५ अथवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के अवशिष्ट रहने के कारण प्रधान को यह दीखे, कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या सम्बन्धी इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो वह निर्धारित करे उस ४० न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा.

सेवा-निवृत्त  
न्यायाधीशों की  
उच्च न्यायालयों  
की बैठकों में  
उपस्थिति

२००. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा . ५

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करनेवाली न समझी जायेगी. १०

विद्यमान उच्च  
न्यायालयों के  
क्षेत्राधिकार.

२०१ इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और इस संविधान द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, और उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की क्रमशः शक्तियाँ, जिनमें न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले या भाजन न्यायालयों में बैठने के आनियमन करने की शक्ति का समावेश है, वैसी ही रहेगी, जैसी इस सविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व थीं. १५

पर आगम-सम्बन्धी, अथवा उसके इकट्ठा करने में आदिष्ट अथवा कृत किसी कार्य सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी आयन्त्रण के अधीन इस सविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व था, वह आयन्त्रण ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर अब लागू न होगा. २०

विशेष लेखों के  
निकालने की  
उच्च न्यायालयों  
की शक्ति

२०२. (१) इस सविधान के अनुच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूर्ण क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस सविधान के भाग ३ में प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी प्रवर्तन करने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजनार्थ, बन्धुपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-रुद्ध और उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश निकालने की शक्ति होगी २५

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, इस सविधान के अनुच्छेद २५ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा ३०

उच्च न्यायालयों  
के प्रशासन-  
प्रकार्य

२०३ (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर अधीक्षण करेगा.

(२) उच्च न्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्यायनगा सकेगा ;

(ख) किसी व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से समान अथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरण करने का निदेश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं अपने पास ले सकेगा ; ३५

(ग) ऐसे न्यायालयों की कार्यरिती और कार्यवाहियों के आनियमन के हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा; और

(घ) इन न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रलिष्टियों और लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा. ५

(२) उच्च न्यायालय, उन शुल्कों की सारणिया भी निश्चित कर सकेगा जो इन न्यायालयों के प्राड्विवाककों तथा समस्त लिपिकों और अधिकारियों को, तथा इनमें वृत्तिकारी प्राधिकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अभिवक्ताओं को मिल सकेगे :

पर इस अनुच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के अधीन बनाये हुए कोई १० नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र अथवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान किसी विधि के प्रावधानों से असङ्गत न होगी, और इन सब के लिये शासक के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी.

विशेष अभियोगों के वैधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को हस्तान्तरण.

२०४. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लम्बमान किसी अभियोग में इस सविधान के निर्द्वचन विषयक कोई सार- १५ वद् विधि प्रश्न अन्तर्भूत है, तो वह उस अभियोग को अपने पास ले लेगा और उसका निर्णय करेगा.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में “उच्च न्यायालय” में इस प्रकार लम्बमान किसी अभियोग के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के अन्तर्गत अन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश है. २०

उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय.

२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेयो तथा उत्तर वेतनों को, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियों २५ तथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा अधिदेय भी सम्मिलित हैं, उस राज्य के आगमो पर प्रभूत होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क अथवा अन्य मुद्रायें उन आगमो के भाग होंगे.

उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति.

२०६. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य ३० का विधान-मण्डल विधि द्वारा अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय संस्थापित कर सकता है अथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता है, अथवा यदि उस राज्य में दो उच्च न्यायालय हैं तो उनको मिला कर एक बना सकता है.

(२) जहाँ, पूर्वोक्त अनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन अथवा दो ३५ न्यायालयों का समाभिलन किया गया है वहाँ उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि में—

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाधीशों के, तथा ऐसे वर्तमान अधिकारियों और सेवकों के, जो आवश्यक समझे जायें, अपने अपने पदों पर चालू रखने के लिये; और ४०

(ख) समस्त लभ्यमान विषयो का, पुनस्तस्थापित न्यायालय अथवा नवीन न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिये, प्रावधान रहेगा और उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्तस्थापन अथवा समामेलन के कारण आवश्यक दीखें.

उच्च न्यायालयो के क्षेत्राधिकार में विन्तार अथवा अपवर्जन

२०७ ससद् विधि द्वारा—

५

(क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है, उस से भिन्न राज्य में अथवा भिन्न राज्य के किसी क्षेत्र में; अथवा

(ख) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है उस से भिन्न राज्य से अथवा भिन्न १० राज्य के किसी क्षेत्र से,

कर सकेंगी :

पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये ससद् के किसी आगार में कोई विधेयक पुरः स्थापित न किया जायेगा जब तक कि—

(१) जहा प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग क में उस समय १५ उल्लिखित रहे राज्य में, अथवा ऐसे राज्यान्तर्गत किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य अथवा क्षेत्र से क्षेत्राधिकार का अपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(२) जहा क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति २० न ले ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है

राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में, राज्यों के विधान-मंडलो की, विधि बनाने की शक्ति पर आयत्रण

२०८. जहा, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसमें उसका मुख्य अधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो इस सविधान की किसी बात का यह अन्वय न होगा कि वह—

२५

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, आयत्रण या उत्पादन की शक्ति प्रदान करती है ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, ३० उस क्षेत्राधिकार के उत्पादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले विधान-मंडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-विषयक ऐसी विधिया पारित करने से, अवरोध ३५ करती है, जैसी कि वह, इस अनुच्छेद के खड (ख) के अधीन रहते हुये, पारित करने के लिये अधिकृत होती, यदि उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान उस क्षेत्रमें होता.

निर्वचन.

२०६ जहाँ कोई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो—

- (क) इस अध्याय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में, शासक के प्रति जो निर्देश हैं उनका अन्वय उस राज्य के शासक के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुख्याधिष्ठान है ;
- (ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिये बने नियमों, प्रपत्रों तथा सारणियों के, शासक द्वारा अनुमोदन के लिये जो निर्देश हैं, वह उस राज्य के शासक या नरेश द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा १० जिसमें अधीनस्थ न्यायालय स्थित है, और यदि वह किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो प्रधान द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा ;
- (ग) राज्य के आगमों के प्रति जो निर्देश हैं, वे उस राज्य के आगमों १५ के प्रति माने जायेंगे जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

### अध्याय ६.—राज्यों के मुख्याधिकार

राज्य के मुख्या-  
केक्षक

२१० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक की नियुक्ति के लिये २० प्रावधान कर सकेगा और जब ऐसा प्रावधान किया जा चुके तो, शासक स्वविवेक से उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त मुख्याकेक्षक अपने पद से, केवल उस रीति और उन कारणों से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, जिस रीति और जिन कारणों से कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निष्कासित किया जा सकता है. २५

(२) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन पारित अधिनियम, यह प्रावधान करेगा कि उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक की नियुक्ति तब तक न की जायगी जब तक कि अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् प्रकाशन-तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें.

(३) प्रत्येक ऐसा अधिनियम, मुख्याकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धों और राज्य ३० के लेखा-सम्बन्धी मुख्याकेक्षक द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों और प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों का विनिधान करेगा और मुख्याकेक्षक को, अथवा उस के सम्बन्ध में देय वेतन, अधिदेयों और उत्तरवेतन को राज्य के आगमों पर प्रवृत्त घोषित करेगा.

(४) किसी राज्य का मुख्याकेक्षक अपने पद के पर्यवसान के पश्चात्, भारत का महाकेक्षक अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी ३५ अन्य राज्य का मुख्याकेक्षक नियुक्त होने का पात्र हो सकेगा किन्तु वह भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का पात्र न होगा.

(५) राज्य के मुख्याकेक्षक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, अधिदेयों तथा उत्तरवेतनों को मुख्याकेक्षक, शासक से परामर्श ४० करके नियत करेगा और वे राज्य-आगमों पर प्रभृत् होंगे.



(६) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के लेखों के विषय में, भारत के महाक्षक की ऐसे निदेश देने की शक्ति का अल्पीकरण न होगा, जैसे कि इस सविधान के अनुच्छेद १२६ में निर्दिष्ट है.

अकेक्षण-प्रति-  
वेदन

२११ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के लेखो-सम्बन्धी, भारत के महाक्षक के अथवा राज्य के मुख्याक्षक के, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदनी को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा ५

## भाग ७

## प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य

प्रथम अनुसूची  
के भाग २ में  
दिये हुए राज्यों  
का प्रशासन

२१२. (१) इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा तक जितनी कि वह उपयुक्त समझे, अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) या उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा, अथवा निकटस्थ राज्य के शासक या नरेश के द्वारा, करेगा ५

पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के शासक अथवा नरेश के द्वारा कार्य न करेगा जब तक कि वह—

- (क) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले, और १०  
(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगों की इच्छाओं को उस प्रकार से जान न ले जिस प्रकार से कि प्रधान अत्यन्त समुचित समझे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी ऐसे राज्य का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये और शासन-सम्बन्धी सम्पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियों को भारत-शासन को दे चुका है, सब बातों में उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो वह प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य है और तदनुसार इस सन्विधान के पूर्वोक्त भाग २ में उल्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लागू होंगे. १५

स्थानीय विधान-  
मंडल या  
मन्त्रणा-परिषद्  
बनाना व चालू  
रखना

२१३. प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) अथवा उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये, आदेश द्वारा, प्रधान— २०

- (क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या  
(ख) एक मन्त्रणा-परिषद्,

अथवा दोनों बना सकेगा अथवा चालू रख सकेगा, और प्रत्येक का सस्थापन शक्तियाँ तथा प्रकार्य आदेश में उल्लिखित होंगे २५

कुर्ग.

२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक कुर्ग विधान-परिषद् का सस्थापन, शक्तियाँ और प्रकार्य तथा कुर्ग में सगृहीत आगमों से और वहाँ के व्ययों से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे.

## भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र  
जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है

प्रथम अनुसूची  
के भाग ४ में  
उल्लिखित  
राज्यक्षेत्रों का,  
और अन्य  
राज्य-क्षेत्रों का  
जो उस अनुसूची  
में उल्लिखित  
नहीं है, प्रशा-  
सन

२१५. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, और किसी अन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत है परन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त समझे अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ कमिश्नर) या अन्य प्राधिकारी के द्वारा करेगा ५

(२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये आनियम बना सकेगा और इस प्रकार बना हुआ कोई आनियम, ससद् निर्मित किसी विधि का १० अथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लागू रही किसी वर्तमान विधि का विखडन अथवा संशोधन कर सकेगा और प्रधान से प्रवर्तित होने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू ससदाधिनियम का.

## भाग ६

## संघ और राज्यों के सम्बन्ध

## अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध

## विधायिनी शक्तियों का विभाजन

संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलो द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार

२१६. (१) इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद्, भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अन्तर्गत उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि वह अपने राज्यक्षेत्र से बाहर प्रवृत्त होती है, अमान्य नहीं समझी जायेगी। १०

संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान मंडलो द्वारा निर्मित विधि के विषय

२१७. (१) निकटस्थ आगामी दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, सप्तम अनुसूची की सूची १ में (जो इस सविधान में "संघ सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) निकटस्थ आगामी खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, और १५ पूर्ववर्ती खंड के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची ३ में (जो इस सविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति है।

(३) पूर्ववर्ती दो खंडों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, २० उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची २ में (जो इस सविधान में "राज्य सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(४) संसद् को, भारत-राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये जो प्रथम अनुसूची २५ के भाग १ अथवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय "राज्य सूची" में अंकित हो।

सर्वोच्च न्यायालय-सम्बन्धी विधान

२१८. संसद् को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, सघटन, अधिकार-क्षेत्र तथा शक्तियों के विषय में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद् की शक्ति

२१९. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् निर्मित विधियों ३० के, अथवा "संघ सूची" में अंकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के अधिक अच्छे प्रशासन के लिये, संसद् अपर न्यायालयों के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है।

उच्च न्यायालयो  
के सस्थापन और  
सघटन सम्बन्धी  
विधान

२२० (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान मडल को, राज्य के अन्दर अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के सस्थापन और सघटन-सम्बन्धी विधि बनाने की, अनन्य शक्ति है

(२) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य में अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के सस्थापन और सघटन सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति है ५

उच्च न्यायालयो  
के अधिकारक्षेत्र  
और शक्तियो-  
सम्बन्धी विधान

२२१ (१) सघ सूची में अंकित किसी विषय के बारे में, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र तथा शक्तियो सम्बन्धी विधि बनाने की संसद् को अनन्य शक्ति है

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान १० मडल को, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(३) ससद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित १५ रहे राज्य के विधान-मडल को भी, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "समवर्ती सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की शक्ति है.

(४) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे २० राज्य अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य-सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे में विधि बनाने की शक्ति है.

दीवानी और फौज-  
दारी विषयो में  
अनुसरणीय  
कार्यप्रणाली  
सम्बन्धी विधान

२२२ संसद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य २५ अधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी और फौजदारी विषयो में अनुसरणीय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति है

अवशिष्ट विधान  
शक्ति

२२३ (१) ससद् को, ऐसे किसी विषय में जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य सूची" में अंकित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है

(२) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है जो उन ३० सूचियो में से किसी में निर्दिष्ट नहीं है.

प्रथम अनुसूची के  
भाग ३ में के  
राज्यो के सम्बन्ध  
में किन्ही विषयो  
पर विधि बनाने  
की ससद् की  
शक्तियो पर  
आयन्त्रण

२२४. इस सविधान के अनुच्छेद २१७ के खड (१) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ससद् को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के डाक तथा तार सम्बन्धी ३५ किसी अधिकार के विषय में जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि की विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्ति न होगी जब तक कि वह अधिकार भारत-शासन और उस राज्य अथवा राज्य-समूह के मध्य सविदा से अन्त न हो जाए अथवा भारत शासन द्वारा अवाप्त न कर लिया जाए :

पर इस खंड की कोई बात, संसद् को, उस राज्य अथवा राज्य समूह में डाक और तार को आनियमन अथवा वश में करने के लिये कोई विधि बनाने से न रोकेगी ,

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में टेलीफोन, वायरलेस, आकाश-वाणी (ब्रॉडकास्टिंग), और इस प्रकार संचार के अन्य रूपों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उनके आनियमन और वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ;

(ग) निगमों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य १० के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहने वाले और केवल उस राज्य के भीतर व्यापार करने वाले निगमों के निगमन, आनियमन तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति का समावेश न होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति का विस्तार

२२५. इस अध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के लिये विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य अथवा राज्य-समूह और भारत-शासन के मध्य की गई संविदा के अभिसमयों और उस में स्थित परिसीमाओं के अधीन रहेगी. १५

राष्ट्रीय हित में "राज्यसूची" में के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति.

२२६. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद् नें, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक अथवा उपयुक्त है कि संसद्, "राज्य-सूची" में अंकित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद् के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण भारत-राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना बंध होगा. २५

जब सद्यस्कृत्य-स्थिति घोषणा प्रवृत्त है तब "राज्य सूची" में के विषयों के सबंध में विधि बनाने की, संसद् की शक्ति.

२२७. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, जब तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवर्तन है, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये, "राज्यसूची" में अंकित विषयों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी.

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् सद्यस्कृत्य स्थिति घोषणा के अभाव में बनाने में समर्थ न होती, घोषणा के प्रवर्तन काल की समाप्ति के पश्चात् छः मास की अवधि बीतने पर, असमर्थता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावहीन होगी जो उस अवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गईं.

अनुच्छेद २२६ और २२७ के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.

२२८. इस सविधान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान के अधीन उसे प्राप्त है, संकुचित न करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई प्रावधान, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की अधिकारी है, किसी प्रावधान के विरुद्ध है तो संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो, और राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीन तब तक होगी जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे. ३५ ४०

एक या अधिक राज्यों के लिये उनकी समिति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और एसी विधि का दूम्ने किसी राज्य द्वारा अभिग्रहण

२२६. (१) यदि किसी एक अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडल अथवा विधान-मंडलो को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद को, अनुच्छेद २२६ और २२७ के प्रावधानों के अतिरिक्त, उस राज्य अथवा उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का आनियमन उस राज्य या उन राज्यों में संसद, विधि द्वारा करे और उस राज्य के अथवा उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के आगार ने अथवा जहाँ दो आगार हों वहाँ दोनों आगारों ने तदर्थ संकल्प अथवा संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय को तदनुकूल आनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद के लिये वैध होगा, और इस प्रकार पारित कोई अधिनियम उस राज्य अथवा उन राज्यों को लागू होगा और किसी अन्य राज्य को लागू होगा जो, एतत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के आगार अथवा जहाँ दो आगार हों, तो दोनों आगारों से एतदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका अभिग्रहण करे. ५

(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम, इसी प्रकार पारित या अभिग्रहीत संसदाधिनियम से संशोधित या विखंडित किया जा सकेगा, परन्तु किसी राज्य के संबंध से जहाँ कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम से संशोधित या विखंडित न किया जा सकेगा. १०

अन्ताराष्ट्रीय सविदाओं के पालनार्थ विधान

२३०. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी रहते हुए संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की हुई किसी संधि, सविदा अथवा सप्रतिज्ञा के सम्पालनार्थ, किसी राज्य अथवा उसके भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है

संसद द्वारा निर्मित और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति

२३१. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि का कोई प्रावधान यदि, संसद द्वारा बनाई हुई विधि के, जिसे संसद अधिनियमित करने को समर्थ है, किसी प्रावधान के, अथवा किसी ऐसे विषय की वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विरुद्ध है जिसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है, तो इस अनुच्छेद के खंड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई हुई विधि, चाहे वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, अभिभावी होगी, और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी.

(२) जहाँ, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबंध "समवर्ती सूची" में अंकित विषयों में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो संसद द्वारा निर्मित पूर्वतन विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि अभिभावी होगी यदि वह प्रधान के विचारार्थ आरक्षित की गई हो और उसकी सम्मति प्राप्त कर चुकी हो :

पर इस खंड की कोई बात, संसद को, किसी समय उसी विषय के सबंध में विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसी किसी विधि का भी समावेश है जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का संशोधन, परिवर्तन या विखंडन करे. ३०

विधायिनी शक्तियों पर आयत्रण

अभिस्तावों की अपेक्षाओं को केवल कार्य-प्रणाली के विषय मानना

२३२ संसद का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई प्रावधान, केवल इस कारण से कि इस सविधान द्वारा अपेक्षित कोई अभिस्ताव नहीं दिया गया था, अमान्य न होगा यदि उस अधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो— ४०

(क) शासक अथवा प्रधान द्वारा, जहाँ अपेक्षित अभिस्ताव शासक का इष्ट था,

(ख) प्रधान द्वारा, जहाँ अपेक्षित अभिस्ताव प्रधान का इष्ट था.

## अध्याय २—प्रशासन सम्बन्ध

### सामान्य

संघ और राज्यों के कर्तव्य

२३३. प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संसद् द्वारा निर्मित विधियों वा तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान विधियों का पालन सुनिश्चित रहे और संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे। ५

संघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का राज्यों का कर्तव्य

२३४. (१) प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संघ की अधिशासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट अथवा विरोध न हो और संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे। १०

(२) संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, राज्य को किसी ऐसे संचार-साधनों की रचना तथा सधारण के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो:

पर इस अनुच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद् की शक्ति को, अथवा ऐसे घोषित राजमार्ग या जल-मार्ग के सबंध में संघ की शक्ति को, अथवा जलबल, थलबल और नभ-बल के कार्यों के सबंध में संचार-साधनों को रचने और सधारण करने की संघ की शक्ति को आयन्त्रण करने वाली नहीं मानी जायेगी। १५

विशेष अवस्थाओं में राज्यों को अधिकार-प्रदान की संसद् की शक्ति

२३५ (१) इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के शासन की अनुमति से प्रधान, उस शासन को अथवा उसके अधिकारियों को ऐसे विषय सबंधी प्रकार्य, जो संघ की अधिशासी शक्ति में हैं, प्रतिबन्ध सहित अथवा बिना प्रतिबन्ध के सौंप सकता है। २०

(२) संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लागू होती है, उस राज्य को, अथवा उसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, शक्तियों का प्रदान और उन पर कर्तव्यों का आरोपण कर सकेगी अथवा शक्ति-प्रदान तथा कर्तव्य-आरोपण करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय से सबंध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है। २५

(३) जहां इस अनुच्छेद के कारण किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रदान अथवा उन पर कर्तव्यों का आरोपण किया गया है, वहां उन अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के सबंध में उस राज्य का जो कुछ अधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को सविधानुसार धनराशि देगा और सविदा के अभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाचक निश्चय करे। ३५



किन्हीं राज्यों में, वैधानिक, अधि-शासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की सध की शक्ति।

२३६ (१) भारत-शासन, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ सविदा करके, परन्तु सध और उस राज्य के बीच सबध के विषय में इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस राज्य में निहित किन्हीं अधिशासी, वैधानिक, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण कर सकेगा।

(२) भारत शासन, प्रथम अनुसूची में उस समय अनुल्लिखित रहे किसी भारतीय राज्य के साथ भी उस प्रकार की सविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी सविदा, उस समय प्रवर्तमान वैदेशिक अधिकारक्षेत्र के प्रयोग स्वधी विधि के अधीन रहेगी तथा उससे शासित होगी।

टिप्पणी—इस अनुच्छेद में “भारतीय राज्य” का अर्थ है कोई राज्यक्षेत्र जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता है परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र १० का भाग नहीं है।

(३) यदि इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार किसी राज्य के साथ की गई सविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके सबध में, उस राज्य के साथ इस सविधान के अनुच्छेद २३७ के अनुसार, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन द्वारा की गई सविदा में पहिले ही १५ प्रावधान है तो पूर्वोल्लिखित सविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोल्लिखित सविदा जहा तक उसमें ऐसे विषय का प्रावधान है, खण्डित और प्रभावहीन मानी जायेगी।

(४) सध और प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार सविदा हो जाने पर—

(क) सध की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा,

(ख) ससद को, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के सबध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस सविधान के अनुच्छेद ११४ के खंड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस २५ सविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के सबध में क्षेत्राधिकार होगा।

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों में, वैधानिक, अधि-शासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की, प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की शक्ति

२३७ (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ तदर्थ की हुई सविदा द्वारा कोई वैधानिक, अधिशासी अथवा न्यायिक प्रकार्यों ३० को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित है, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा।

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार सविदा हो जाने पर— ३५

(क) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा,

(ख) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विधान-मंडल को, उस सविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और ४०

(ग) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यायालय और अन्य उपयुक्त न्यायालयों को उस सविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार होगा.

सार्वजनिक क्रिया,  
उल्लेख-पत्र, तथा  
न्यायिक  
कार्यवाहिया

२३८. (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्रों में, संघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, उल्लेख-पत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास ५ और पूरी मान्यता दी जायेगी.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) में उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रों तथा कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और प्रतिबन्ध, तथा उनके प्रभाव का निश्चयन विधि के प्रावधानों के अनुसार होगा.

(३) भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में दीवानी अदालतों (व्यवहार-न्याया-१० लयों) द्वारा दिये गए अन्तिम-न्यायनिर्णयों अथवा आदेशों का निष्पादन (हकरसी) उस राज्यक्षेत्र के अन्दर कहीं भी विध्यनुसार ही सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (१) और (३) के प्रावधान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के सार्वजनिक कार्यों, उल्लेखपत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को, और उस राज्य के व्यवहार-न्यायालयों द्वारा दिये अथवा १५ पारित किये गये अन्तिम न्यायनिर्णय अथवा आदेश को, लागू नहीं होंगे जब तक कि सध के साथ तदर्थ की गई उस राज्य की सविदा के पदों के अधीन संसद् को, समवर्ती सूची में अंकित प्रविष्टि २, ४ और ५ के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति न हो.

#### जल-प्रदाय में हस्तक्षेप

२०

जल-प्रदाय में  
हस्तक्षेप की  
शिकायतें  
(परिदेवना)

२३९. यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखे कि, किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने २५ अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण ; अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण,

उस राज्य के अथवा उसके निवासियों में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है या पड़ने की संभावना हो तो उस राज्य का शासन, ३० प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता है.

परिदेवनाओं के  
निर्णय

२४०. (१) यदि प्रधान के पास पूर्वोक्त परिदेवना आए और, यदि वह इस मत का नहीं है कि विवाद ऐसे महत्व का नहीं जिसके लिये इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियों का एक आयोग (कमीशन) नियुक्त करेगा जिन्हें भूसेचन, अभियन्त्रण, प्रशासन, अर्थ अथवा ३५ विधि का, जिसका वह उचित समझे, विशेष ज्ञान है और उस आयोग को, उसे अपने दिये हुए निदेशों के अनुसार अनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयों पर अथवा उनमें से किन्हीं ऐसे विषयों पर जिन्हें वह उसे सौंपे, प्रतिवेदन करने के लिये, प्रार्थना करे.

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग, सौंपे हुए विषयो का अनुसंधान करेगा और उपलब्ध तथ्यो का वर्णन करते हुए तथा एमे अभिस्ताव करते हुए जिन्हे वह उचित समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा

(३) यदि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रधान को प्रतीत हो कि उस में निहित किसी बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अथवा आयोग को पहिले न सौंपी हुई किसी बात पर उसको पत्रप्रदर्शन की आवश्यकता है, तो वह आयोग को आगे अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये, उस विषय को पुन सौंप सकता है ५

(४) इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त किसी आयोग को, उसे साये हुए किसी विषय के अनुसंधान में सहायता देने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि आयोग उसे तदर्थ प्रार्थना करे तो, आयोग की कार्यवाहियो के लिये ऐसे आदेश निकालेगा जैसे १० वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिये निकाल सकता है

(५) आयोग के प्रतिवेदन में, यह अभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि आयोग के व्यय और आयोग के समुख उपस्थिति के कारण किसी राज्य अथवा किन्हीं व्यक्तियो के लगे हुए परिव्यय किस राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दिये जायेंगे और इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय और परिव्यय की राशि क्या होगी, १५ और इस अनुच्छेद के अधीन प्रधान द्वारा दिए हुए आदेश का, जो व्यय और परिव्यय से सबध रखता है उसी प्रकार परिपालन किया जायगा मानो कि वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है

(६) आयोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्रधान, अनुवर्ती प्रावधानो के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के अनुसार आदेश देगा २०

(७) यदि आयोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रधान की यह मति हो कि उस में निहित किसी बात में सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्भूत है, तो वह, उस प्रश्न को इस सविधान के अनुच्छेद ११६ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेजदेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त होने पर, आयोग के प्रतिवेदन से सर्वोच्च न्यायालय के सम्मत न होने की अवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को आयोग के पास लौटायेगा और तब आयोग, उस प्रतिवेदन में ऐसे सपरिवर्तन करेगा जो उसे उस मति के अनुकूल करने में आवश्यक हो और उस प्रकार सपरिवर्तित प्रतिवेदन को प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा. २५

(८) इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान द्वारा दिये गये किसी आदेश को, प्रभावित होने वाले राज्य में कार्यान्वित किया जायेगा और किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो इस आदेश के प्रतिकूल है, प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा. ३०

(९) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, यदि पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त आयोग ऐसा अभिस्ताव करे तो प्रधान किसी भी समय इस अनुच्छेद के अनुसार दिये हुए आदेश में परिवर्तन कर सकेगा ३५

प्रथम अनुसूची  
के भाग २ के  
राज्यो के जल-  
प्रदायो में  
हस्तक्षेप

२४१. यदि प्रधान को दीखे कि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने ४० अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण, अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण ;

प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अथवा ऐसे किसी राज्य के निवासियों में से किसी के उस जलप्रदाय सम्बन्धी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है या पड़ने की संभावना है तो वह यदि उचित समझे, ५  
तो उस विषय को अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निपूक्त आयोग को सौंप सकेगा और तब वे प्रावधान उस राज्य पर लागू होंगे माने कि वह राज्य प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहने के स्थान में भाग १ में उल्लिखित रहा हो और माने कि उस विषय संबंधी परिदेवना उस राज्य के शासन द्वारा प्रधान को की गई थी. १०

न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन

२४२. इस सविधान में कुछ भी रहते हुए, न तो सर्वोच्च न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के सबंध में कोई कार्यवाही करने अथवा व्यवहार-ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार होगा, जिस विषय के सबंध में, अन्तिम पूर्वगामी तीन अनुच्छेदों में से किसी के अधीन कार्यवाही राज्य के शासन अथवा प्रधान द्वारा की जा १५  
सकी होती.

#### अन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य

व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को अधिमान देने अथवा विभेद करने पर प्रतिषेध

२४३. जल, थल अथवा वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार अथवा वाणिज्य संबंधी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को कोई अधिमान न दिया जायेगा और न ही राज्यों के बीच कोई विभेद किया जायेगा. २०

राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर आयन्त्रण

२४४. इस सविधान के अनुच्छेद १६ में अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) अन्य राज्यों से आई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओं पर लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओं और २५  
इस प्रकार निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न होता हो, और

(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य अथवा यातायात स्वातन्त्र्य पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियुक्त आयन्त्रण लगाए जो लोक-हित के लिये अपेक्षित हो ३०

पर इस सविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इन अनुच्छेदों के खण्ड (ख) के प्रावधान इस सविधान के अनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वर्णित किन्हीं वस्तुओं के व्यापार अथवा वाणिज्य पर लागू न होंगे.

अनुच्छेद २४३  
और २४४ के  
प्रावधानों को  
कार्यान्वित करने  
के लिये प्राधि-  
कारी की नियुक्ति

२४५ इस सविधान के अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये ससद् विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जैसा वह उपर्युक्त समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियाँ और ऐसे कर्तव्य प्रदान करेगी, जैसे वह आवश्यक समझे

### राज्यों के बीच सहयोग

अन्ताराज्य  
परिषद् विषयक  
प्रावधान

२४६ यदि किसी समय प्रवान को यह दोखे कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हितों की सेवा होगी, जिस पर —

- (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हो उनकी जांच करने और उन पर परामर्श देने,
- (ख) कुछ अथवा सनस्त राज्यों के अथवा सघ और एक या अधिक राज्य के १० पारस्परिक हित से सबद्ध विषयों के अनुसंधान तथा पर्यालोचन करने, अथवा
- (ग) ऐसे किसी विषय पर अभिस्ताव करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे सहयोग के हेतु अभिस्ताव करने,

१५

का प्रभार हो तो प्रवान के लिये यह बंध होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् के द्वारा सपादन किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उसके सव्यन और कार्य-प्रणाली को, आदेश द्वारा परिभाषित करे.

## भाग १०

## अर्थ, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार

## अध्याय १.—अर्थ

## संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन

निर्वचन.

२४७ इस भाग में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,— ५

- (क) “अर्थयोग” से इस सविधान के अनुच्छेद २६० के अनुसार सघटित अर्थयोग अभिप्रेत है ;
- (ख) “राज्य” में प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का समावेश नहीं है ;
- (ग) प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी क्षेत्र के निर्देशों का, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के निर्देशों का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्भूत तो हो, उस अनुसूची में उल्लिखित न हो.

“भारत के आगमो” तथा “राज्य के आगमो” का अर्थ

२४८. राज्यों को पूर्णतः अथवा अंशतः नियोजित किये हुए कुछ करो वलियों के शुद्ध उदय के बारे में इस अध्याय के निम्न प्रावधानों के अधीन रहते “भारत के आगमो” इस पद में भारत-शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त, स आगमो और लोक मुद्राओं का समावेश है और “राज्य के आगमो” इस पद में र के शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त समस्त आगमो और लोक-मुद्राओं का समा है.

२०

सघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा आत्मसात्कृत बलियाँ

२४९. (१) संघसूची में वर्णित मुद्रांक बलियाँ, तथा भैषजीय और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद बलियाँ भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेगी, परन्तु—

- (क) यदि ऐसी बलियाँ प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के भीतर आरोपणीय हो तो भारत-शासन द्वारा ; और
- (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियाँ आरोपणीय हो, उन उन राज्यों द्वारा,

२५

इकट्ठी की जाएगी.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वर्ष किसी राज्य के भीतर आरोपणीय है, भारत के आगमो के भाग न बनें, किन्तु उस राज्य को नियोजित किये जायेंगे.

३०

सघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को नियोजित कर.

२५०. (१) निम्नलिखित बलियाँ तथा कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किये जायेंगे, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार राज्यों को नियोजित किये जायेंगे, अर्थात्—

- (क) कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक बलियाँ ;

३५

(ख) कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य भू-सम्पत्ति बलियाँ ;

(ग) अयोमार्ग (रेलवे) से अथवा विमान से वाहित वस्तुओं अथवा यात्रियों पर सीमा-कर ;

(घ) अयोमार्ग से मनुष्यों तथा वस्तुओं के भाडों पर कर.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में की किसी ऐसी बलि अथवा कर के शुद्ध उदय ५ जहाँ तक कि वे उदय प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में उपारोपणीय उदय न हो, भारत के आगमों का भाग न बनें, परन्तु उन राज्यों को नियोजित किये जायेंगे जिनके भीतर वह बलि अथवा कर उस वर्ष आरोपणीय हो और वे उदय विधि द्वारा ससद्-निमित्त विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में विभाजित किये जावेगे

१०

सघ द्वारा आरो-  
पा सगु-  
र सघ  
ज्यों के  
विभाजित

२५१ (१) कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा सगुहीत किये जायेंगे और इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार सघ और राज्यों के बीच विभाजित किये जायेंगे.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो कि नियत किया जाये, जहाँ तक कि वे उदय, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में उपारोपणीय उदय न हो अथवा सघ-परिलाभों के सम्बन्ध में देय कर न हो, भारत के आगमों का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यों को नियोजित किया जायगा, जिनके भीतर वह कर उस वर्ष आरोपणीय है और वह उन राज्यों उस रीति और उस समय से विभाजित किया जायेगा, जो कि विनिहित किया जाये.

१५

(३) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक आर्थिक वर्ष में आय २० पर करो के उतने शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें सघ परिलाभों के सम्बन्ध में शोध्य करो के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, वैसा उदय समझा जायेगा, जो प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को उपारोपणीय है.

(४) इस अनुच्छेद में—

२५

(क) "आय पर कर" में वह राशि सम्मिलित है, जिसे भारत-शासन ने इस सविधान के अनुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी आय-कर के बदले में आरोपित किया हो, परन्तु उसमें निगम-कर सम्मिलित नहीं है ;

(ख) "विनिहित" का अर्थ है—

३०

(१) जब तक कि अर्थयोग का संघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से आदेश द्वारा विनिहित, और

(२) अर्थयोग के संघटन हो चुकने के पश्चात्, अर्थयोग के अभि-  
स्तावों पर विचार कर के प्रधान से आदेश द्वारा  
विनिहित

३५

(ग) "सघ-परिलाभों" में भारत के आगमों से दिये जाने वाले वे समस्त परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित है जिनके सम्बन्ध में आय-कर लगना है.

संघ के प्रयो-  
जनो के हेतु  
कतिपय बलियों  
तथा करो पर  
अधिभार.

२५२. इस संविधान के अनुच्छेद २५० तथा २५१ में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी भी बलि अथवा कर में, किसी भी समय संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अधिभार का समस्त उदय भारत के आगमो का भाग बनेगा.

कर जो सघ  
द्वारा आरोपित  
तथा संगृहीत  
हैं और जो सघ  
तथा राज्यों के  
बीच विभाजित  
हो सके

२५३. (१) लवण पर संघ कोई बलि न लगायेगा. ५

(२) भैषज्य तथा प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियों को छोड़ कर जो सघ-सूची में वर्णित हैं, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत की जायेंगी, परन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि आरोपक विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत के आगमो में से, उस बलि के शुद्ध उदय के पूर्ण अथवा किसी अंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे १० राशियां, उन राज्यों के बीच विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार विभाजित की जावेगी.

सन अथवा  
सन की बनी  
वस्तुओं की बलि  
का विभाजन

२५४. इस संविधान के अनुच्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन अथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्काम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का उतना अनुपात, जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के आगमो का भाग न बनेगा १५ किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यों को विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार, नियोजित किया जायेगा :

पर जब तक संसद् इस प्रकार निश्चय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन अनुपातों से नियोजित किया जायेगा, जो भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अर्धीन बनाये हुए और इस २० संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवृत्त किसी आदेश द्वारा निश्चित किया जा चुका हो.

कतिपय राज्यों  
को सघ से  
अनुदान

२५५. ऐसी राशिया, जो संसद् विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यों के आगमो के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो पर प्रति वर्ष प्रभूत होगी, जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है. भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी. २५

पर प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के आगमो के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो में से वैसी पूजा तथा आवर्त्तक राशिया दी जाएँगी, जैसी उस राज्य को उन विकास-योजनाओं के परिव्ययों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो उस राज्य के अन्तर्गत, अनुसूचित वन-जातियों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित ३० क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य ने भारत-शासन के अनुमोदन से आरम्भ की हो.

पर और भी यह कि, आसाम-राज्य के आगम के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमो में से वैसी पूजा तथा आवर्त्तक राशिया दी जाएँगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १९ से सलग्न सारणी के भाग १ में ३५ उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व-तीन वर्ष के आगमो से अधिक जो व्यय उस के माध्य (औसत) के बराबर हो ; और

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा ४० भारत-शासन के अनुमोदन से आरब्ध योजनाओं के परिव्यय के बराबर हो.



व्यवसाय,  
व्यापार, वृत्तियों  
तथा सेवा-  
युक्तियों पर कर

२५६ (१) इस सविधान के अनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के, लाभार्थ अथवा उसके अन्तर्गत नगर समिति, मण्डल-गण, स्थानीय गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभार्थ व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर करों के विषय में विधिया बनाने की शक्ति होगी

(२) किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियों के बारे में उस राज्य को अथवा उसके अन्तर्गत किसी एक नगर-समिति, मण्डल-गण, स्थानीय-गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करों की समस्त राशि प्रति वर्ष दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगी .

१०

पर यदि इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व आर्थिक वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी नगर-समिति, गण अथवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों अथवा सेवायुक्तियों पर ऐसा कर लागू था जिसकी मात्रा अथवा जिसकी अधिकतम मात्रा दो सौ पचास रुपये से अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक आरोपणीय रहेगा जब तक कि ससद् विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, १५ और ससद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतः अथवा किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर - समितियों, गणों या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी

(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधिया बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह अन्वयन २० न होगा, कि ससद् को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों से उपाजित अथवा उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिये विधिया बनाने की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है

परित्राण

२५७ जो कर, बलियाँ, उपकर अथवा शुल्क, इस सविधान से सद्य पूर्व किसी राज्य के शासन द्वारा, अथवा किसी नगर-समिति अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी २५ या निकाय के द्वारा उस राज्य, नगर, मण्डल अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनार्थ विध्यनुकूल आरोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलिया, उपकर अथवा शुल्क संघ-सूची में वर्णित होने पर भी आरोपणीय रह सकेंगे और उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाए जा सकेंगे जब तक कि ससद् इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे

करो तथा  
बलियों के आरो-  
पण, सग्रहण  
और विभाजन  
के विषय में  
प्रथम अनुसूची  
के भाग ३ में  
उल्लिखित  
राज्यों से सविदा

२५८ (१) इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस अनुच्छेद ३० के खण्ड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सद्य प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण तथा सग्रहण के विषय में और उसके उदय के विभाजन के लिये इस अध्याय के प्रावधानों से भिन्न सविदा कर सकेगा, और जब सविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस अध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध ३५ में ऐसी सविदा के अभिसमयों के अधीन रह कर प्रभावी होंगे

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई सविदा इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिये प्रभावी न होगी .

पर प्रधान, एंसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय ऐसी किसी संविदा को समाप्त अथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि अर्थायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् वह ऐसा करना आवश्यक समझे.

“शुद्ध उदय”,  
आदि का  
गणन

२५६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में “शुद्ध उदय” से, किसी कर अथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से अभिप्राय है जो उसके सग्रहण के परिचयों ५ को घटाने के पश्चात् बचे, और उन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर अथवा उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का अथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का शुद्ध उदय भारत के महाकेशक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाणपत्र अन्तिम होगा.

(२) किसी अवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के अधीन, किसी १० बलि अथवा कर के उदय किसी राज्य को नियोजित किये जाते हैं, अथवा किये जायें तो, उपर्युक्त प्रावधान के और इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन रहते हुए, संसद् की बनाई कोई विधि अथवा प्रदान का कोई आदेश, इन बातों का प्रावधान कर सकेगा अर्थात् उदयों की गणना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से अथवा जब कोई शोधन किया जाना है, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना है, एक आर्थिक १५ वर्ष और दूसरे आर्थिक वर्ष में समायोजन करने का और अन्य कोई आनुषंगिक तथा सहायक बातों का

अर्थायोग

२६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर अथवा ऐसे अन्य समय पर जिसे प्रधान आवश्यक समझे, प्रधान आदेश द्वारा एक अर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति २० और चार अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) संसद् विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिसके अनुसार उनका चुनाव किया जावेगा, निश्चय कर सकेगी.

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

२५

- (क) इस अध्याय के अधीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले अथवा हो सकने वाले, करो के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीच उनके भागों के वितरण के विषय में ;
- (ख) भारत के आगमों में से राज्यों को सहायक अनुदान देने में जिन सिद्धा- ३० न्तों का पालन होना चाहिये, उनके विषय में ;
- (ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण, सग्रहण तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य के बीच की गई किसी सविदा के अभिसमयों के चालू रखने ३५ अथवा संपरिवर्तन करने के विषय में ; और
- (घ) सुस्थित अर्थ के हित में प्रधान द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में,

प्रधान को अभिस्तवन करे.

(४) आयोग अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा और अपने प्रकारों के ४० पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे.

अर्थयोग के  
अभिस्ताव

२६१. प्रधान, इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के आधीन अर्थयोग द्वारा किये गए प्रत्येक अभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के सहित, संसद् के समक्ष रखवायेगा।

### प्रकीर्ण आर्थिक प्रावधान

भारत के आगमो  
में से शोध्य  
व्यय

२६२ सघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान ५ दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में संसद् या उस राज्य का विधान-मण्डल, जैसी कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो

लोक-मुद्रा के  
अभिरक्षण  
विषयक प्राव-  
धान

२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि भारत के अथवा राज्य के, जैसी कि स्थिति हो, आगमो के लेखे में प्राप्त समस्त मुद्राएँ, उन को छोड़ कर, यदि कोई हो, जिनका उन नियमों में अपवाद १० उल्लिखित हो, भारत अथवा उस राज्य के लोक-लेखाओं में पटाई जायेंगी और इस प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेंगे, अथवा विनिधान करनेका अधिकार किसी व्यक्ति को दे सकेंगे, जिससे, उक्त लेखे में मुद्राओं का शोधन, उसमें से मुद्राओं का प्रत्याहार, उसमें की मुद्राओं का अभिरक्षण और पूर्वोक्त बातों से सम्बद्ध अथवा सहायक कोई अन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा १५

(२) इन अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा भारत के आगमो के बारे में प्राप्त मुद्राओं के अभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके शोधन का और ऐसे लेखे में से मुद्राओं के प्रत्याहार का, आनियमन, कर सकेगी, और किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के आगमो के बारे में प्राप्त समस्त मुद्राओं के अभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और ऐसे लेखे २० में से मुद्राओं के प्रत्याहार का, आनियमन कर सकेगा, और इस अनुच्छेद के अधीन बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के आधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

कतिपय लोक  
सम्पत्ति की  
करारोपण से  
मुक्ति

२६४. सघ की सम्पत्ति, जहा तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, किसी भी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा, आरोपित समस्त करों से मुक्त होगी . २५

पर जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, तब तक सघ की सम्पत्ति जो इस सविधान के सद्य पूर्व इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, बाध्य थी, अथवा बाध्य समझी गई थी, वह उस कर को देने के लिये बाध्य रहेगी अथवा बाध्य समझी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू है.

विद्युत् पर कर  
से मुक्ति

२६५. जहा तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान करे उसको छोड़ कर ३० ऐसी विद्युत् के उपयोग अथवा विक्री पर (चाहे विद्युत्, शासन द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी और न कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युत्—

(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, अथवा भारत-शासन के उपभोग के हेतु उस शासन को बेची जाती है, अथवा ३५

(ख) किसी सघ अयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, सधारण, अथवा संचालन में, उन शासन द्वारा, अथवा उस अयोमार्ग को संचालन करने वाले किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जाती हो अथवा उस शासन को अथवा वैसे किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल को किसी सघ अयोमार्ग के निर्माण, सधारण, अथवा संचालन में ४० उपभोग के लिये बेची जाती है,

और, विद्युत् की बिक्री पर करारोपण करने वाली अथवा करारोपण का प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन को उसके उपभोग के लिये, अथवा ऐसे किसी प्रयोमार्ग प्रमण्डल को किसी सघ अयो-मार्ग के निर्माण, सधारण अथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्युत् का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्युत् का उपभोग करने वालों से लिये जाने वाले मूल्य से उतना ५ कम होगा जितना कि कर की राशि है.

राज्य के शासनो  
की सघ-कर से  
मुक्ति

२६६ जो एतत्पश्चात् प्रावहित है उस के अधीन रहते हुए, भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत भूमियाँ अथवा भवनों के बारे में, अथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपार्जित, उत्पन्न अथवा प्राप्त आय के बारे में किसी राज्य के शासन पर कोई सघ-कर न लगाया जायगा .

१०

पर—

(क) जहाँ किसी राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार का वाणिज्य अथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस अनुच्छेद की किसी बात से उस शासन को, उस वाणिज्य या व्यापार के बारे में, अथवा उससे सम्बन्ध किन्हीं संचालनों १५ के बारे में, अथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आय पर, अथवा उसके प्रयोजनों के हेतु धारण की हुई किसी सम्पत्ति पर, किसी सघ-कर से, अथवा उस कर के बदले आरोपित किसी राशि से, मुक्ति न मिलेगी ;

(ख) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस २० समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन या आय के बारे में जो उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति है, अथवा वैयक्तिक आय के बारे में किसी सघ-कर से मुक्ति न मिलेगी

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी राज्य के शासन के साधारण प्रकार्यों के आनुषंगिक संचालनों को, जैसे कि किसी राज्य-शासन के नियन्त्रणाधीन २५ वन की वनोत्पत्ति की बिक्री अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत किसी कारागार में उत्पादित किसी वस्तु की बिक्री को, उस राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाया गया वाणिज्य अथवा व्यापार न समझा जाएगा.

कतिपय व्ययों  
तथा उत्तर  
वेतनों के विषय  
में समायोजना

२६७ जहाँ इस सविधान के प्रावधानों के अधीन किसी न्यायालय अथवा आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ३० ब्रिटिशसम्राट् के अधीन सेवा की है, उसे अथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर वेतन, भारत के आगमो पर अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के आगमो पर प्रभार है, तो—

(क) भारत के आगमो पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्हीं ३५ पृथक् आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः अथवा अंशतः सेवाएँ की हो ; अथवा

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के आगमो पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग, संघ की ४० अथवा इस प्रकार उल्लिखित किसी अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने सघ अथवा ऐसे अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः अथवा अंशतः सेवाएँ की हो,

तो, यथास्थिति उस राज्य के आगमो पर अथवा, भारत के या अन्य राज्य के आगमो पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना अशदान, प्रभूत होगा और उन आगमो से दिया जायगा जितना कि समझौता हो, अथवा सविदा के अभाव में उतना अशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाची निश्चित करे ५

### अध्याय २.—उद्धारग्रहण

भारत-शासन  
द्वारा उद्धार-  
ग्रहण

२६८ सध की अधिशासी शक्ति, भारत के आगमो की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हो तो उन सीमाओं के भीतर, उद्धारग्रहण तक विस्तृत है जिन्हे ससद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओं के भीतर, यदि कोई सीमाएँ हो, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हे इस प्रकार नियत किया जाये १०

राज्यो द्वारा  
उद्धारग्रहण

२६९ (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अधीन रहने हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की अधिशासी शक्ति, उस राज्य के आगमो की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हो तो, उन सीमाओं के भीतर, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उद्धारग्रहण तक विस्तृत है, जिन्हे ऐसे राज्य का विधान-मण्डल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओं के भीतर यदि कोई सीमाएँ १५ हो, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हे इस प्रकार नियत किया जाए

(२) भारत-शासन, उन प्रतिबन्धो के साथ, यदि कोई हो, जिन्हे लगाना वह उचित समझे, प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को उधार दे सकता है, अथवा जहा तक अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अनुसार निश्चित किन्ही सीमाओं का उल्लघन न होता हो वहा तक, ऐसे किसी राज्य के द्वारा २० उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभूति दे सकता है और जो राशिया ऐसे उधार देने के हेतु आवश्यक हो, वे भारत के आगमो पर प्रभूत होगी.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहमति के बिना कोई ऋण न उठा सकेगा, यदि भारत-शासन द्वारा अथवा उसके पूर्वाधिकारी शासन द्वारा, दिये हुए अथवा प्रत्याभूत २५ किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई अंश उस समय तक देना रहा है

इस खण्ड के अनुसार सहमति उन प्रतिबन्धो के साथ, यदि कोई हो, दी जा सकेगी जिन्हे भारत-शासन आरोपण करना उचित समझे

### अध्याय ३ — सम्पत्ति, प्रसविदा, देय और व्यवहार

परिसम्पत्तियो  
तथा ऋणो,  
अधिकारो तथा  
देयो पर उतरा-  
धिकार

२७० इस सविधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का शासन, क्रमश भारत-अधिराज्य शासन की, और तत्स्थानी शासको के प्रान्तो की, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयो के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजन के प्रतिबन्ध के साथ, होंगे, जैसी कि इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान अधिराज्य के बनने अथवा पश्चिमी बंगाल, ३५ पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पजाब और पूर्वी पजाब के बनने के कारण की गई हो, अथवा की जाने वाली हो.

उत्तराधिकारी  
के अभाव,  
व्यपगम अथवा  
स्वामिहीनत्व  
से उद्भूत  
सम्पत्ति.

२७१. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़ कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में व्यपगम से अथवा वैधस्वामी के अभाव में सम्राट को प्राप्त हुई होती यदि यह सविधान प्रवर्तन में न आया होता, तो एतत्पश्चात् आने वाले परादिक के अधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ में ५ उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनार्थ ऐसे राज्य के शासन में, और किसी अन्य अवस्था में संघ के प्रयोजनार्थ भारत-शासन में, निहित होगी :

पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट को प्राप्त हुई होती भारत-शासन के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के धारण अथवा नियन्त्रण में थी, तो यदि उसका जिन प्रयोजनों के लिये उस समय धारण अथवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजन संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनार्थ संघ में निहित होगी और यदि वे प्रयोजन जैसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के प्रयोजनार्थ उस राज्य में निहित होगी १५

सम्पत्ति के अवा-  
पन की शक्ति

२७२. (१) संघ की, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की, अधिशासी शक्ति, समुचित विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए, स्थिति के अनुसार, संघ अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरण अथवा प्राधि तक विस्तृत होगी, और क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय अथवा अवाप्ति, तथा प्रस- २० विदाकरण तक, विस्तृत होगी.

(२) संघ के, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के, प्रयोजनार्थ अवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के अनुसार, संघ में अथवा ऐसे किसी राज्य में निहित होगी.

प्रसविदाएँ

२७३. (१) संघ की, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसविदाएँ, स्थिति के अनुसार, प्रधान द्वारा अथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेगी और वे समस्त प्रसविदाएँ तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएँ, प्रधान अथवा शासक की ओर से उन व्यक्तियों द्वारा और उस रीति के अनुसार लिखे जाएँगे जैसा वह निदेश दे अथवा अधिकार दे. ३०

(२) न तो प्रधान और न किसी राज्य का शासक इस सविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत-शासन विषयक एतत्पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियम के प्रयोजनों के हेतु, की अथवा लिखी गई किसी प्रसविदा अथवा प्रगोप के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की ओर से ऐसी प्रसविदा अथवा प्रगोप ३५ किया अथवा लिखा हो.

व्यवहार तथा  
कार्यवाहिया.

२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के नाम से, वह राज्य-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान ४० से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा,

जो अधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कारवार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे अथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-अधिराज्य तथा तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार ला सके होते अथवा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यदि इस सविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता ५

(२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को—

- (क) कोई ऐसी वैध कार्यवाहिया लम्बित हैं जिनमें भारत-अधिराज्य, एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त अधिराज्य के स्थान में भारत-शासन समझा जावेगा ;
- (ख) कोई ऐसी वैध कार्यवाहिया लम्बित हैं जिनमें कोई प्रान्त एक १० पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जावेगा

## भाग ११

## सद्यस्कृत्यस्थिति प्रावधान

सद्यस्कृत्य-  
स्थिति की  
उद्घोषणा.

२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सद्यस्कृत्य-स्थिति विद्यमान है, जिससे भारत की निश्शकता सकट में है चाहे युद्ध से चाहे आन्तरिक हिंसा से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा. ५

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार निकाली गई उद्घोषणा (जिसे इस संविधान में "सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा" नाम से निर्देश किया है) —

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खण्डित की जा सकेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ग) छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जायेगी, यदि वह उस १० अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद् के दोनो आगारो के सकल्पो द्वारा अनुमोदित न की जा चुकी हो.

(३) सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करती है कि भारत की निश्शकता पर युद्ध अथवा आन्तरिक हिंसा से आशंका है, वह, वास्तविक युद्ध अथवा ऐसी किसी हिंसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो १५ जाये कि युद्ध अथवा हिंसा का भय तुरन्त है

सद्यस्कृत्य-  
स्थिति की  
उद्घोषणा का  
प्रभाव

२७६. जब सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संघ की अधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत होगी कि उस की अधिशासी शक्ति किस रीति से अयुक्त की २० जानी है ;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद् के विधि बनाने की शक्ति में वंसी विधिया बनाने की शक्ति का भी समावेश होगा जिसके अनुसार उस विषय के सम्बन्ध में भारत-शासन को अथवा भारत-शासन के अधिकारियों और प्राधिकारियों को, शक्तियां दी जाएँ २५ और उन पर कर्तव्य लगाए जाएँ, अथवा शक्ति देने और कर्तव्य लगाने का प्राधिकार दिया जाए.

जिस कालावधि  
में सद्यस्कृत्य-  
स्थिति की  
घोषणा प्रवर्तन  
में है, उसमें  
आगम-विभाजन  
सम्बन्धी प्राव-  
धानो का प्रयोग

२७७. सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रधान, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने वाले आर्थिक वर्ष की समाप्ति से, किसी अवस्था में, परे विस्तृत न हो और जो उस ३० आदेश में उल्लिखित की जाए, इस संविधान के अनुच्छेद २४६ से २५६ के समस्त अथवा कोई प्रावधान ऐसे अपवादो अथवा संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हे प्रधान उचित समझे



प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों में सार्वधानिक तन्त्र के असफल हो जाने की अवस्था में प्रावधान

२७८ (१) इस सविधान के अनुच्छेद १८८ के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा निकाली गई उद्घोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रधान को सभाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिसमें उस राज्य का शासन इस सविधान के प्रावधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य के शासन के समस्त श्रयवा किसी प्रकार्य को तथा उस राज्य के शासक में निहित श्रयवा उस राज्य के विधान-मण्डल से भिन्न किसी निकाय श्रयवा प्राधिकारी में निहित, श्रयवा उनके द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर सकेगा ;

(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियाँ १० केवल ससद् द्वारा ही प्रयोज्य होंगी ;

और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुपगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेगे जो उस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को श्रावश्यक श्रयवा वाञ्छनीय दीखें इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी निकाय श्रयवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस सविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन को पूर्णतः १५ श्रयवा शशत निलम्बन करे .

पर इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च न्यायालय में निहित श्रयवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्वयं धारण कर ले श्रयवा उच्च न्यायालय-चिपयक इस सविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन को या तो पूर्णतः या शशतः निलम्बन करे २०

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खण्डित श्रयवा परिवर्तित की जा सकेगी

(३) इस अनुच्छेद के अनुसार की हुई उद्घोषणा—

(क) ससद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ख) पूर्ववर्ती उद्घोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषणा यदि नहीं २५ है तो, छ भास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जाएगी .

पर, यदि और जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का श्रनु-मोदन करने वाला सकल्प, ससद् के दोनों आगारों से पारित किया जाता है, तो और तब तब वह उद्घोषणा, यदि खण्डित न हो गई हो तो, उस तिथि से आगे बारह मास की श्रवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके श्रभाव में, वह इस खण्ड के अनुसार ३० प्रवर्तनशून्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन वर्ष से अधिक के लिये प्रभावी न रहेगी

(४) जहा, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियाँ केवल संसद् द्वारा ही प्रयोज्य होंगी तो— ३५

(क) ससद् की क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को श्रयवा भारत-शासन के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान की जायें और कर्तव्य लगाए जावे, श्रयवा शक्ति प्रदान करने और कर्तव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया जाए ४०

(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वह, उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनो आगारो का सत्र चालू है, इस संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन अध्यादेशों का प्रवर्तन करे.

(५) संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद् को न हुई होती यदि इस अनुच्छेद के अनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों को छोड़ कर प्रभावशून्य होगी जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व की गई थी अथवा जिनका करना छोड़ा गया था, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि इस प्रकार प्रभावशून्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा विखंडित, अथवा परिवर्तन कर के या बिना परिवर्तन के पुनरधि-१० नियमित, किया जा चुका हो.

सद्यस्कृत्य-  
स्थिति की  
अवधि में अनु-  
च्छेद १३ के  
प्रावधानों का  
निलम्बन.

२७६. जब तक सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब तक इस संविधान के भाग ३ के अनुच्छेद १३ की किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य की, किसी ऐसी विधि बनाने अथवा अधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन न होगा जिसे वह राज्य बनाने अथवा करने के लिये अन्याय क्षम था. १५

सद्यस्कृत्य-  
स्थिति की  
अवधि में अनु-  
च्छेद २५ द्वारा  
प्रत्याभूत अधि-  
कारों का  
निलम्बन.

२८०. जहां सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, वहां प्रधान आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २५ के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार ऐसे आदेश में उल्लिखित ऐसी अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् छः मास की अवधि से परे विस्तृत न हो सकेगी.

## भाग १२

## संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

## अध्याय १.—सेवाएं

निर्वचन

२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" शब्द से अभिप्राय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से है. ५

संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं के प्रतिबन्ध

२८२. (१) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियमों द्वारा संघ अथवा किसी राज्य के प्रकार्यों से संबद्ध लोकसेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का और सेवा के प्रतिबन्धों का, आनिधमन किया जा सकेगा.

(२) जो व्यक्ति किसी असैनिक सेवा को करता हो, या भारत-शासन अथवा १० किसी राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया अथवा अपने पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे अपने बारे में की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया जा चुका हो.

पर यह खण्ड लागू न होगा—

(क) यदि कोई व्यक्ति वैसे आचरण के आधार पर निकाला, हटाया १५ या अपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डारोप में दोष प्रमाणित किया गया हो, अथवा

(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने अथवा पद से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह व्यक्ति- २० युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं कि उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाए.

अन्तर्वर्ती प्रावधान

२८३. जब तक इस सविधान के अधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए, तब तक जो नियम, इस सविधान के प्रारम्भ से संघ. पूर्व प्रवर्तमान थे और किसी ऐसी लोकसेवा अथवा पद के लिये लागू थे जो इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् संघ २५ अथवा किसी राज्य के अधीन सेवा अथवा पद के रूप में विद्यमान हो, तो वे नियम वहां तक प्रवर्तमान रहेंगे जहां तक कि इस सविधान के प्रावधानों से वे सगत हो.

## अध्याय २.—लोक-सेवा-आयोग

संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग

२८४. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा. ३०

(२) दो अथवा अधिक राज्य यह सविदा कर सकेंगे—

(क) कि राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा ; अथवा

(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-आयोग उन सब राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ; ३५

और ऐसी किसी संविदा में जैसे आनुपंगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस संविदा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीवें, और ऐसी संविदा होने की अवस्था में कि राज्यों के किसी समूह के लिये एक आयोग हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा, किये जाने वाले प्रकार्यों का सम्पादन किस शासक अथवा ५ किन शासकों द्वारा किया जायेगा.

(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-आयोग से इस प्रकार प्रार्थना करे तो वह सेवा-आयोग प्रधान के अनुमोदन से उस राज्य की समस्त अथवा किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये राजी हो सकेगा.

(४) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोक-सेवा-आयोग के अथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के निर्देशों में उस आयोग का अन्वयन किया जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में संघ की अथवा उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो.

आयोगों की  
रचना और  
कर्मचारि-वर्ग

२८५. (१) संघ के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और अन्य सदस्यों को प्रधान स्वविवेक से नियुक्त करेगा, और किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के सभापति १५ और अन्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्त करेगा:

पर प्रत्येक लोक-सेवा-आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी अपनी नियुक्ति की तिथियों को या तो भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना में, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की वह अवधि भी २० सम्मिलित होगी, जिसमें कोई व्यक्ति राजसत्ता के अधीन किसी पद पर रह चुका हो.

(२) संघ के आयोग के लिये प्रधान और किसी राज्य के आयोग के लिये उस राज्य का शासक स्वविवेक से आनियम द्वारा—

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा; और २५

(ख) आयोग के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धों के विषय में प्रावधान बना सकेगा.

(३) पद से अलग हो जाने पर—

(क) संघ के आयोग का सभापति न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन आगे और नियुक्ति का पात्र ३० होगा;

(ख) किसी राज्य के आयोग का सभापति, संघ के आयोग का सभापति अथवा सदस्य, अथवा अन्य राज्य के आयोग का सभापति नियुक्त होने का पात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन किसी अन्य नियुक्ति ३५ का पात्र होगा;

(ग) संघ के अथवा किसी राज्य के आयोग का कोई अन्य सदस्य, राज्य के प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्ति के लिये उस राज्य के शासक के, और किसी अन्य नियुक्ति के लिये प्रधान के, अनुमोदन के बिना, न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के ४० अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र होगा.

लोक-सेवा-  
आयोगों के  
प्रकार

२८६. (१) सघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रमशः सघ-सेवाओं और राज्य-सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे

(२) यदि कोई दो अथवा अधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-आयोग से ऐसी प्रार्थना करे, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों को किन्हीं ऐसी सेवाओं के लिये ५ सयुक्त भर्तियों की योजनाएँ बनाने और प्रवर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं.

(३) प्रधान, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा सघ के प्रकार्यों से सम्बद्ध अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी, और शासक राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध अन्य सेवाओं और पदों के बारे में ऐसे आनियम बना सकेगा जिनमें उन विषयों का १० निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यतः, अथवा जिनके किसी विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष परिस्थिति में, लोक-सेवा-आयोग से परामर्श लेना आवश्यक न होगा, परन्तु इस प्रकार बनाये हुए आनियमों के और अगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सघायोग से, अथवा स्थिति के अनुसार, उस राज्यायोग से—

(क) असैनिक सेवाओं और पदों की भर्तियों की रीतियों से सम्बद्ध समस्त १५ विषयों पर ,

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने, पदोन्नति करने, एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, और अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा परिवर्तन की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर ; २०

(ग) भारत-शासन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन असैनिक पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासन-विषयों पर, जिनमें ऐसे विषयों से सम्बद्ध प्रार्थना-पत्र अथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित हैं ,

(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-शासन के अधीन या २५ सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा कर रहा हो अथवा कर चुका हो, उसने अपने कर्तव्यपालन में, या कर्तव्यपालन के अभिप्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो वैधिक कार्यवाहियाँ की गईं उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुआ वह व्यय भारत के आगमों से अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य ३० के आगमों से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो उसने किये हैं या उसके सम्बन्ध में किया गया है ;

(ङ) भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के अधीन अथवा सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने के बावजूद उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार की ३५ जाने वाली राशि के किसी प्रश्न पर ,

परामर्श करना होगा और लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार निर्विष्ट किसी विषय पर अथवा किसी ऐसे अन्य विषय पर परामर्श दे जिसे प्रधान अथवा, स्थिति के अनुसार, शासक सेवा आयोग को भेजे.

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात इसके लिये बाध्य न करेगी कि, संघ अथवा किसी राज्य के भिन्न भिन्न समुदायों के बीच नियुक्तियों और पदों का विभाजन किस रीति के अनुसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-आयोग से, परामर्श किया जाय.

लोक-सेवा-  
आयोग के  
प्रकार्यों में  
विस्तार करने  
की शक्ति

२८७. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद् द्वारा अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये अधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि ५ संघ-लोक-सेवा-आयोग अथवा स्थिति के अनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-आयोग किसी और भी प्रकार्यों को करे :

पर जब अधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता है तो उस अधिनियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के बिना, किसी वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होंगे जो उस राज्य की सेवाओं में से १० एक का भी सदस्य नहीं.

लोक-सेवा-  
आयोगों के व्यय.

२८८. संघ के अथवा राज्य के लोक-सेवा आयोग के व्यय जिसमें उस आयोग के सदस्यों अथवा कर्मचारी वर्ग को अथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हैं, भारत के आगमो पर अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य के आगमो पर, प्रभत्त होंगे.

## भाग १३ निर्वाचन

निर्वाचनों का  
अधीक्षण,  
संचालन और  
नियन्त्रण  
निर्वाचन-  
आयोग में  
निहित होंगे

२८६. (१) इस सविधान के अधीन किये गये, संसद् के समस्त निर्वाचनों का और प्रधान और उपप्रधान के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण, जिसमें संसद् के निर्वाचनों से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आयोग को सौंपा जायेगा.

(२) इस सविधान के अधीन किये गये, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के समस्त निर्वाचनों का और उस राज्य के शासक के पद के निर्वाचनों का (उस राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ १० तालिका बनाने के निर्वाचनों का), अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, (उस राज्य के शासक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले) आयोग को सौंपा जायेगा.

संसद् के लिये  
निर्वाचन

२९० इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद् समय समय पर १५ विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचनों के बारे में अथवा उनसे सम्बद्ध समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हैं जो संसद् के दोनों आगारों के उचित संघटन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हों

राज्यों के विधान-  
मंडलों के  
निर्वाचन

२९१. इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के २० भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों के निर्वाचनों के बारे में अथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हैं जो ऐसे आगार अथवा आगारों के उचित संघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हों

## भाग १४

## अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

लोकसभा में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण.

२६२. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ के खंड (५) के उपखंड (ख) में विनिहित श्रेणी के अनुसार—

- (क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियों ; ५  
(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की अनुसूचित वनजातियों ; और  
(ग) मद्रास और बम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय, के लिये लोक-सभा में स्थान आरक्षित रहेंगे.

लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान राज्यों की विधान सभाओं में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण.

२६३. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह १० इस मत का है कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के अधिक से अधिक दो सदस्य मनोनीत कर सकेगा.

२६४. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १४६ के खंड (३) में विनिहित श्रेणी के अनुसार—

- (क) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य १५ की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियों और (आसाम के स्वायत्तशासी जिलों की अनुसूचित वनजातियों को छोड़कर) अनुसूचित वनजातियों ; और  
(ख) मद्रास और बम्बई राज्यों की विधान-सभाओं में भारतीय ईसाई-समुदाय, के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे. २०

(२) आसाम-राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान आरक्षित रहेंगे.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधान-सभा में किसी समुदाय के लिये आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानों से यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की २५ जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

व्याख्या—इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त अनुसूचित जातियाँ एक ही "समुदाय" मानी जायेंगी और इसी प्रकार किसी राज्य की समस्त अनुसूचित वनजातियाँ भी.

(४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये ३० आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानों से वह अनुपात होगा जो उससे न्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

(५) आसाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा.

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसूचित ३५ वनजाति का अंग नहीं है, आसाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलांग छावनी और नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर) उस जिले के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा.

राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान.

२६५. इस संविधान के अनुच्छेद १४६ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य का शासक, यदि वह इस मत का है कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय ४० समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह उपयुक्त समझे मनोनीत कर सकेगा.



सेवाओं और पदों के लिये अल्प सख्यक समुदायों के दावों

२६६ अगले आगामी अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियों में, प्रशासन-दक्षता के सधारण का ध्यान रखते हुए सब अल्पसख्यक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा।

विशेष सेवाओं में आगल भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान

२६७. (१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में रेल, ५ निराक्राम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आगल-भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तिया उसी आधार पर की जायेंगी जैसे कि १५ अगस्त १९४७ के तुरन्त पूर्व

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्षों की अवधि में उक्त समुदाय के जनो के लिये, उक्त सेवाओं में, आरक्षित पदों की सख्या में सद्य पूर्वगामी दो वर्षों की अवधि में इस प्रकार १० आरक्षित सख्या की अपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी:

पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सद्य आरक्षणों का अन्त हो जायेगा।

(२) खंड (१) के अनुसार आरक्षित पदों के अतिरिक्त, अथवा उनसे अधिक पदों पर आगल-भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तियों पर इस खंड की किसी बात १५ से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन अन्य समुदायों के जनो की तुलना में योग्यता के कारण नियुक्ति के लिये योग्य पाये जाए

आगल भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष प्रावधान

२६८ इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम तीन आर्थिक वर्षों में, आगल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही अनुदान, यदि कोई रहे हो तो, सद्य तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य २० द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई को अन्त होने वाले आर्थिक वर्ष में दिये गये थे।

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अवधि में, अनुदान सद्य पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे

पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक ये आगल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक बन्द हो जायेंगे: २५

पर यह और भी कि, इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी शैक्षिक सस्था अनुदान पाने की अधिकारी न होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में न्यून से न्यून चालीस प्रतिशत प्रवेश आगल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनो के लिये प्राप्त न हो।

सद्य और राज्यों में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी

२६९ (१) सद्य में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको प्रधान नियुक्त करेगा, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ३० प्रत्येक राज्य में अल्प सख्यको के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको उस राज्य का शासक नियुक्त करेगा।

(२) सद्य के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प सख्यको के लिये इस सविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणों (सेफगार्ड) के सम्बन्ध के सब विषयों का अनुसन्धान करना, और ऐसे अवधि-अन्तरो में, जिनका प्रधान निदेश करे, अभिरक्षणों के कार्यवाहन ३५ पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, सद्य के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा और प्रधान ऐसे सब प्रतिवेदनों को ससद् के समक्ष रखवायेगा

(३) एवं उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प सख्यको के लिये इस सविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणों के सम्बन्ध के सब विषयों का अनुसन्धान करना और ऐसे अवधि-अन्तरो में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, अभिरक्षणों के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, और राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनों को उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा, ४०

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित वनजातियों के कल्याणार्थ सघ का नियंत्रण

३००. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित वनजातियों के कल्याण पर प्रतिवेदन करने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही).

आयोग की रचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली आदेश में परिभाषित रह सकेगी ५ और उसमें वे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान भी रह सकेंगे जिन्हें प्रधान आवश्यक अथवा वाञ्छनीय समझे.

(२) सघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित वनजातियों के कल्याण के लिये उस निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता १० हो.

पिछड़ी हुई जातियों की अवस्थाओं के अनुसन्धान के लिये आयोग की नियुक्ति

३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का वना हुआ आयोग आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की अवस्थाओं के और उनकी कठिनाइयों के अनुसन्धान के लिये योग्य समझे, और जिन्हें वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उनकी अवस्था १५ को उत्तम करने के लिये जो उपाय सघ अथवा किसी राज्य को करने चाहिये उनके बारे में, और इस प्रयोजन के लिये कितना अनुदान सघ अथवा किसी राज्य द्वारा दिया जाना चाहिये और किन प्रतिबन्धों के साथ ऐसा अनुदान देना चाहिये उनके बारे में अभिस्तावों के करने के लिये योग्य समझे और ऐसे आयोग की नियुक्ति के आदेश में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका अनुसरण उस आयोग को करना होगा. २०

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश होगा और जिसमें ऐसे अभिस्ताव किये जावेंगे जिन्हें आयोग उचित समझे.

(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्यवाही की सक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद् के समक्ष रखवायेगा. २५

## भाग १५

## प्रकीर्ण

प्रधान और  
शासको की  
रक्षा

३०२ (१) प्रधान अथवा राज्य का शासक अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किये हुए अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी न होगा ।

पर, प्रधान के आचरण का निरीक्षण, इस सविधान के अनुच्छेद ५० के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये ससद्क किसी आगार द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा

पर यह और भी कि इस खंड की किमी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी व्यक्ति १० के, भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के विरुद्ध उन कार्यवाहियों के लाने के अधिकार में कोई रुकावट होगी जो इस सविधान के भाग १० के अध्याय ३ में वर्णित हैं

(२) किसी भी प्रकार की दण्ड-कार्यवाही प्रधान के विरुद्ध अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी और न चालू रखी जायेगी

१५

(३) किसी न्यायालय से, प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक को पकड़ने अथवा कारावास देने के लिये, कोई आदेशक (प्रॉसेस) न निकलेगा.

(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध कोई अध्यर्थना की गई हो, जो उसके अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके प्रधान अथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक ऐसी लिखित सूचना प्रधान, अथवा स्थिति के अनुसार, शासक को दी जाकर अथवा उसके कार्यालय में छोड़ी जाकर दो मास न बीत चुके हो जिसमें कार्यवाही का स्वरूप, उसमें के दावे का कारण और कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, तथा निवास स्थान दिये गये हों और उसकी अध्यर्थना भी दी गई हो

२५

निर्वाचन, आदि

३०३ (१) इस सविधान में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक निम्नलिखित पदों के वे अर्थ होंगे जो क्रमानुसार नीचे नियत किये गये हैं, अर्थात्—

(क) “कृषि-आय” से अभिप्राय वह कृषि-आय है जो भारतीय आय-कर विषयक अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित की गई हैं; ३०

(ख) “ग्रॉगल भारतीय” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका पिता अथवा पितृ परम्परा में कोई अन्य पुरुष जनक योरोपीय वंश का है या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासित है और जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा है जो वहां माधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं,

(ग) “भारतीय ईसाई” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी भी प्रकार के ईसाई धर्म को मानता है और जो योरोपीय अथवा ग्रॉगल-भारतीय नहीं है,

- (घ) “उधार-ग्रहण” में वार्षिकी के अनुदान द्वारा धन लेना भी सम्मिलित है, और “उधार” का अन्वयन तदनुसार किया जाएगा ;
- (ङ) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में “मुख्य न्यायाधीश” म मुख्य न्याया-धिकारी (चीफ जज) भी सम्मिलित है ;
- (च) “निगन-कर” से अभिप्राय आय पर उस कर से है जो प्रमण्डलो द्वारा ५ देय हो और जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति की जाती हो—

[१] कि वह कृषि-आय के विषय में देय न हो ;

[२] कि उस कर पर लागू होने वाले किन्हीं अधिनियम के अनुसार, प्रमण्डलो द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन प्रमण्डलो १० द्वारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश से कोई कमी करने का प्राधिकार न हो ;

[३] कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की समस्त आय की संगणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले अथवा ऐसे व्यक्तियों को लौट १५ कर मिलने वाले भारतीय आय-कर को संगणना में, इस प्रकार दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ;

(छ) सन्देश की अवस्था में “तत्स्थानी प्रान्त” अथवा “तत्स्थानी राज्य” से अभिप्राय वैसे प्रान्त अथवा राज्य से है जिसे प्रधान, विवादास्पद किसी विशेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त अथवा, २० स्थिति के अनुसार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ;

(ज) वार्षिक वृत्ति के रूप में पुंजी राशियों की देनगी की उत्तरदायिता के विषय में किसी देय और किसी प्रत्याभूति के अधीन किसी देय का समावेश “ऋण” में है और “ऋण-प्रभार” का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

२५

(झ) “वर्तमान विधि” से अभिप्राय किसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम से है जिसे इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम के बनाने की शक्ति रही हो ३० परन्तु जिसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद् के किसी अधिनियम का अथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषत्स्थित आदेश (आर्डर-इन-काउंसिल) का समावेश नहीं ,

(ञ) “संघान न्यायालय” से अभिप्राय भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अनुसार सघटित संघान न्यायालय से है ;

३५

(ट) “वस्तुओं” में समस्त सामग्रियों, पदार्थों और वस्तुओं का समावेश है ;

(ठ) “प्रत्याभूति” में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी उपक्रमण के लाभों के उल्लिखित राशि से न्यून होने की अवस्था में, देने के हेतु इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व उठाई गई हो ;

- (ड) "उत्तर वेतन" से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अथवा उसके वारे में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से है चाहे वह अशदायी हो या न हो और इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले सेवा-निवृत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले आनुतोषिक और इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि अथवा राशियों का समावेश है जो (प्राचयायी प्रणीवि) प्राविडेन्ट फड के चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने वाली हो चाहे वह व्याजसहित हो अथवा व्याजरहित अथवा उसमें कोई अन्य बढती हो ,
- (ढ) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गजट आफ इण्डिया) में, अथवा स्थिति के अनुसार, किसी राज्य के राजकीय सूचनापत्र में दिये अधिसूचन से है ;
- (ण) "प्रतिभूतियों" में स्कन्ध का समावेश है ,
- (त) "करारोपण" में किसी कर अथवा प्रवेश्यकर का समावेश है, चाहे वह सामान्य अथवा स्थानीय अथवा विशेष हो, और "कर" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;
- (थ) "आय पर कर" में अतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समावेश है ,
- (द) "अयोमार्ग" (रेलवे) में पूर्णतया किसी नगर समिति के भीतर ही न होने वाले रथ्यायान (ट्रामवे) का समावेश है ,
- (घ) "सघ-अयोमार्ग" (सघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देशी राज्य अयोमार्ग) का समावेश नहीं है परन्तु पूर्वोक्त को छोडकर जोगीण अयोमार्ग (माइनर रेलवे) नहीं है, उन सब आयोमार्गों का समावेश है ;
- (न) "देशी राज्य अयोमार्ग" (इण्डियन स्टेट रेलवे) से अभिप्राय २५ उस अयोमार्ग का है जिस का स्वामी प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य है और जो यातो ऐसे राज्यद्वारा या ऐसे राज्य की ओर से उस सविदा का अनुसरण न करते हुए चालित है जो सविदा उस राज्य के साथ भारत-शासन ने की हो अथवा भारत-शासन की ओर से की गई हो ३० अथवा उस राज्य के साथ संघ अयोमार्ग चलाने वाले किसी प्रमण्डल ने की हो ;
- (प) "गौण अयोमार्ग" (माइनर रेलवे) से अभिप्राय उस अयोमार्ग से है जो एक ही राज्य में पूर्णतया स्थित हो और समान चौडाई या असमान चौडाई के सघ अयोमार्ग से लगातार यातायात-पक्ति न बनाता हो ;
- (फ) "अनुसूची" से इस सविधान की अनुसूची का अभिप्राय है ;

- (ब) "अनुसूचित जातियों" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों या वनजातियों से अथवा जातियों, प्रजातियों या वन-जातियों के भागों अथवा उन में के समूहों से अभिप्राय है जो भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६, में भारत शासन अधिनियम, ५ १९३५, की पंचम और षष्ठ अनुसूचियों के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी प्रान्त के लिये अनुसूचित जातियों उल्लेख की गई हैं ;
- (भ) "अनुसूचित वन-जातियों" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को अष्टम अनुसूची के भाग १ से ६ के जो भाग क्रमशः लागू होते हैं उनमें उल्लिखित वन-जातियों १० अथवा समुदायों का अभिप्राय है.

(२) जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस सविधान के निर्वचन के हेतु सामान्य-परिभाषा-अधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८६७ (संख्या १०, १८६७ ई.) लागू होगा.

(३) इस सविधान में ससद् के, या संसद् द्वारा निर्मित, अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के अनुसार शासक द्वारा बनाये हुए अध्यादेश के निर्देश का अन्वयन सम्मिलित समझा जायेगा.

## भाग १६

## संविधान का संशोधन

संविधान के  
संशोधन की  
कार्यप्रणाली

३०४. (१) ससद् के किसी आगार में तदर्थ विधेयक पुर-स्थापित करके संविधान के संशोधन का सूत्रपात किया जा सकेगा, और जब प्रत्येक आगार में, उस आगार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस आगार में उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयो के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा:

पर यदि ऐसे संशोधन से—

१०

- (क) सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में ;
- (ख) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधान में ; अथवा
- (ग) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में ,

कोई परिवर्तन इष्ट हो तो प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलो द्वारा और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान मण्डलो द्वारा उस संशोधन का उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) भी अपेक्षित होगा १५

(२) अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, (शासक को चुनने की पद्धति सम्बन्धी या) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के आगारों की संख्या सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में अथवा जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहा राज्य के विधान-मण्डल के किसी आगार में, तदर्थ विधेयक पुर स्थापित करके, किया जा सकेगा, और जब विधेयक विधान-सभा द्वारा या, जहा राज्य में विधान-परिषद् है वहा राज्य के विधान-मण्डल के दोनो आगारों द्वारा विधान-सभा या प्रत्येक आगार की, जैसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) के लिये ससद् के समक्ष रखा जायगा और जब वह ससद् के प्रत्येक आगार द्वारा, उस आगार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से उपोद्बलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयो के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा ३०

व्याख्या —जहा प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय राज्यों का कोई समूह उल्लिखित है, तो इस अनुच्छेद के खंड (१) के परादिक के प्रयोजनार्थ, सारा समूह एक राज्य समझा जायेगा

अल्पसंख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण केवल दस वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसका प्रवर्तन संविधान के संशोधन से चालू न रखा जाय

३०५ इस संविधान के अनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, ससद् में या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल में मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन-जातियों अथवा भारतीय ईसाइयों के स्थानों के आरक्षण-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में, संशोधित न किये जायेंगे और दस वर्ष के अवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन द्वारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो. ४०

## भाग १७

## अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

राज्य सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में, संसद् को विधि बनाने का अस्थायी अधिकार मानो कि ये समवर्ती सूची के विषय हैं

३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, इस संविधान के प्रारम्भ से ५ वर्ष की अवधि तक निम्न विषयों के सम्बन्ध में, विधि बनाने का अधिकार होगा, मानो कि ये विषय समवर्ती सूची में अंकित हों, अर्थात् :— ५

(क) सूती और ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तैल-बीज और तैल सम्मिलित है), मिट्टी का तैल और उससे बनी हुई वस्तुएँ, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनो के अतिरिक्त भाग (पुरजे), कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर १० व्यापार और वाणिज्य और उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण ;

(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन ,

(ग) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विषयों से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनार्थ १५ परिग्रहण और समक (स्टैटिस्टिक्स), उन विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ, तथा उन विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहीं, जो किसी न्यायालय द्वारा लिये जायें; २०

किन्तु संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद् इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के अवसान पर, असमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन बातों के विषय को छोड़ कर जो उस अवसान के पूर्व की हुई अथवा करने से छोड़ी हुई हों।

वर्तमान विधियों और उनके संशोधित रूपों का चालू रहना

३०७. (१) इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस २५ संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियाँ तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें।

(२) आदेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो आदेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या उस के किसी भाग में कोई प्रवृत्त ३० विधि, ऐसे उपयोजनों और सपरिवर्तनों के साथ, चाहे वे विखण्डन या संशोधन के रूप में हों, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत करने के लिये उसको आवश्यक या उचित दीखें, प्रवृत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन अथवा संशोधन न करे और ऐसे उपयोजनों और सपरिवर्तनों पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी। ३५

व्याख्या १ — इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पद में वह विधि भी सम्मिलित होगी जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारण (पास) या निर्माण की हो और पूर्व विखण्डित न कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वथा, या विशेष क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों। ४०



व्याख्या २.—भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मडल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित कोई विधि, जो इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, पूर्वोक्त उपयोजनों और सपरिवर्तनों के साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी बनी रहेगी.

व्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी ५ अस्थायी अधिनियम का प्रवर्तन उसके अवसान की निर्धारित तिथि के पश्चात् चालू रहेगा

सघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाना और सघान न्यायालय में या सपरिषद् सम्राट के समक्ष लम्बित कार्य-वाहियों का सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाना

३०८. (१) इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व पद धारण करने वाले सघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनों १० और अधिदयों के, तथा श्रवकाश और उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जो इस सविधान के अनुच्छेद १०४ के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हैं

(२) इस सविधान के प्रारम्भ पर सघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकद्दमों, पुनर्विचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियाँ १५ सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय को उनके सुनने और निर्णय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस सविधान के प्रारम्भ के पूर्व, सघान न्यायालय द्वारा दिये हुए निर्णयों और आदेशों को वैसा ही बल और प्रभाव प्राप्त होगा मानो कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों.

(३) इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को और उसके पश्चात्, भारत-राज्य- २० क्षेत्र के अन्तर्गत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश और आदेश के विरुद्ध अथवा सम्बन्ध में पुनर्विचार प्रार्थनाओं और याचनाओं को सुनने और निर्णय करने का, सपरिषद् सम्राट का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्राट के परमाधिकार के बल पर सम्राट द्वारा दण्ड विषयक प्रयोक्तव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित हैं, समाप्त हो जायेगा और उस दिन, सपरिषद् सम्राट के सम लम्बित सब पुनर्विचार प्रार्थनाएँ और अन्य कार्य- २५ वाहियाँ सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय उनका निर्णय करेगा.

(४) इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये ससद् विधि द्वारा प्रावधान बना सकेगी.

इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, इसके प्रावधानों के अधीन, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का अपने अपने प्रकार्यों को करते रहना.

३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और आगम क्षेत्राधिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, अधिशासन सम्बन्धी और लिपिक सम्बन्धी सब प्राधिकारी और सब अधिकारी इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने अपने प्रकार्यों को करते रहेंगे. ३०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान.

३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व पद धारण करने वाले किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतन और अधिदयो के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद १६७ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हैं.

सद्य के अस्थायी विधान-मण्डल तथा प्रधान आदि के विषय में प्रावधान.

३११. (१) जब तक संसद् के दोनों आगार इस संविधान के अधीन यथा विधि संघटित न हो चुके हों और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हों, तब तक भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की सविधान-सभा, संसद् को दी हुई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन स्वयं करेगी और विशेषतः संसद् के दोनों आगारों का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचन विषयक और उससे सम्बद्ध सब बातों के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन सम्मिलित है तथा ऐसे अन्य आनुषंगिक और समनुवर्ती विषयों के लिये, जो इस सविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक समझे जायें, विधि बना सकेगी.

व्याख्या.—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समझे जायेंगे जो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये हैं परन्तु वे सदस्य सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हैं जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं.

(२) भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के अनुसार, अधिराज्य के विधान-मण्डल के रूप में जब सविधान-सभा प्रकार्य करे तब उस सभा का अध्यक्ष हो वह इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन प्रकार्य करने वाली सविधान सभा का अध्यक्ष बना रहेगा.

(३) जब तक इस संविधान के भाग ५ के अध्याय १ के प्रावधानों के अनुसार प्रधान निर्वाचित न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति जिसे भारत-अधिराज्य की संविधान सभा एतदर्थ निर्वाचित कर ले, भारत का अस्थायी प्रधान होगा.

(४) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व भारत-अधिराज्य के मन्त्रियों के पद-धारण करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् इस सविधान के अधीन अस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के अस्थायी विधान-मण्डल, या शासक आदि के विषय में प्रावधान.

३१२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डल के एक अथवा दोनो आगार इस संविधान के प्रावधानों के अधीन यथाविधि संघटित न हो चुके हों और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हों, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व प्रकार्य करने वाले तत्स्थानी प्रान्त के विधान-मण्डल के एक अथवा दोनो आगार, उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के आगार या आगारों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हैं.

(२) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व, किसी प्रान्त की, विधान-सभा के अध्यक्ष या विधान-परिषद् के प्रधान का पद-धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का अध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद् का सभा-पति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार प्रकार्य करेगी.

(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के अध्याय २ के प्रावधानों के अनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक वह व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में शासक का पद धारण कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का अस्थायी शासक होगा. ५

(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में मन्त्रियों के पद-धारण करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के अस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे

कठिनाइयों को  
दूर करने की  
प्रधान की शक्ति

३१३ (१) इस संविधान के अनुच्छेद ३११ के खण्ड (१) के अधीन रहते १० हुए प्रधान, किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका सबध भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण से है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो आदेश में उल्लिखित हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनों के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह आवश्यक या उचित समझे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों १५

पर इस संविधान के भाग ५ के अध्याय २ के अनुसार यथाविधि संघटित संसद् की पहली बैठक के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन दिया हुआ प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखा जायगा.

## भाग १८

## प्रारम्भ और विखण्डन

प्रारम्भ.

३१४. यह संविधान . . . . . को प्रवर्तमान होगा.

विखण्डन.

३१५. भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट), १९४७, तथा भारत शासन अधिनियम, (गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट), ५ १९३५, भारत (केंद्रीय शासन और विधान-मंडल) अधिनियम [इन्डिया (सेण्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड लेजिसलेचर एक्ट)], १९४६ के सहित, तथा भारत-शासन अधिनियम (गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक्ट), १९३५, को संशोधन और अन्तर्पूरण करने वाले अन्य सब अधिनियम प्रभावशून्य, हो जाएंगे.

# प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १ और ४)

भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र

## भाग १

वे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सद्य पूर्व शासक के प्रातो ५ के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थे.—

- |                      |    |
|----------------------|----|
| १. मद्रास            |    |
| २. बम्बई.            |    |
| ३. पश्चिमी बंगाल     |    |
| ४. सयुक्त प्रात      | १० |
| ५. विहार             |    |
| ६. पूर्वी पजाब.      |    |
| ७. मध्यप्रात और बरार |    |
| ८. आसाम              |    |
| ९. उड़ीसा.           | १५ |

## भाग २

वे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सद्य पूर्व मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) के प्रातो के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थे.—

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| १. दिल्ली.                          |    |
| २. अजमेर-मेरवाडा सहित पथ पिपलोदा के | २० |
| ३. कुर्ग                            |    |

## भाग ३

### विभाग क

निम्नलिखित देशी राज्य —

- |               |    |
|---------------|----|
| १. मैसूर.     | २५ |
| २. काश्मीर.   |    |
| ३. ग्वालियर.  |    |
| ४. बडौदा      |    |
| ५. त्रावणकोर. |    |
| ६. कोचीन      |    |
| ७. उदयपुर.    | ३० |
| ८. जयपुर.     |    |

६.	जोधपुर.	
१०.	बीकानेर.	
११.	अलवर.	
१२.	कोटा.	
१३.	इन्दौर.	५
१४.	भोपाल.	
१५.	रीवा.	
१६.	कोल्हापुर.	
१७.	पटियाला.	
१८.	मयूरभंज.	१०
१९.	काठियावाड़ का संयुक्त राज्य.	

### विभाग ख

और सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के आरम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत-अधिराज्य के अन्तर्गत थे.

### भाग ४

अन्दमान और निकोबार द्वीप

१५

## द्वितीय अनुसूची

[अनुच्छेद ४८ (३), ६२ (६), ७६, १०४, १२४ (२), १३५ (३),  
१४५ (५), १६३ और १६७]

### भाग १

प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ५  
राज्यों के शासकों के संबंध में प्रावधान

१. प्रधान को तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित  
रहे राज्यों के शासकों को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे अर्थात् :—

				रु.	
प्रधान को . . . . .	..	...	..	५,५००	
राज्य के शासक को ..	...	..	..	४,५००	१०

२. प्रधान को और शासकों को अपनी अपनी पदावधि में प्रतिमास निम्न-  
लिखित अधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा और गरिमापूर्वक अपने  
अपने पदों के कर्तव्यों का पालन कर सकें :—

				रु.	
प्रधान को ..	.	.	.	.	
राज्य के शासक को	...	.	...	...	१५

३. अपने पद-ग्रहण करने के लिये, परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो,  
तथा अपने और अपने परिवार के सभार सहित, यात्रा करने में प्रधान का और शासक  
का जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर अधिदेय उनको दिया जायगा

४. अपनी अपनी संपूर्ण पदावधि में प्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना  
किराया या भाडा दिये अपने अपने उपयोग के लिए मिले हुए पदावासो, रेलवे सलूनो  
(अयोभाग विलासकोष्ठ), नदी-वाहनो, विमानो, मोटरगाडियो के उपयोग, का अधिकार २०  
होगा और इन सब के सधारण के सबध में उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पड़ेगा.

५. जब उपप्रधान या और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान के प्रकार्यों का पालन  
करता हो या उसका स्थानापन्न हो अथवा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रकार्यों का पालन  
करता हो तब वह कडिका (पैरा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं वेतनो और अधिदेयो २५  
को पाने का अधिकारी होगा जिनका कि वह प्रधान या वह शासक अधिकारी था  
जिसके प्रकार्यों का, जैसी कि स्थिति हो, वह पालन करता है या जिसका वह स्थाना-  
पन्न होता है और इस अनुसूची की कडिका ४ के प्रावधान उनको तब तक लागू होंगे  
जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता है या स्थानापन्न होता है परंतु ३०  
कडिका ३ के प्रावधान उसको लागू न होंगे

### भाग २

संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के  
मंत्रियों के लिये प्रावधान

६. संघ के प्रधान मंत्री को और प्रत्येक दूसरे मंत्री को वे वेतन और अधिदेय ३५  
दिये जायेंगे जो इस सविधान के प्रारम्भ से संघ पूर्व अधिराज्य के प्रधान मंत्री तथा  
प्रत्येक मंत्री को क्रमशः देय थे

७. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के  
मंत्रियों को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो सविधान के प्रारम्भ से संघ पूर्व  
तत्स्थानी प्रान्त के मंत्रियों को देय थे.

## भाग ३

लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषद् के सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबन्धी प्रावधान

८. लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्यपरिषद् के सभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के सद्य पूर्व भारत के अधिराज्य की संविधान-सभा के अध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरिषद् के उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि १५ अगस्त सन् १९४७ के १० सद्यपूर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के उपप्रधान को और केन्द्रीय राज्यपरिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) के उपप्रधान को क्रमशः देय थे.

९. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से नद्यपूर्व तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे और जहां तत्स्थानी प्रान्त में कोई विधानपरिषद् नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित करे.

## भाग ४

सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये प्रावधान २०

१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के अतर्गत, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करे, निम्न दर २५ से मासिक वेतन दिये जायेंगे, अर्थात् :—

	६.	
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को	... ५,०००	
सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	४,५००	
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को	... ४,०००	
उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	३,५०० :	३०

पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के समय भारत-शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की सेवा के लिए (अयोग्य होने अथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के उसके वेतन में से उस उत्तर-वेतन की राशि घटा दी जायगी.

११. अपने कर्तव्यों के सबंध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्यायाधीश का, तथा भारत-राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यों को छोड़कर जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित हैं, स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्याया-



धीश का जो व्यय लगे उसकी पूर्ति के लिए वे उचित अधिदेय दिये जायेंगे और यात्रा के सबब में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए प्रधान और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिये शासक समय समय पर विनिधान करे.

१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे ५ न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन सबधी अधिकार उन प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी कि स्थिति हो, जो सधन न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा १० किसी दूसरे न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-सबधी अधिकार उन्हीं प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी कि स्थिति हो, जो इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे.

(३) इस कडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस सविधान के १५ प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहा था, केवल उसी अवस्था में न्यायाधीश के रूप में उस तिथि को सेवा करता हुआ समझा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधीश के रूप में पीछे होने वाली स्थायी नियुक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया है २०

१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य न्यायाधीश" पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश का समावेश है, और "न्यायाधीश" पद में एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश का समावेश है,

(ख) "वास्तविक सेवा" में निम्न बातों का समावेश है—

(१) न्यायाधीश के कर्तव्यों को पालन करने में, या ऐसे अन्य प्रकार्यों के, जो प्रधान अथवा शासक ने, जैसी भी स्थिति हो, या इस सविधान के अनुच्छेद २८६ के अधीन नियुक्त आयोग (कमीशन) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हो, निष्पादन में, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत किया गया समय,

(२) जिस समय में न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित रहा है ३० उसको निकाल कर दीर्घकालीन अवकाश, और

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अथवा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवर्तन होने पर कार्यग्रहण-काल.

३५

## भाग ५

भारत के महाकेक्षक के संबंध में प्रावधान

१४. भारत के महाकेक्षक को प्रति मास चार सहस्र रुपयों की दर से वेतन दिया जायेगा.

१५. भारत के महाकेक्षक के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-सबधी अधिकार उन प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी भी स्थिति हो, जो इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व भारत के महाकेक्षक के लिये लागू थे और उन प्रावधानों में जहां जहां महाशासक को निर्देश है वहां वहां प्राधान को समझ जायेंगे. ४०

## तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ६२ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ और १६५]

### घोषणा प्रपत्र

(१)

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

५

“मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा, कि मैं संघ-मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक तथा अन्तःकरण से पालन करूँगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष, के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान और विधिके अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा।”

१०

(२)

संघ-मंत्री के लिये गूढ़ता की शपथ का प्रपत्र :—

“मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब मन्त्रि-रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से मसूचित या प्रकट न करूँगा।”

१५

(३)

संसद्-सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

२०

“मैं, अमुक, राज्य-परिषद् (अथवा लोक-सभा) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गम्भीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूँगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वक पालन करूँगा।”

२५

(४)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

“मैं, अमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गम्भीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूँगा और मैं यथोचितरूप तथा, सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूँगा और इस संविधान तथा विधियों को ऊँचे उठाये रखूँगा।”

३०

(५)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्त्री के लिये शपथ का प्रपत्र.—

“मैं, अमुक, गभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा, ५ कि मैं ... ..राज्य के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक तथा श्रान्तःकरण से पालन करूँगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान और विधि के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा.”

(६)

१०

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मन्त्री के लिये गृहता की शपथ का प्रपत्र —

“मैं, अमुक, गभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो ... ..के मन्त्री के रूप में, मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी, अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या १५ व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब ऐसे मन्त्रि-रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो अथवा शासक स्वविवेक से प्रयोक्तव्य प्रकार्यों से सवद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ससूचित अथवा प्रकट न करूँगा.” २०

(७)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र.—

“मैं, अमुक, विधान-सभा (अथवा विधान-परिषद्) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गभीरतापूर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और २५ घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूँगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वकपालन करूँगा.”

(८)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :— ३०

“मैं, अमुक, स्थित (अथवा के) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूँगा और मैं यथोचित रूप तथा सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के ३५ कर्तव्यों का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूँगा और इस संविधान तथा विधियों को ऊँचा उठाये रखूँगा.”

## चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद १४४ (४)]

### प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को निर्देश

१. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इन निर्देशों में "शासक" पद ५ में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस सविधान के प्रावधानों के अनुसार उस समय शासक के प्रकार्यों को कर रहा हो।

२. अपनी मन्त्रि-परिषद् के लिये नियुक्तियाँ करते समय शासक अपने मंत्रियों के चुनने में निम्नलिखित रीति के अनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, अर्थात्, शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी १० बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक सम्भावना है, उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपूर्ण अल्प सख्यक समुदायों के सदस्यों का, जहाँ तक यह व्यवहार्य हो, समावेश होगा) नियुक्त करेगा जो उस विधान-मण्डल का सामूहिक रूप से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे अधिक समर्थ हो। ऐसा करने में वह मन्त्रियों में परस्पर संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना १५ के पोषण की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा।

३. इस सविधान के द्वारा अथवा इसके अधीन जिन प्रकार्यों के सम्बन्ध में शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है उनको छोड़कर राज्य की अधिशासी शक्ति के क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य समस्त विषयों में शासक उन शक्तियों के प्रयोग में जो उसको दी गई हैं अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलेगा।

४. अच्छे प्रशासन के स्तरों के सधारण के हेतु, आचारिक, सामाजिक और २० आर्थिक कल्याण के पोषण करने वाले और जनता के समस्त वर्गों को सार्वजनिक जीवन तथा राज्य के शासन में यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाले समस्त उपायों की वृद्धि के हेतु, और समस्त वर्गों और पथों में सहकारिता, सद्भाव और धार्मिक विश्वासों और भावनाओं के प्रति परस्पर आदर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक २५ उद्योग करेगा।

# पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद १८६ (क) और १६० (१)]

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रावधान

## भाग १

५

### सामान्य

१ अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की अधिशासी शक्ति — इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति का विस्तार उसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा

२. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन १० को प्रतिवेदन — जिस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हो उस प्रत्येक राज्य का शासक प्रति वर्ष, अथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी अपेक्षा करे, भारत-शासन को अपने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा और सध की अधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उस राज्य को निवेश देने तक होगा

१५

## भाग २

मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और वरार, और उड़ीसा राज्यों के सम्बन्ध में प्रावधान

३ भाग २ की प्रयुक्ति — इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और वरार, और उड़ीसा के राज्यों को लागू होंगे

२०

४ जन-जाति-मन्त्रणा परिषद् — (१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और वरार, और उड़ीसा में दस से अग्युन और पञ्चीस से अनधिक सदस्यों की जन-जाति-मन्त्रणा परिषद् स्थापित की जाएगी जिनमें से यथाशक्य तीन-चौथाई के समीप सदस्य उनमें से होंगे जो उस राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जन जातियों के निर्वाचित सदस्य हैं

२५

(२) राज्य में, यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र हो तो, उनके प्रशासन से, और राज्य में अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना जन-जाति मन्त्रणा परिषद् का कर्तव्य होगा.

(३) शासक—

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति की रीति का ३० तथा परिषद् के सभापति और उसमें अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का ,

(ख) उसके अधिवेशन संचालन और सामान्यतः कार्य-प्रणाली का,

(ग) राज्य में अधिकारियों और स्थानीय निकायों के साथ उसके सम्बन्ध का, और

(घ) अन्य दूसरे आनुषंगिक विषयो का, विनिधान अथवा आनियम करने के लिये, जैसी कि स्थिति हो, नियम बना सकेगा.

५. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.—(१) यदि राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् इस प्रकार मन्त्रणा दे, तो शासक लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे ५ सकेगा कि ससद् का अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जैसे वह उक्त परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे: १०

पर यदि ऐसा अधिनियम निम्नलिखित विषयो में से किसी से भी सम्बद्ध हो, अर्थात् --

(क) विवाह ;

(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ,

(ग) वन-जातियों का सामाजिक आचार ; १५

(घ) भारतीय वन-अधिनियम, १९२७, के अधीन अथवा विचाराधीन क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के अधीन जो भूमिया आरक्षितवन हैं उनको छोड़ कर अन्य भूमि, जिसमें कृषकों के अधिकार, भूमि-आवटन और किसी प्रयोजन के हेतु भूमि-आरक्षण का भी समावेश है , २०

(ङ) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, और जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना का भी समावेश है,

तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् ऐसी मन्त्रणा दे

(२) उस राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासक उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में २५ आनियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी विधि में प्रावधान न किया गया हो।

(३) ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक का दण्ड दिया जाता है, अथवा ऐसे विवादों को छोड़कर, जो ऐसे आनियमों में परिभाषित विधियों से पैदा होते हैं, अन्य अपराधों और विवादों ३० से सम्बद्ध मुकद्दमों के वैधिक विचार के बारे में राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम भी बना सकेगा, और ऐसे आनियमों से मुखियों या पंचायतों को ऐसे मुकद्दमों के वैधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा।

(४) इस कड़िका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमों के शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मण्डल ३५ के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस सविधान द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

६. वनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का अन्यक्रामण और आवंटन.—(१) अनुसूचित वन-जातियों के किसी व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में किसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना वैध न होगा जो अनुसूचित ४० वन-जातियों में से नहीं है.

(२) अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत किसी भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा-परिषद् के साथ परामर्श करके शासन द्वारा बनाये गये तद्विपरक नियमों का अनुसरण किसे बिना किसी ऐसे व्यक्ति को न तो आवंटित किया जायेगा और न वसाहत पर दिया जायेगा जो अनुसूचित वनजातियों में से नहीं है

७ अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का आनियमन — शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा, और राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् के इस प्रकार मन्त्रणा देने पर लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश देगा, कि उस राज्य के शासन द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत पदाधारी द्वारा दिये गये अनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धों के अधीन अथवा उसके अनुसार ही और अन्यथा नहीं, कोई व्यक्ति साहूकारी के व्यवसाय को किसी अनुसूचित क्षेत्र में करेगा और ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भंग करना अपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दंड का उल्लेख होगा।

८ अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्धी आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना — राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमों में समाकलित की जाने वाली है या जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हें इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जायेगा।

९ अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर भाग २ लागू करना —  
(१) शासक किसी भी समय लोक अधिसूचना द्वारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर किसी अनुसूचित वन-जाति के व्यक्तियों से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को लागू होते हैं, और ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का निश्चयक प्रमाण होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए हैं

(२) शासक इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान उस अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी

### भाग ३

#### संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१० भाग ३ का लागू होना — इस भाग के प्रावधान केवल संयुक्त प्रान्त-राज्य को लागू होंगे

११ अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति — (१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित वन-जातियों में से होंगे ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्गत हो सकेंगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वाछनीय समझे

(२) राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा।

१२. कुछ अवस्थाओं में शासक की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पाच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, अन्य अपराधों से सम्बद्ध मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये या अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावों या मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, जो ऐसे आनियमों में उल्लिखित हों, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमों द्वारा ऐसे मुकद्दमों अथवा दावों के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियों अथवा पचायतों को भी दे सकेगा

(२) इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी अनुसूचित वन-जातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वन-जातियों में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा।

(३) इस कडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमों का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मंडल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस सविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है।

१३. अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना.—इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमों में समाकलित की जाने वाली हैं अथवा जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हें इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जाएगा

## भाग ४

### पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१४. भाग ४ का लागू होना.—इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वी पंजाब राज्य को लागू होंगे।

२५

१५. अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति की नियुक्ति.—(१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी होंगे। ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियाँ और कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान ३० अन्तर्गत हो सकेंगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वाछनीय समझे।

(२) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा।

१६. संसद् के अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों की अनुसूचित-क्षेत्रों पर प्रयुक्ति.—शासक लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद् का अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और सपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जैसा वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे।

४०



१७. शासक की आनियम बनाने की शक्ति — (१) ऐसे अपराधो को छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी अथवा पाच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दड दिया जाता है, अन्य अपराधो से सम्बद्ध मुकद्दमो के वैधिक विचार के निघे, अथवा अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावो या मुकद्दमो के वैधिक विचार के लिघे, जो ऐसे आनियमो में उल्लिखित हो, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमो द्वारा ऐसे मुकद्दमो अथवा दावो के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियो अथवा पचायतो को भी दे सकेगा।

(२) उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमिका, किसी अनुसूचित वनजातियो के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वनजातियो में से नहीं है, हस्तातरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा

(३) इस कडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमो का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मडल के किन्ती उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू हाता है और जो इस सविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त शक्तियो के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है

## भाग ५

### अनुसूचित क्षेत्र

१८. अनुसूचित क्षेत्र — (१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित क्षेत्र इस सविधान के अर्थान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र होंगे और उक्त सारणी में किसी विभाग, २० जिला (मडल), प्रशासी क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी निर्देश का अर्थ यह होगा कि मानो वे इस सविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वर्तमान विभाग (डिवीजन), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति के प्रति निर्देश हैं.

(२) प्रधान किसी भी समय आदेश द्वारा—

२५

(क) निर्देश दे सकेगा कि कोई पूरा अनुसूचित क्षेत्र अथवा उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा ,

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तन कर सकेगा परन्तु, केवल सीमाओ के सशोधन के रूप में ही ;

३०

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओ में परिवर्तन होने पर, अथवा सघ में प्रविष्ट किये गये अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस अनुसूची के भाग १ में अन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अथवा अनुसूचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट नहीं था,

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक तथा सन्नुवर्ती प्रावधान हो सकेगे जो प्रधान को आवश्यक और ठीक दीखें.

## सारणी

## १.—मद्रास

लकाद्वीप (जिसमें मिनीकाय का समावेश है) और अमीनदीवी द्वीप  
पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सी का उतना भाग जो भारत-  
शासन (उड़ीसा सघट) आदेश, १९३६, के प्रावधानों के अधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित ५  
नहीं हुआ है.

## २.—बम्बई

पश्चिमी खानदेश जिले में.—नवपुर पेठ, अक्रानी महाल और निम्नलिखित  
मेहवासी सरदारों के गांव : (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्वी, (३) सिंहपुर  
के पर्वी, (४) गौहाली के वलवी, (५) चिखली के वसावा, और (६) नवलपुर के १०  
पर्वी.

पूर्वी खानदेश के जिले में.—सतपुडा पहाड के आरक्षित वन-क्षेत्र.

नासिक जिले में.—कलवान तालुक और पेंट पेठ.

थाना जिले में.—दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाडा और अम्बरगांव  
के पेठ. १५

## ३.—संयुक्त प्रान्त

देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो  
कैमूर पहाड़ी के दक्षिण में है.

## ४.—पूर्वी पंजाब

काँगडा जिले में स्पीति और लाहौल. २०

## ५.—बिहार

राची और सिंहभूम के जिले और छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के  
पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिवीजन).

गोड्डा और देवगढ उपविभागों (सब डिवीजन) को छोड़कर सन्थाल परगनों का जिला.

## ६. मध्यप्रान्त और बरार २५

चादा जिले की, सिरोचा तहसील की अहेरी जमींदारी और गढचिरोली  
तहसील में धनोरा, दूधभाला, गेवर्धा, भूरापापडा खुटगाव, कोटगाल, मुरमगाव,  
पलसगढ, रगी, सिसुन्डी सोन्सारी, चन्डाला, गिलगाव, पाइ-मुराण्डा और पोटेगांव  
जमींदारिया

छिन्दवाडा जिले में हरई, गोरक घाट, गोडपानी, बटकागढ, बर्दागढ पतबिगढ  
(पगारा), अल्मोद और सोनपुर की जागीरे और पचमड़ी जागीर का भाग ३०  
जो छिन्दवाडा जिले में है.

मडला जिला.

बिलासपुर जिले में पेन्द्रा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छरी और कोर्वा  
जमींदारिया.

द्रुग जिले में औंधी, कोराचा, पानाबारस और आमागढ चौकी जमींदारिया. ३५

बालाघाट जिले में बैहर तहसील.

अमरावती जिले में मेलघाट तालुक.

बैतूल जिले में भैसदेही तहसील.

## ७.—उड़ीसा

गजाम माल-अचल एव क च्चमाल. ४०

कोरापुट जिला.

## छठी अनुसूची

[अनुच्छेद १८६ (ख) और १९० (२)]

आसाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान

१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश—(१) इस अनुसूची की कड़िका १६ से सलग सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो प्रस्तुत ५ समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्तशासी जिला होगा

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातियां हो तो शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा

(३) शासक लोक-अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, १०

(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा,

(ग) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढा सकेगा,

(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा, -

(ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा १५

पर इस अनुसूची की कड़िका १४ की उपकड़िका (१) के अनुसार नियुक्त ग्रायोग (कमीशन) की रिपोर्ट पर विचार किये बिना इस उपकड़िका के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन शासक कोई आदेश न देगा

पर यह और भी कि इस उपकड़िका के खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) के अधीन शासक कोई आदेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिले २० की जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ सकल्प पारित न किया जाए.

२. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का सघटन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये बीस से अन्धून और चालीस से अन्धिक सदस्यों की जिला परिषद् होगी जिनमें से तीन-चौथाई से अन्धून सदस्य प्रौढ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे.

(२) प्रत्येक जिला-परिषद् के निर्वाचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातियों से बसे हुए क्षेत्र और अन्य व्यक्तियों से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हो, यथासम्भव अलग अलग निर्वाचन-क्षेत्र होंगे

पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसख्या पाच ३० सौ से न्यून हो.

(३) इस अनुसूची की कड़िका १ की उपकड़िका (२) के अधीन स्वायत्त-शासी प्रदेश सघटित हूयें प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग प्रादेशिक परिषद् होगी.

(४) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः “(जिले का नाम)—की जिला परिषद्” और “(प्रदेश का नाम)—की प्रादेशिक परिषद्” ३५ के नाम से एक निगम होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक साधारण मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से दावा करेगी और उस पर उक्त नाम से बाधा किया जाएगा.

(५) इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, जहाँ तक वह इस अनुसूची के अधीन ऐसे जिले की किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित न हो, वहाँ तक ऐसे जिले की जिला परिषद् में निहित होगा और स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा।

(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हैं, प्रादेशिक परिषद् ५ के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिला परिषद् की केवल ऐसी शक्तियाँ और होंगी जो उसे इस अनुसूची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रदान की जायें।

(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों अथवा प्रदेशों के अन्तर्गत विद्यमान वन-जाति परिषदों अथवा अन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनों से परामर्श करके १० जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये प्रावधान होगा—

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना और उसके आसनों (सीटों) का विभाजन ;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उन परिषदों के १५ लिये निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान की योग्यताएँ और निर्वाचक-नामावतियों का बनाना ;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ ;

(ङ) ऐसी परिषदों के निर्वाचन अथवा मनोनयन के बारे में अथवा २० उससे सम्बद्ध कोई अन्य विषय ;

(च) जिला और प्रादेशिक परिषदों में कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ;

(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग की नियुक्ति।

(८) अपने प्रथम संघटन के पश्चात् जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस कडिका की उपकडिका (७) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी और— २५

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों अथवा गणों के निर्माण और उनकी कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ; और

(ख) जिले अथवा प्रदेश, जैसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य-सम्पादन के सामान्यतः समस्त विषयों ,

को आनियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी : ३०

पर जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस उपकडिका के अधीन नियम न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के निर्वाचनों, अधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग, तथा कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में इस कडिका की उपकडिका (७) के अनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे :

पर यह और भी कि इस अनुसूची की कडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ ३५ के क्रमशः पद ५ और ६ में समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में भिकिर और उत्तर कछार पहाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर या सब डिवीजनल आफिसर ( उप-विभागीय अधि-कारी), जैसी कि स्थिति हो, जिला परिषद् का पदकारणात् सभापति होगा और जिला परिषद् के प्रथम संघटन के पश्चात् छ. वर्ष की अवधि तक, शासक के ४० नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परिषद् के किसी सकल्प या निर्णय को अभिशून्य अथवा सपरिवर्तन करे या जिला परिषद् को ऐसे निदेश देवे, जैसे वह उचित समझे, और जिला परिषद् ऐसे प्रत्येक दिव्ये हुए निदेश का पालन करेगी।

३. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति —  
 (१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, और स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को, उस जिले के प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हो, के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़कर, उस जिले के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयों के बारे में विधियाँ बनाने की शक्ति होगी—

(क) किसी आरक्षित वन-भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये, अथवा रहने या अन्य कृषिभिन्न प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि सम्भावनीय हो, १०  
 विभाजन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना :

पर ऐसी विधियों की किसी बात से आसाम-राज्य को, अवापन का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तमान विधि के अनुसार, किसी भूमि के, चाहे वह दखल या बिना दखल की हुई हो, लोक प्रयोजनार्थ अनिवार्य अवापन में रुकावट न होगी, १५

(ख) आरक्षित वन को छोड़ कर किसी अन्य वन का प्रबन्ध,

(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी कुल्या (नहर) अथवा जल-धारा का उपयोग,

(घ) भूमि की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों के स्थानान्तरणशील कृषि का आनियमन, २०

(ङ) ग्राम अथवा नगर समितियों अथवा परिषदों का स्थापन और उनकी शक्तियाँ ;

(च) ग्राम अथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिसमें ग्राम अथवा नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सम्मिलित हैं ; २५

(छ) प्रमुखों अथवा मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार ;

(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ;

(झ) विवाह ;

(ञ) सामाजिक रूढ़ियाँ.

(२) इस कण्डिका में "आरक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आसाम वन आनियम, १८६६ के अधीन, अथवा प्रश्नास्पद क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी दूसरी विधि के अधीन आरक्षित वन हो ३०

४ स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रों के सबंध में और स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हो, के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़कर, उस जिले के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों के सबंध में, जिन दावों और मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये इस अनुसूची की कड़िका ५ की उपकड़िका (१) के प्रावधान लागू होते हैं अथवा जो इस अनुसूची की कड़िका ३ के अधीन बनाई हुई किसी विधि से उद्भूत हो उनको छोड़कर, अन्य दावों और मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके, गाम-परिषद् अथवा न्यायालय सघटित कर सकेगी, और उचित व्यक्तियों को ऐसी गाम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के अध्यासी पदधारी नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कड़िका ३ के अधीन बनाई हुई विधियों के प्रशासन के हेतु आवश्यक हों ४०

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद् न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिषद्, अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कड़िका ५ की उपकड़िका (१) के प्रावधान ५ जिन दावों और मुकद्दमों को लागू होते हैं उनको छोड़कर ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के, जैसी कि स्थिति हो, अन्तर्गत ऐसे समस्त दावों और मुकद्दमों में पुनर्विचार न्यायालय की शक्तियाँ प्रयोग में लाएँगी जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जैसी कि स्थिति हो, के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, और उस राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों अथवा मुकद्दमों में अपील का क्षेत्राधिकार १० न होगा और ऐसी प्रादेशिक अथवा जिला-परिषद् अथवा न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा.

५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन कुछ दावों और अपराधों के वैधिक विचार के लिए प्रादेशिक और जिला-परिषदों और अन्य न्यायालयों और पदधारियों को शक्तियों का प्रदान — १५  
(१) शासक, किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि से, जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया है, पेश हुए दावों या मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) अथवा ऐसे प्रदेश या जिले में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पाँच वर्ष से अन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के वैधिक विचार के २० लिए, ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को या ऐसी जिला परिषद् द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, के या, जैसी कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह समुपयुक्त समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय, २५ या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दावों, मुकद्दमों या अपराधों का वैधिक विचार करेगा.

(२) शासक, इस कड़िका की उपकड़िका (१) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तन कर सकेगा. ३०

(३) इस कड़िका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया संहिता, १९०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्हीं दावों, मुकद्दमों, या अपराधों के वैधिक विचार पर लागू न होंगे.

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति.—स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, ३५ औषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाट, मत्स्यपालन, सड़कें और जलनालों की स्थापना निर्माण और प्रबंधन कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा और रीति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी.

७. जिला तथा प्रदेश की प्रणीवि (फंड).—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले ४० के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि संस्थापित की जायगी जिसमें क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद् को और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस जिले अथवा प्रदेश के, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन करने में प्राप्त सब मुद्राओं को समाकलित किया जायेगा. ४५

(२) जिला प्रणीवि (फड) या, जैसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन के लिये जिला परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद् शासक के अनुमोदन से नियम बना सकेगी, और इस प्रकार से बने हुये नियमों में, उक्त प्रणीवि में मुद्राओं के देने के, उसमें से मुद्राओं को निकालने के, उसमें मुद्राओं के अभिरक्षण (कस्टडी) के, तथा इन विषयों से सम्बद्ध या इनके सहायक किसी विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली का ५ विनिधान रह सकेगा

८. भूम्यागम (मालगुजारी) निर्धारण तथासंग्रह करने और कर लगाने की शक्ति — (१) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत सब भूमियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को तथा यदि जिलों में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियों के सम्बन्ध में १० स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में, भूमि-आगम (मालगुजारी) को उन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारण और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतः आसाम राज्य में मालगुजारी के प्रयोजनार्थ भूमि के कर-निर्धारण के लिये आसाम-शासन द्वारा उक्त समय अनुसरण किये जा रहे हैं.

(२) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेशकी प्रादेशिक परिषद् १५ को तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिले की जिला-परिषद् को भूमि तथा इमारतों पर करों को, और ऐसे क्षेत्रों में घात करने वाले व्यक्तियों पर जन-कर (टोल) को लगाने और संग्रह करने की शक्ति होगी.

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले में निम्न करों में २० से सब या किसी को लगाने तथा संग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्—

- (क) व्यवसायों, व्यापारों, वृत्तियों, तथा सेवायुक्तियों पर कर,
- (ख) पशुओं, वाहनो और नावों पर कर,
- (ग) किसी बाजार में वह बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों में जाने वाले माल तथा व्यक्तियों पर मार्ग-कर (टोल), २५
- (घ) पाठशालाओं, शौचधानियों या मार्गों के संचारण के लिये कर

(४) इस कड़िका की उपकड़िका (२) और (३) में उल्लिखित करों के लगाने तथा संग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद्, जैसी कि स्थिति हो, आनियम बना सकेगी.

९. खनिज पदार्थों की खोज या निकालने के लिये अनुज्ञापत्र अथवा पट्टे.— ३०  
(१) स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थों के खोजने या उसे निकालने के प्रयोजनार्थ आसाम-शासन कोई अनुज्ञापत्र या पट्टा, उस जिले की जिला-परिषद् से परामर्श किये बिना न देगा.

(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम-शासन द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये अनुज्ञापत्र या पट्टों से प्रति ३५ वर्ष मिलने वाले अधिकार-शुल्क का ऐसा अन्न जितना परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम-शासन और जिला-परिषद् में सन्धिद्वारा ठहर जाये.

(३) यदि जिला-परिषद् को दिये जाने वाले अधिकार-शुल्क के अन्न के बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो वह शासक को निर्णय के लिये सौंपा जायेगा और स्वविवेक से शासक द्वारा निश्चित राशि इस कड़िका की उपकड़िका (२) के अधीन ४० जिला परिषद् को देय राशि समझी जायेगी और शासक का निर्णय अन्तिम होगा

१०. वनजातियो से भिन्न लोगो की साहूकारी और वाणिज्य के आयत्रण के लिये जिला-परिषद् की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) स्वायत्त शासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगो की, जो उसमें निवास करने वाली वनजातियो से भिन्न हैं, साहूकारी और वाणिज्य के आनियमन और नियत्रण के लिये आनियम बना सकेगी.

५

(२) ऐसे आनियम—

- (क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये अनुज्ञापत्र रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का व्यापार न करेगा ;
- (ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या ली जाने वाली अधिक से अधिक ब्याज की दर नियत करने के लिये विनिधान कर सकेंगे, १०
- (ग) साहूकारो द्वारा लेखा सधारण का तथा जिला परिषदो द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारियो से ऐसे लेखे के निरीक्षण का, प्रावधान कर सकेंगे ;
- (घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवाली अनुसूचित वनजातियो में से नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ १५ दिये गये अनुज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर-व्यापार न करेगा :

पर इस कडिका के अधीन ऐसे आनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य सख्या के तीन-चौथाई से अन्यून बहुमत से पारण न किये जायें :

पर और भी यह कि ऐसे किन्ही आनियमो के अधीन यह सामर्थ्य न होगा २० कि जो साहूकार अथवा व्यापारी ऐसे आनियमो के बनने के समय से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उसको अनुज्ञापत्र देना अस्वीकृत कर दिया जाय.

११. इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियो, नियमो और आनियमो का प्रकाशन.—इस अनुसूची के अधीन जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई हुई सब विधिया, नियम, और आनियम राज्य के राजकीय सूचनापत्र (आफि-२५ शियल गजट) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधिसम प्रभावी होंगे.

१२. स्वायत्तशासी जिलो और स्वायत्तशासी प्रदेशो पर ससद् और राज्य के विधान मडल के अधिनियमो का लागू होना —इस विधान में किसी बात के होते हुए भी— ३०

- (क) राज्य-विधानमडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयो से सम्बद्ध है जिनको इस अनुसूची की कडिका ३ में ऐसे विषय का होना उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेगी, और राज्य-विधानमडल का कोई अधिनियम, जो अनासुत सौषविक पेय (नानडिस्टिल्ड अल्कोहोलिक लिकर) ३५ के पीने का प्रतिषेध अथवा सकोचन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि प्रत्येक दोनो स्थिति में जिला-परिषद् या ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद् लोक-अधिसूचना द्वारा इसके लिए निदेश न दे, और जिला-परिषद् किसी अधिनियम ४० के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादो या संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे ;



(ख) शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद-अधिनियम अथवा राज्य के विधानमंडल के अधिनियम को इस कड़िका के खंड (क) के प्रावधान लागू न होते हो, वह किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लागू न होंगे, अथवा ऐसे जिले अथवा प्रदेश अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादो अथवा सपरिवर्तनों के साथ लागू होंगे जैसे शासक ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने का अभिस्ताव करने वाला सकल्प स्थित्यनुसार ऐसी जिला-परिषद् अथवा ऐसी प्रादेशिक परिषद् द्वारा पारित किया १० गया हो

१३. स्वायत्तशासी जिलो से सम्बद्ध प्रागणित आय और व्यय वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाए जायें—किसी स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध प्रागणित आय और व्यय, जो आसाम राज्य के आगमो में समाकलित किये जाने वाले हैं या उसमें से जिनकी पूर्ति होनी है, इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन राज्य-विधान-मंडल के सामने रखे जाने वाले राज्य के वार्षिक आर्थिक विवरण के पृथक् दिखाये जायेंगे १५

१४. स्वायत्त जिलो के प्रशासन की परिपृच्छा करने को और उसके विषय में प्रत्यावेदन करने को आयोग (कमीशन) को नियुक्त—(१) आसाम का शासक राज्य में स्वायत्तशासी जिलो के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय की, जिसका उसने उखल्ले कर दिया है, परीक्षा करने के लिये और उस पर अपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) करने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में स्थित स्वायत्तशासी जिलो के प्रशासन के सम्बन्ध में और विशेषतया— २०

(क) ऐसे जिलो में शैक्षिक और चिकित्सा की सुविधाओं तथा संचार के प्रावधान,

(ख) ऐसे जिलो के बारे में किसी नये अथवा विशेष विधान की आवश्यकता, २५

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई धिवियो, आनियमो और नियमो के प्रशासन,

के सम्बन्ध में समय समय पर परिपृच्छा और प्रत्यावेदन करने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा, और आयोग द्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणाली का परिभाषण कर सकेगा ३०

(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्ध शासक के अभिस्तावो के साथ सम्बन्धी मंत्री, आसाम-शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा

(३) राज्य-शासन के कार्य को अपने मंत्रियो में विभाजन करते हुए आसाम का शासक अपने मंत्रियो में से किसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायत्तशासी जिलो के कल्याण का प्रभार दे सकेगा. ३५

१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और सकल्पो का अभिशून्यन अथवानिलम्बन—(१) यदि किसी समय शासक को यह सतोप हो जायें कि प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् के किसी काम या सकल्प से भारत के क्षेम का सकट में पडना सभाव्य है तो वह ऐसे कार्य अथवा सकल्प का अभिशून्यन या निलम्बन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद् का निलम्बन और परिषद् में निहित या उससे प्रयोक्तव्य शक्तियो में से सब या किन्ही को अपने हाथ में लेना भी सम्मिलित होगा) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से अथवा चालू रखे जाने से या ऐसे सकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे. ४०

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन शासक द्वारा दिये गए आदेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमंडल के सामने यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और यदि आदेश को विधानमंडल खंडित न कर दे तो वह उस तिथि से १२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था :

पर यदि और जितनी बार राज्य का विधानमंडल ऐसे आदेश के प्रवर्तन को चालू रखने के लिये अनुमोदन का सकल्प पारण करता है तो आदेश, जब तक शासक उसे विलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशून्य होता.

(३) इस कंडिका के अधीन अपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा

१६. जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् का विलयन.—इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग के अभिस्ताव पर शासक, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद् का विलयन कर सकेगा और—

(क) परिषद् के पुनःसंघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या

(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को शासक अपने हाथ में ले सकेगा या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन की ऐसे कमीशन के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह सन्तुष्युक्त समझता है, हाथ में १२ से अधिक मास के लिये दे सकेगा :

पर जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया हो तब शासक, प्रशासक क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद् का पुनःसंघटन होने तक इस कंडिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा :

पर यह और भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का अवसर २५ जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को, जैसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी

१७. कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस अनुसूची के प्रावधानों का लागू होना — (१) आसाम का शासक —

(क) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्हीं प्रावधानों को कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लागू कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र अथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों के अनुसार होगा, और

(ख) इसी प्रकार के अनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को उक्त सारणी में से अपवर्जित कर सकेगा

(२) उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भाग का, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन प्रधान, आसाम के शासक द्वारा, जो उसका (अभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा और इस संविधान के भाग ८ के प्रावधान वहां इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा क्षेत्र अथवा उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र है

१८. अन्तर्वर्ती प्रावधान.— इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आसाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जो इस अनुसूची में दिखे हैं, जिला परिषद् के सघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद् सघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हुये शासक में निहित होगा और ऐसे जिले में स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात् —

(क) ससद् अथवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे, और किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके किसी उल्लिखित भाग को ऐसे अपवादों और सपरिवर्तनों सहित लागू होगा जिनको वह उचित समझे,

(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक आनियम बना सकेगा और इतने प्रकार बने आनियम ऐसे क्षेत्र में उस समय लागू होने वाले संसद्, अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि को विखंडित अथवा सशोधित कर सकेगा इस खंड के अधीन बने आनियम तुरन्त ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे और जब तक वह उनको स्वीकृति न दे दे तब तक प्रभावी न होंगे ;

(ग) इस कड़िका के खंड (क) और (ख) के अधीन अपने प्रकारों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा.

१९. वनजाति क्षेत्र — निम्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित क्षेत्र आसाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होंगे, और उक्त सारणी में किसी जिले या प्रशासित क्षेत्र के प्रति निर्देश को इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान जिले या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेगा.

#### सारणी

##### भाग १

१. शिलांग नगर को छोड़कर खासी और जैन्तिया पहाड़ियों का जिला. ३०
२. गारो पहाड़ियों का जिला.
३. लुशाई पहाड़ियों का जिला.
४. नागा पहाड़ियों का जिला.
५. कछार जिले का उत्तरी कछार उपविभाग (सब-डिवीजन)
६. वरपाथर और सरूपाथर मौजों को छोड़कर नौगाव और शिवसागर जिले का भिकिर पहाड़ी वाला भाग. ३५

##### भाग २

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश.
२. तीरप का सीमा-प्रदेश (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोड़कर).
३. नागा वन-जाति-प्रदेश.

# सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २१७)

(सूची १ संघसूची)

१. भारत-राज्य-क्षेत्र और उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, और सामान्यतः ५ प्रतिरक्षा के लिये सारी तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलतापूर्वक चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सेना के सफल विसर्जन में सहायक हो.
२. केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग (इन्टेलीजेन्स ब्यूरो).
३. प्रतिरक्षा, बहिर्देशीय कार्य अथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणों से भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक अवरोध.
४. संघ के जल, थल तथा नभ बलों का संग्रहण, प्रशिक्षण, संधारण १० और नियंत्रण तथा उनकी सेवायुक्ति ; प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में संगृहीत तथा सेवायुक्त सशस्त्र बलों की संख्या, सघटन और नियंत्रण.
५. ऐसे उद्योग जिन्हें संसद् ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ अथवा १५ युद्धचालन के लिये आवश्यक घोषित किया है.
६. जल, थल तथा नभ बल की कर्मशालाएं.
७. सेनावास (छावनी) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत, सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तियां, ऐसे क्षेत्रों में गृह-व्यवस्था और ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन.
८. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट. २०
९. परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज साधन.
१०. विदेशी कार्य ; वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता हो.
११. अन्तराजनैतिक, वाणिज्यद्वितीय तथा व्यापारीय प्रतिनिधान.
१२. संयुक्त राष्ट्र संघटन. २५
१३. अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, पार्षदों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किये गये निर्णयों की अभिपूर्ति.
१४. युद्ध तथा शान्ति.
१५. विदेशों के साथ संधियां और सविदायें करना तथा उनकी अभिपूर्ति. ३०
१६. विदेशी क्षेत्राधिकार.
१७. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य.
१८. विदेशी ऋण.
१९. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा अन्यदेशीय लोग.
२०. उदर्पण.
२१. पारपत्र तथा दृष्टाक (पासपोर्ट तथा वीजा). ३५
२२. सामुद्रिक डकैतियां, घोरपराध अथवा राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए हुए बाह्य समुद्र तथा वायु में अपराध.
२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कासन.
२४. भारत के बाहर स्थानों को तीर्थयात्रा.

२५. पत्तन निरोधा, सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय और पत्तन निरोधाओं से सम्बद्ध चिकित्सालय.

२६. भारत-शासन द्वारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाओं के पार आयात और निर्यात.

२७. डाक और तार. ५

२८. दूरभाष (टेलीफोन), वितन्तु (वायरलेस), ग्राकाशभाषण और इसी प्रकार के अन्य संचार.

२९. डाकघर (प्रेषणालय) सचयाधिकोष.

३०. वायुमार्ग, विमान (वायुवाहन) तथा विमान परिवहण, वायुपत्तनो का प्रावधान, वायुयातायात और वायुपत्तनो का आनियमन और सघटन, वमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और राज्यों तथा अन्य अभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का आनियमन. १०

३१. ससद् से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग.

३२. यत्र चालित जलयानो के लिए ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गये अन्तर्दश जल मार्गों पर नौ-परिवहण और नौतरण तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग नियम ; ऐसे जल मार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना. १५

३३. सामुद्रिक नौ-परिवहण तथा नौतरण जिसमें वेला जल पर नौपरिवहण तथा नौतरण सम्मिलित है ; वाणिज्यपोतिको के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये प्रावधान और राज्यों तथा अन्य अभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का आनियमन. २०

३४. नावाधिकरण-क्षेत्राधिकार.

३५. वे पत्तन जिनको ससद् निर्मित विधि अथवा वर्तमान विधि के द्वारा अथवा अधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया है, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन प्राधिकारियों का सघटन तथा शक्तिया भी सम्मिलित है.

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्वलितया तथा नौपरिवहण तथा विमानो की रक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है. २५

३७. वायु अथवा समुद्र से यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना.

३८. सघ की रेलों, क्षेन, अधिकतम और अल्पतम दर और भाडे, स्टेशन और सेवा सीमा व्यय,यातायात का निमय और रेलवे प्रशासनो का माल और यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व —इन के विषय में छोटी रेलो को छोडकर और सब रेलो का आनियमन, क्षेन तथा रेलवे प्रशासनो का माल और यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व—इन के विषय में छोटी रेलो का आनियमन.

३९. १५ अगस्त १९४७ को इम्पीरियल लायन्नेरी, इन्डियन म्युजियम, दि इम्पीरियल वार म्युजियम, दि विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात सस्थाएँ तथा भारत-शासन द्वारा पूर्णत. अथवा अशतः अर्थ सधारित तथा ससद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली सस्था घोषित की गई कोई अन्य सस्था.

४०. १५ अगस्त १९४७ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञात सस्थाएँ.

४१. भारत भूमिति विभाग, भौमकीय, औद्भिदीय, तथा प्राणिकीय, भारत आपरोक्षण विभाग सघ के घनवातिकीय सघटन ४०

४२. सघ की सम्पत्ति और उससे आगम, किन्तु किसी राज्य में स्थित सपत्ति के बारे में, जहा तक ससद् ने विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित किया है उसको छोडकर, सर्वदा उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए.

४३. संघ के प्रयोजनार्थ अर्थात् अथवा अधिदाचित संपत्ति के लिये मुद्राविजा निश्चय करने के सिद्धान्तों के आनियमन सम्बन्धी सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के प्रयोजनार्थ संपत्ति का अर्थात् अथवा अधिदाचन

४४. भारत का रिजर्व बैंक (सचिती अधिकोष).

४५. संघ का लोक ऋण.

५

४६. चलार्थ, विदेशी विनिमय, टंकवर्ग तथा वैधमुद्रा.

४७. अधिकोषण.

४८. धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा अर्थपत्र और अन्य ऐसे ही विलेख.

४९. आगोप (इंश्योरेन्स).

५०. निगम, अर्थात्, वाणिज्यिक निगमों का, अधिकोषीय, आगोपीय तथा १० आर्थिक निगमों के सहित किन्तु सहकारी मण्डलों के अर्थात् अथवा, तथा एक राज्य में ही सीमित न रहने वाले उद्देश्यों को रखने वाले निगमों का, चाहे वे वाणिज्यिक हो या नहीं, किन्तु विश्वविद्यालयों के अर्थात् अथवा, निगमन, आनियमन तथा समापन.

५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाएं, पण्यचिन्ह और वाणिज्य चिन्ह.

१५

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तिया और लिये जाने वाले शुक.

५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य अधिष्ठान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़ कर भारत के अन्तर्गत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा २० किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से अपवर्जन.

५४. सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के विषय में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ.

५५. जनगणना.

२५

५६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ, आपरीक्षण और समक.

५७. निम्न प्रयोजनों के लिये संघ एजेन्सियों और संस्थायें अर्थात्, अन्वेषणार्थ, व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, अथवा विशेष अध्ययनों के वर्धनार्थ.

५८. संघ लोक सेवाएँ, और संघ-लोक-सेवा-आयोग (कमीशन).

३०

५९. संघ के सेवायुक्तों से सम्बद्ध औद्योगिक विवाद.

६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक आस्मारक, जिनको संसद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो; पुरावशेष स्थान तथा अवशेष.

६१. भार तथा माप के प्रमाणों का स्थापन

६२. अफीम जहाँ तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय ३५ का सम्बन्ध है.

६३. मिट्टी का तेल और संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य घोषित किये गये अन्य तरलो और द्रव्यों का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहण.

६४. जहाँ संघ के नियंत्रणाधीन विकास को संसद् ने विधि द्वारा लोक हित के लिए वाञ्छनीय घोषित किया हो, उन उद्योगों का विकास

४०

६५ श्रम का आनियमन और खानो तथा तेल क्षेत्रों में क्षेम.

६६ उस विस्तार तक खानों तथा तेल क्षेत्रों और खनिज विकास का आनियमन, जहाँ तक ससद् ने विधिद्वारा सघ के नियंत्रणाधीन ऐसे आनियम तथा विकास को लोकरू हित के लिये वाछनीय घोषित किया हो

६७. प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे ५ किसी राज्य के किसी भाग के आरक्षी (पुलिस) बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का, इस प्रकार उल्लिखित अन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, किंतु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक भाग का आरक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे स्थान में उस राज्य के शासन की सहमति के बिना शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके किसी राज्य के बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार १० का उस राज्य के बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार

६८ ससद्, तथा प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन, तथा इन निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग

६९. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार, सघ के मंत्रियों, राज्यपरिषद् के सभापति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के १५ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, तथा अधिदेय, ससद् के सदस्यों के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार, भारत के महाकेशक के वेतन, अधिदेय तथा सेवा-प्रतिबन्ध.

७० ससद् की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए अथवा प्रलेखों को उपस्थित करने के लिए व्यक्तियों को बलपूर्वक उपस्थित कराना

७१ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन २०

७२ अन्ताराज्य निरोध.

७३ सूची २ की प्रतिष्ठि ३३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अन्ताराज्य व्यापार तथा वाणिज्य

७४ बाढ के नियंत्रण, सिंचाई, नौतरण तथा जलवैद्यत शक्ति के प्रयोजनार्थ अन्ताराज्य जलमार्गों का विकास २५

७५ राज्यक्षेत्रीय समुद्रजल के बाहर मछली पकडना और पालना

७६ सघ अभिकर्ताओं द्वारा लवण का निर्माण तथा अन्य अभिकर्ताओं द्वारा लवण के निर्माण तथा विभाजन का आनियमन तथा नियंत्रण

७७ भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सघ पर प्रभाव डालने वाली सद्य-स्कृत्य स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्ध. ३०

७८ भारत-शासन अथवा किसी राज्य के शासन द्वारा सघटित लाटरी.

७९ स्कध-विनिमयो तथा भाविपाणि और वहा के सौदो पर मुद्राक करो के अतिरिक्त, अन्य कर

८०. विनिमय पत्रो, घनादेशो, प्रतिज्ञा-अर्थपत्रो, वहनपत्रो, प्रत्ययपत्रो, आगोपलेख-अर्शों के हस्तान्तरण, ऋणपत्रो, प्रतिपुरुषपत्रो और प्राप्तियों के सम्बन्ध ३५ में लगने वाले मुद्राक कर की दर

८१ कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर.

८२. कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति कर

८३ रेल अथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं अथवा यात्रियों ४० पर सीमा-कर, रेल के भाड़ों और हुलाई भाडे पर कर.

८४. कृषि-आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर.  
 ८५. निराक्राम्य कर जिसके अन्तर्गत निर्यात कर भी है.  
 ८६. तम्बाकू तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर उत्पाद-कर, पर इन में—

(क) मानव उपयोग के लिये सौषविक पेय ; ५

(ख) अफीम, गाजा तथा प्रमीलक भेषज और प्रमीलक, अप्रमीलक भेषज सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु इनमें भैषजिक तथा शृंगार सम्बन्धी वनी हुई वस्तुएँ, जिनमें सुषुप्त अथवा इस प्रविष्टि की अनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य ही, सम्मिलित हैं.

८७. निगम कर. १०

८८. व्यक्तियों अथवा प्रमंडलों के परिसम्पदों के, जिनमें कृष्य भूमि सम्मिलित नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर ; तथा प्रमंडलों की पूंजी पर कर.

८९. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध.

९०. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क पर, किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं. १५

९१. सूची २ अथवा सूची ३, इन दोनों में अनुल्लिखित कोई अन्य विषय, और कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो.

### सूची २.—राज्य-सूची

१. लोक व्यवस्था [पर इसमें (सिविल) अक्षैतिक शक्ति की सहायता के लिये जल, थल अथवा नभ बलों का प्रयोग सम्मिलित नहीं है] ; लोक व्यवस्था के संधारण २० से सम्बद्ध कारणों से निवारक अवरोध ; इस प्रकार अवरोध व्यक्ति.

२. न्याय-प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का संस्थापन तथा संघटन और वहाँ लिये जाने वाले शुल्क.

३. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर, सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ ; लगान तथा आगम न्याया- २५ लयों में कार्यप्रणाली.

४. आरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके अन्तर्गत रेलवे तथा ग्राम-आरक्षि-वर्ग भी हैं.

५. कारागार, चरित्रशोधनगृह, बोस्टल संस्थायें और इसी प्रकार की अन्य संस्थायें और उनमें अवरोध व्यक्ति, कारागारों तथा अन्य संस्थाओं के प्रयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रवन्ध. ३०

६. राज्य का राष्ट्र-दृष्ट.

७. राज्य लोक सेवाएँ तथा राज्य लोक-सेवा-आयोग.

८. राज्य के अधिकार में अथवा उसमें निहित कर्मशालाएँ, भूमिया तथा इमारतें.

९. किसी राज्य के प्रयोजनार्थ अर्वाप्त अथवा अधिधाचित संपत्ति का मुआ- ३५ विजा निश्चित किया जाने के लिये सिद्धान्तों के आनियमन से सम्बद्ध तृतीय सूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सघ प्रयोजनों के अनिर्वक्त, भूमि की अनिर्वार्य अर्वाप्ति.



१०. पुस्तकालय, कौतुकालय और राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा अर्थ संधारित अन्य ऐसी ही सस्थाएँ.

११ राज्य के विधान-मंडल के लिए, और राज्य के शासक का (राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन, और ऐसे निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग. ५

१२. राज्य के शासक के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार, राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और यदि विधान-परिषद् हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा अधिदेय ; राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार.

१३ राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने अथवा १० प्रलेखों को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की बलपूर्वक उपस्थिति कराना.

१४. स्थानीय शासन अर्थात् स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ नगर निगमों, सुधार मंडल, मडलगाणों, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवर्ग तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का सस्थापन तथा शक्तिया.

१५ लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म १५ और मृत्यु का पंजीयन

१६. भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएँ

१७. शव गाड़ना तथा शव गाड़ने के स्थान, शवदाह तथा श्मशान

१८ शिक्षा जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयों २० को छोड़ कर अन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं.

१९ संचार अर्थात् सड़के, पुल, नौका-घाट, और सूची १ में अनल्लिखित संचार के अन्य साधन, छोटी रेलें—ऐसी रेलों के विषय में सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ; नगर रथयायान, रज्जुमार्ग, अन्तर्देश जलमार्ग, ऐसे जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ तथा सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उन पर यातायात, २५ बड़े पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पत्तन ; यत्र से चलने वाले वाहनों को छोड़ कर, अन्य वाहन.

२० सूची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जल अर्थात् जल-प्रदाय, सिंचाई तथा नहरे, जल निकालने के साधन और बंध, जल-संग्रह और जल-शक्ति.

३०

२१ कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा और अन्वेषण, विनाशी कीटों से बचाव और उद्भिद् रोगों की रोकथाम, सम्मिलित हैं.

२२ पशुओं की जाति की उत्पत्ति, पशुओं के रोगों की रोकथाम तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा व्यवहार.

२३. पक्षवरोधस्थान (काजी हौस) और पशुओं के अनधिकार प्रवेश की ३५ रोकथाम

२४ भूमि, अर्थात् भूमि में या उसके ऊपर अधिकार, जमींदार और किसान के सम्बन्ध, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पट्टे; कृष्य भूमि का हस्तांतरण तथा अन्यक्रामण ; भूमि सुधार तथा कृषि सम्बन्धी ऋण, उपनिवेशन.

२५. असमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध अथवा प्रतिगृहीत  
(कुर्क की हुई) भूसम्पत्तिया
२६. भूनिधि.
२७. वन.
२८. संघ के नियंत्रणाधीन आनियमन और विकास से सम्बद्ध सूची १ के ५  
प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खानों और तैल क्षेत्रों का आनियमन तथा खनिज विकास.
२९. मछली पकड़ने के स्थान.
३०. वन्य पक्षियों और वन्य प्राणियों की रक्षा.
३१. वाति तथा वाति शाला
३२. राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य, बाजार और मेले. १०
३३. इस सविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए,  
अन्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का आनियमन.
३४. साहूकारी और साहूकार, कृषि-ऋणिता का निवारण.
३५. धर्मशालाएँ और उनके प्रबन्धक
३६. वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन १५
३७. संघ के नियंत्रणाधीन कुछ उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के  
प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास.
३८. खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं का व्यामिश्रण
३९. प्रमापों के स्थापन को छोड़ कर भार तथा माप.
४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज अर्थात् मादक पेयों, अफीम और अन्य २०  
प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहण, क्रय और विक्रय—  
किन्तु अफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के और विषयों तथा भयानक भेषजों के  
सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए.
४१. निर्धनों की सहायता ; वृत्तिहीनता.
४२. सूची १ में उल्लिखित निगमों, और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर निगमों २५  
का समामेलन, आनियमन, तथा समापन, असमामेलित व्यापारिक, साहित्यिक,  
वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य मण्डल तथा पार्षद ; सहकारी मण्डल.
४३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धार्मिक नीविया  
तथा धार्मिक संस्थाएँ.
४४. रंगमण्डप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्रों के ३०  
लिये स्वीकृति देना इसके अन्तर्गत नहीं है.
४५. पण लगाना और जुआ.
४६. भू-आगम जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें हैं—  
आगम का निर्धारण और संग्रहण, भूमि-उल्लेखों का रखना, आगम प्रयो-  
जनार्थ और अधिकार उल्लेखों के लिये भूमापन, आगमों का अन्यका- ३५  
मण.
४७. मुद्राक कर की दरों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों में उल्लिखित  
प्रलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रलेखों के विषय में मुद्राक कर की दरें.

४८. कृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कर.  
 ४९. कृष्य भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति कर.  
 ५०. अन्तर्देश जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर.  
 ५१. कृषि आय पर कर.

५२. राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद-कर ५  
 और भारत के राज्यक्षेत्र में अन्यत्र निर्मित अथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर  
 उसी अथवा उससे नीची दर पर (समता करने वाला) प्रतिकर—

(क) मनुष्यों के उपभोग के लिये सौषविक पेय ;

(ख) अफीम, गाजा, अन्य प्रमीलक भेषज तथा प्रमीलक, अग्रमीलक  
 भेषज, १०

किन्तु इनके अन्तर्गत, सुषव अथवा इस प्रविष्टि की अनुकडिका (ख) में उल्लिखित  
 किसी द्रव्य से बनी हुई भैषजिक अथवा शृगार की वस्तुएँ सम्मिलित नहीं हैं.

५३. भूमियो तथा इमारतो पर कर.

५४. ससद् से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये किन्ही परि-  
 सीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकारो पर कर. १५

५५ प्रतिव्यक्ति-कर.

५६. व्यवसायो, व्यापारो, वृत्तियो तथा नियुक्तियो पर कर.

५७. पशुओं तथा नौकाओं पर कर.

५८. वस्तुओं के विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय, अथवा क्रय पर कर, सहित उन  
 करो के जो इनके स्थान में राज्यान्तर्गत उन वस्तुओं के प्रयोग अथवा उपभोग पर लगते २०  
 हैं जिन पर राज्य के अन्दर विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय अथवा क्रय पर कर लगता है,  
 विज्ञापनो पर कर.

५९. रथपायानो सहित, सडकों पर प्रयोग के उपयुक्त वाहनो पर कर;  
 चाहे वे वाहन यत्रचालित हो अथवा न हो.

६० बिजली के उपयोग अथवा विक्रय पर कर २५

६१ किसी स्थानीय क्षेत्र के अन्दर उपभोग, प्रयोग अथवा विक्रय के लिए  
 वस्तुओं के प्रवेश पर कर.

६२. विलास की वस्तुओं पर कर, जिसमें आमोद, विनोद, पण लगाने  
 और जुआ खेलने पर कर, सम्मिलित हैं.

६३. मार्ग-कर (टोल)

६४ इस सूची के विषयो में से किसी के प्रयोजन के लिए परिशुद्धाएँ तथा  
 समक ३०

६५. इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध की विधियो के विरुद्ध अप-  
 राध.

६६ इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्याया- ३५  
 लय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं.

## सूची ३.—समवर्ती सूची

१. दण्ड विधी, उन सब विषयों के सहित जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर भारतीय दण्ड-सहिता में समाविष्ट हैं, किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराधों को अपवर्जित कर के, तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ वलों के प्रयोग को अपवर्जित कर के. ५
२. दण्ड प्रक्रिया उन सब विषयों के सहित जो इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-सहिता में समाविष्ट हैं.
३. बंदियों और अभियुक्तों का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना.
४. व्यवहार प्रक्रिया अवधी विधि के सहित तथा इस विधान की १० प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया सहिता में समाविष्ट सब विषयों के सहित; प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुये दावों की वसूली जो करो तथा अन्य राजकीय अभियाचनाओं से सम्बन्ध रखती हैं और जिन अभियाचनाओं में भूमि-आगम की अवशेष राशि और भूमि-आगम के सदृश वसूल की जाने वाली राशियाँ सम्मिलित हैं. १५
५. साक्ष्य तथा शपथ, विधियों, लोक कृत्यों तथा उल्लेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों का अभिस्वीकरण.
६. विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु तथा अल्पवयस्क, गोद लेना.
७. मृत्युपत्र, अरिक्वयत्रिता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटुम्ब और विभाजन, तथा वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षवाले, इस संविधान २० के प्रारम्भ होने के सद्य पूर्व अपनी वैयक्तिक विधि के अधीन थे.
८. कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण, सलेखों तथा प्रलेखों का पंजीयन.
९. प्रन्यास तथा प्रन्यासी.
१०. प्रसविदाएँ जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकतृत्व, वाहन-प्रसविदाएँ २५ और अन्य विशेष प्रकार की प्रसविदाएँ हैं, किन्तु कृष्य भूमि सम्बन्धी प्रसविदाएँ नहीं हैं.
११. विवाचन.
१२. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता.
१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी. ३०
१४. न्यायिक मुद्राको द्वारा सगृहीत शुल्को अथवा करो को छोड़ कर अन्य मुद्राक कर, पर इनके अन्तर्गत मुद्राक कर की दरें सम्मिलित नहीं हैं.
१५. सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो अन्तर्गत हैं उनको छोड़ कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके.
१६. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ ३५ कर, अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ.
१७. वैधिक, चैकित्सिक तथा अन्य व्यवसाय.
१८. समाचारपत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय.

१६. उन्मत्तता (पागलपन), मानसिक विक्रम, जिसमें उन्मत्तो (पागलों) तथा विक्रिप्तो के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित है.

२०. विष तथा भयानक भेषज

२१. यत्रचालित वाहन.

२२. बाष्पित्र.

५

२३. पशुओं के प्रति निर्वयता की रोक.

२४. श्रावारागर्वी, यायावर तथा प्रवाजी जातिया.

२५. निर्माणिया (कारखाने)

२६. श्रमिको का कल्याण, श्रम के प्रतिबन्ध; प्रावधानी प्रणीवि, सेवायोजको की वेयता और कर्मकारो की हानिपूर्ति, असामर्थ्य उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-श्रागोप; १० वृद्धावस्था के उत्तरवेतन.

२७. वृत्तिहीनता और सामाजिक श्रागोप.

२८. व्यापार सघ ; श्रौद्योगिक तथा श्रमविवाद.

२९. मनुष्यो, पशुओं तथा उद्भवो पर प्रभाव डालने वाले सासर्गिक तथा सास्पर्शिक रोगो तथा विनाशी कीटो के एक राज्य से दूसरे में फैलने की रोकथाम १५

३०. विजली

३१. अन्तर्देश जलमार्गों पर यत्रचालित पोतो का परिवहण तथा तरण, और ऐसे जलमार्गों पर रथ्यानियम, और राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानो के अधीन, अन्तर्देश जलमार्गों पर यात्रियो तथा वस्तुओं का ले जाया जाना

३२. चलचित्रो का प्रदर्शन के लिये समोदन २०

३३. सघ के प्राधिकार के अधीन अवरुद्ध (प्रिवेन्टिव) व्यक्ति

३४. श्राथिक तथा सामाजिक उपक्रमण

३५. वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर सघ अथवा किसी राज्य के प्रयोजनाथ श्रावाप्त अथवा श्राध्याचित सम्पत्ति के लिए स्थानेदेय (मुआविजा) का निश्चय हो

३६. इस सूची के विषयो में से किसी के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ तथा समक २५

३७. इस सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं.

# अष्टम अनुसूची

(अनुच्छेद ३०३ (१) (अ))

अनुसूचित वन जातियाँ

भाग १

मद्रास

१. वगता	१९ कोदू	
२ भत्ताडा (भूतगडा).— बडा भट्टियाडा, मुधिया भट्टाडा और सन भत्ताडा (छोटा)	२० कोम्मार	
३ भूमिया—भूर भूमिया और बडा भूमिया	२१. कोन्डा दोरा.	
४ विसूए (वशई) —वारजी जोरया, वेनागी दादुवा, फरगी, होलर, भोरया, कोल्लए, कोडे, पारगा, पेगा जोडिया, सोडो जोडिया और ताकोरा	२२ कोडा कापू	
५ ढक्काडा.	२३. कोडा रेडी	१०
६ डोम्बा—अन्दनिया डोम्बा, अन्दनिया डोम्बा, चोनेल डोम्बा, क्रिस्चियन डोम्बा, मिरगानी डोम्बा, उडिया डोम्बा, पोनाका डोम्बा, तेत्गा और उम्मिया	२४ कोद या कोद—देशिया कोद, दाग्रिया कोद, कुठिया कोद, टिकरिया कोद और एनादी कोद	
७ गदवा—बोडा या गोदूब, सेरलम गोदूब, फिराजी गोदूब, जोडिया गोदूब, अल्लारो गोदूब, पनगा गोदूब, और पागी गोदूब	२५ कोटिया—बर्तिका, बेत उडिया, धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, १५ पूतिया, सन्नारन्ना और सिधू पायको	
८ घासी (उनका दूसरा नाम हदी है).—बडा घासी और सद घासी	२६ कोया या रास कोया गावडा राजा, लिंगधारी उसके पथो सहित,— कोयास (साधारण) और कोदू कोयास	
९ गोदी या गोद—मधीया गोद और राज गोद	२७ मादीगा	२०
१० गावडा—भट गावडा, भर- तिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, जातक गावडा और जोडिया	२८ मालाया या कोडिया मालाय या वाल्मीकि	
११. कावसलिया गावडा—बोसो- थरिया गावडा, चिट्टी गावडा, दगायत गावडा (दोदू कमरिया), (दूदू कामारो), लारिया गावडा और पल्लोसोरिया गावडा	२९ माली—कोरजिया माली, पैकोमाली और पद्दा माली	
१२. मगत गावडा—बर्निया गावडा, बोडो मगाथा, डोगायाथ गावडा, लाडिया गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा.	३० मन्ने दोराया.	२५
१३. सीरिथी गावडा	३१. मने दोरा	
१४. हलावा.	३२. मूक दवारा, तूक दवारा	
१५. जाडापूय.	३३ मूली या मूलिया	
१६. जातापूय:	३४ मूरिया	
१७. कम्मारा.	३५ अोजलू या मट्टिया कसाली	३०
१८. खत्ती—खत्ती कोमारो और लोहारा	३६ इमनातिया	
	३७ पैगारापू	
	३८ पलासी	
	३९ पल्ली	
	४० पेटियास	३५
	४१ पोरजा—बोडो, मुण्डा, दारूवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, मुन्दिली, पेगु पीडी और सालिया	
	४२ रेड्डी दोरा	
	४३. रल्ली या सचान्दी	४०
	४४ रडाई	
	४५. सवरा—कापू सवरा, कुटिया सवरा, और मालिया सवरा.	
	४६. लक्शम, मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीपो के निवासी	७५

भाग २

बम्बई

१. बर्वा.	१४. नायकडा अथवा नायक.	
२. बबचा.	१५. पारधी जिसमें अबवीचिचेर	
३. भील.	और फासे पारधी भी सम्मिलित हैं.	५
४. चोधरा.	१६. पटेलिया.	
५. धनका.	१७. पोमला.	
६. धोदिया.	१८. पोवार.	
७. दुबला.	१९. रथावा.	
८. गामिट अथवा गमटा.	२०. तडवी भिल्ल.	१०
९. गोड.	२१. ठाकुर.	
१०. काठोडी अथवा कटकरी.	२२. वडवई.	
११. कोकना.	२३. वली.	
१२. कोलीमहादेव.	२४. वसावा.	
१३. मावची.		

भाग ३

१५

पश्चिमी बंगाल

१. भोट.	७. ओ.	
२. चाकमा.	८. ओराव.	
३. ककी.	९. सथाल.	
४. लेपचा.	१०. तिपेरा.	२०
५. मुडा.	११. पश्चिमी बंगाल के शासन द्वारा	
६. मग.	अधिसूचित कोई अन्य जनजाति.	

भाग ४

सयुक्त प्रात

१. भुइया.	६. कोल.	२५
२. बैसवार.	७. ओझा.	
३. बैगा	८. सयुक्त प्रात के शासन द्वारा	
४. गोड	अधिसूचित अन्य कोई जाति.	
५. खरवार.		

भाग ५

पूर्वी पंजाब

३०

स्पीति में तिब्बती और कांगडा जिले में लोहोल.

## भाग ६

## बिहार

१. बिहार-राज्य का निवासी जो निम्न जातियों में से किसी का सदस्य हो—

१. असुर.
२. बजारा.
३. बथुडी.
४. बेंटकर.
५. बिभिया.
६. बिरहोर.
७. बिरजिया.
८. चैरो.
९. चिक बराइक.
१०. गडाबा.
११. घटवार.
१२. गोड.
१३. गोरंट.
१४. हो.
१५. जुआंग.
१६. करमाली.
१७. खरिया.
१८. खरवार.
१९. खेतौडी.
२०. खोड.
२१. किसान.
२२. कोली.
२३. कोरा.
२४. कोरवा.
२५. महली.
२६. मल पहाडिया.
२७. मुडा.
२८. श्रीरांव.

२९. पढिया.

३०. संताल.

३१. सौरिया पहाडिया.

३२. सवार.

३३. थारु.

५

२. निम्न मंडलों अथवा आरक्षी स्थात्रो ( पोलीस-स्टेशनों ) में से, अर्थात्, १० रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और संताल परगानो के मंडलो और मानभूम मंडल के अरशा, बलरामपुर, झलडा, जैपुर बाघ-मुंडी, चदिल, इछागढ, बराहभूम, पटमदा बांदुआं और मन बाजार, के आरक्षी १५ स्थात्रो की निम्न वनजातियों में से किसी एक का सदस्य:—

१. बाउरी.

२. भोगटा.

३. भुइया.

४. भूमिज.

५. घासी.

६. पान.

७. रजवार.

८. तूरी.

२०

२५

३. धनवाद उपविभाग या मानभूम जिले के किसी निम्न आरक्षी-स्थात्रो, अर्थात् पुरलिया, हुरा, पंच, रघुनाथपुर, सतुरी, निटूरिया, पारा, चस, चन्दन-कियारी और काशीपुर, के भूमिज वन-जाति का कोई निवासी.

## भाग ७

## मध्यप्रान्त

१. गोड.
२. कवार.
३. माडिया.
४. मुडिया.
५. हलवा.
६. परधान.
७. श्रीराव.
८. बिभवाड.
९. आंधा.

१०. भरिया भूमिया.

११. कोली.

१२. भटारा.

१३. बैगा.

१४. कोलाम.

१५. भील.

१६. भुइहार.

१७. धनवार.

१८. भेना या बहेना.

३५

४०



१९. परजा.
२०. कमार.
२१. भुंजिया.
२२. नगारची.
२३. ओम्हा.
२४. कोर्क.
२५. कोल.
२६. नगासिया.
२७. सवरा.

२८. कोर्दा.
२९. मभ्रवार.
३०. खड़िया.
३१. सैनता.
३२. कोडिया. ५
३३. निहाल.
३४. बिरहूल (बिरहोर).
३५. रौतिया.
३६. पांडो.

भाग ८

१०

आसाम

निम्न जातियों तथा समुदाय :—

१. कचारो.
२. बोरो अथवा बोरो कचारो.
३. राभा.
४. मीरी.
५. लालुंग.
६. मिकिर.
७. गारो.
८. हजोनफी.
९. देवरी.

१०. अबोर.
११. मिशमी.
१२. दाफला.
१३. सिफो.
१४. खाम्पटी. १५
१५. कोई नागा अथवा कुकी वन-जाति
१६. आसाम के शासन द्वारा अधि-सूचित कोई अन्य वन-जाति अथवा समुदाय. २०

भाग ९

उड़ीसा

१. उड़ीसा के राज्य का निवासी जो निम्न-लिखित जातियों में से किसी का सदस्य हो—

१. बगाटा.
२. वनजारी.
३. चेचु.
४. गडब.
५. गोड.
६. जटापू.
७. खोड (कोंड).
८. कोंडा-दोरा.
९. कोया.
१०. परोजा.
११. सावोरा (सवार).
१२. ओरोंव.
१३. संताल.
१४. खड़िया.
१५. मुंडा.
१६. वनजारा.

१७. विभिया.
१८. किसान.
१९. कोली २५
२०. कोरा.
२. निम्न किसी क्षेत्र अर्थात् कोरापुट और खोडमाल जिले और गजाम एजेन्सी का निवासी जो निम्न वन-जातियों में से किसी का अंग हो— ३०
१. डोम अथवा डोम्बो.
२. पान अथवा पानो.
३. संबलपुर का निवासी जो निम्न लिखित किसी भी वन जातियों का अंग हो :— ३५
१. बौरी.
२. भुइया.
३. भूमिज.
४. घासी.
५. टूरी. ४०
६. पान अथवा पानो.



## शुद्धिपत्र

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
१	२६ (हिन्दी पत्र)	शब्द	... शब्दो
२	१६ (हिन्दी पत्र)	अर्थहीन	... अर्थहीन
३	२४ (हिन्दी पत्र)	म	... में
२	२	... अधिकार क्षेत्र	... (अधिकार क्षेत्र) क्षेत्राधिकार
२	३	... भारत	... भारत,
३	पादर्वं टिप्पण	... निमित्त	... निमित्त
४	५	... महापिता	. माता पिता
५	३२	... रुकावट	... (अवरोध) बाधा
६	३	... ह	... है
६	४	... रुकावट	... (अवरोध) बाधा
६	२३	.. राज्यक्षेत्र म	... राज्यक्षेत्र में
६	३५	... रुकावट न होगी	. अवरोध न होगा
६	३६	... हितो के लिये	.. हित में
७	३	... आयन्त्रण	... आयन्त्रणो का
७	११	... विधि बनाने	. विधि के बनाने
७	३२	. रुकावट	... अवरोध
८	५	... शैक्षक	... शैक्षिक
१०	१६	.. और इस	.. और ससद् इस
११	२४	... व्यय	... व्यय
११	३१	... के	... प्राप्त कराने के
१२	१	... किसी	... किसी दूसरे
१३	७	... "इस" निकाला जाये	
१३	३३	... स म	.. संख्या में
१४	१२	. अग्ने	. अपनी
१४	२०	से हटाया	से निष्कासित किया (हटाया)
१५	२	.. वह, राज्य	... वह, उस राज्य
१५	१६	... निम्न	. निम्न रूप में
१५	२८	. "के रूप" निकाला जाये	
१५	२६	.. ह	.. हो
१६	३	.. सदस्यो की समस्त सख्या की	समस्त सदस्यो की
१६	३५	.. अपना स्थान जैसी कि स्थिति हो,	जैसी कि स्थिति हो अपना स्थान,
१७	५	... का पात्र न हो	. की अयोग्यता न रखता हो
१७	७	... इन में से किसी शासन	. उक्त शासनो में से किसी

पृष्ठ	लकोर	अशुद्ध	शुद्ध
१७	२३	... पदरिक्ति	... पद की रिक्ति
१८	२३	... हल्का करने	... लघ्वादेशन
१८	२६	... हल्का करने	... लट्वादेशन
१९	१७	... इसके लिये	... एतदर्थ (इसके लिये)
२१	३२	... रजिस्टर	... (रजिस्टर) पजीयित
२२	३३	... के	... के किसी
२२	३४	... अन्य	... अन्यथा
२३	५	... होगा	... हो
२३	१२	... के कारण	... के लिये
२३	२५	... किया जा सके	... किया जावे
२४	१	... के कारण	... के लिये
२४	१०	... जब	... जब कि
२४	१६	... निश्चत	... निश्चय
२४	२२	... "अन्य" निकाला	जाये
२४	२५	... वाले	... वाले अन्य
२५	२४	... ह	... हैं
२६	५	... अथवा	... के अथवा
२६	२९	... होग	... होंगे
२६	३४	... होग	... होंगे
२७	७	... जिसका	... जिसको
२७	२७	... "समय" निकाला	जाये
२८	४	... ह	... है
२८	१३	... जायगा	... जायेगा
२८	१५	... जायगा	... जायेगा
२८	१६	... "लोकसभा को," निकाला	जाये
२८	१७	... लौटा देगी	... लोकसभा को लौटा देगी
२९	४	... रक्षण	... रक्षण
२९	१८	... "उस" निकाला	जाये
३२	६	... विभर्श	... परामर्श
३२	११	... बनाई गई	... बनाये गये
३२	२७	... "भी" निकाला	जाये
३३	२०	... हस्ताक्षर	... हस्ताक्षरित
३३	३१	... नहीं है	... न हो
३३	३३	... नहीं रह चुका है	... न रह चुका हो
३३	३६	... नहीं रह चुका है	... न रह चुका हो
३४	३	... न्याय पद	... न्यायिक पद
३४	पाश्र्व	... सेवायुक्ति	... नियुक्ति

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
३६	२६	... वेतन, अधिदेय	... वेतनो, अधिदेयो
४०	२०	... वेतन, अधिदेय, वेतन	उत्तर वेतनो, अधिदेयो, उत्तरवेतनो
४०	२४	. ससत्कृत किसी विधि	... किसी ससत्कृत विधि
४१	१०	.. अथवा	... तथा
४२	३	... किया	. किया (हटाया)
४२	६	. शासक रूप में पदाब्ज है	शासक के पद पर (रूप में पदाब्ज) है
४२	२७	“उस” निकाला जाये	
४२	२८	. . “उस” निकाला जाये	
४३	११	... मन घटाय	. में घटाये न
४३	१३	.. अथना	. अथने
४६	१४	... राज्य के	.. राज्य
४६	२५	. से	. का
४६	२६	से	... का
४८	१२	. के यथा	.. को यथा
४८	३५	. . विचारापेक्षित	. अपेक्षित विचारणीय
४९	९	.. बैठक	. (बैठक) अविवेशन
४९	११	... अन्य	. अन्यथा
४९	२५	. करण	... लिपे
५०	१	जब	. जब कि
५०	७	. निश्चित	निश्चय
५०	१०	. . होगा	. हो
५०	२०	.. कारण	. . लिपे
५०	२७	. . जब तक	. . जब कि
५०	२७	. तब तक	तब
५०	३१	. हो	.. है
५०	३३	हो	. है
५१	४	.. प्रकार	. तरह
५१	१०	सदस्यो	. अन्य सदस्यो
५२	१०	गणना	. तगणना
५२	१८	. ससद् ने	उस राज्य के विधान मंडल ने
५२	३७	... स्थितानुसार	. (स्थितानुसार)
५२	३८	. के, तीन	के, जो कि स्थिति हो, तीन
५३	२१	जब तक वे	. वे जब तक
५४	९	ने उसको स्वीकार न कर लिया हो	(ने उसको स्वीकार न कर लिया हो) द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
५४	१५	... जो विधेयक,	... कोई विधेयक जो,
५४	१६	... सभा द्वारा	... सभा से
५४	२३	... बैठक	... अधिवेशन
५४	२४	... खंड की	... खंड में की
५४	३१	... जाये	... जाता है
५४	३८	... स्थापित	... प्रस्थापित
५५	१५	... ले	... लेती है
५५	१८	... न करे	... नहीं करती
५५	२२	... न जाये	... नहीं जाता
५६	२	... अर्थदंडो (जुर्मानो)	... अर्थदंड (जुर्माना)
५६	५	... प्रयोजनो के लिये	... प्रयोजनार्थ
५६	२२	... पुर : स्थापन	... पुर : स्थापित करने
५७	१५	... जिसमें	... जिनमें
५८	७	... "उस पर" निकाले जायें	
५८	७	... न हो सकेगा	... के लिये खुली न रहेगी
५८	१०	... न हो	... नहीं है
५८	१७	... में से	... से
५९	२२	... तथा	... तथा
६०	२२	... सकेगा	... सकता है
६२	२३-२४	... स्वहस्ताक्षरित तथा स्वमुद्रांकित	अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित
६३	३२	... के समक्ष अथवा उससे.	(के समक्ष) अथवा (उससे) उसके द्वारा
६४	५	... के किसी	... में किसी
६४	१०	... बनाई हुई विधि में	... बनाई विधि से
६४	१८	... न अवकाश	... न उसके अवकाश
६४	२३	... के पालन	... का पालन
६५	पार्श्व टिप्पण	... विशेष	... कुछ
६५	२७	... रच्छा	... पृच्छा
६६	१६	... अन्तर्भूत	... अन्तर्धृत
६६	२९	... के भाग होंगे	... की भाग होगी
७२	२८	... अधिकार क्षेत्र	... क्षेत्राधिकार
७३	८, १३, १९, २२	अधिकार क्षेत्र	... क्षेत्राधिकार
७३	२६	... दीवानी	... (दीवानी) व्यवहारिक
७५	१९, २०, २३, २४, २६	बनाई हुई	... (बनाई हुई) निर्मित
७८	३०	... हो	... है
७९	२२	... अन्तर्भूत	... अन्तर्धृत

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
८२	५	... प्रसग में ..	. प्रसग से
८२	२८	... इकट्ठी ...	. सगृहीत (इकट्ठी)
८३	१	. अन्य भूसम्पत्ति	. अन्य सम्पत्ति विषयक भू-सम्पत्ति
८३	१५	. . कि नियत .	. विनिहित
८३	१७	. . नियोजिमे ..	. नियोजित
८३	१८	.. राज्यों ...	. राज्यों को
८३	२१	. पर करो के	पर कर के
८५	३	. . के, लाभार्थ ..	. के लाभार्थ,
८६	२, २२	. प्रभृत ..	प्रभृत
९२	४	सकट .	आशका (सकट)
९२	१७	. जब . . .	. जहाँ
९८	१	.. वाच्य	अपेक्षा (वाच्य)
९८	१५	... प्रभत्त	. . प्रभृत
९९	१३, १४	(उत्त . वाले)	. उत्त वाले
१००	९	.	. . भारजिन तक वाक्य को हटाओ
१००	१२	अधिक से अधिक दो	दो से अनधिक (अधिक से अधिक दो)
१००	३३	जिले के	. जिले के लिये
१०१	३	... सम्बन्ध रखने वाले	सम्बद्ध
१०१	५	. रेल	. अयोमार्ग (रेल)
१०१	१६	योग्यता .	. कुशलता
१०१	२२	... पूर्ववर्ती .	पूर्वगामी
१०१	२५	. . वन्द .	. अन्त
१०१	२८	प्राप्त	. प्राप्य
१०१	२९, ३१	. . में . . .	का,
१०१	३८	. एव .	इस प्रकार
१०४	२	. किया जाएगा	किया जायेगा (तदनुसार अर्थ किया जायेगा)
१०४	११	से	में से
१०८	१९	ह .	हैं
१०८	२५	जगाया जायेगा	किया जायेगा
१०८	३९	म .	में
१०५	१२	. दिवे प्रधितूचन	दो हुई अधिसूचना
१०५	१३	प्रत्याभूतियों	प्रत्याभूतिया
१०५	२२	पूर्वोक्त .	उन
१०७	१८, १९	. (शानक को	या) . शानक को
१०८	३५	. आपत्ति .	या आपत्ति (प्रश्न)

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
१०८	३७	... जो ...	... जिसे
१०८	३८	... और पूर्व ...	... और जो पूर्व
१०९	८	... करने ...	... किये रहने
१०९	२५	... सम ...	... समक्ष
११०	१	... करने ...	... किये रहने
११०	२२	... का अध्यक्ष ...	... का जो अध्यक्ष
११०	३०	... करने ...	... किये रहने
११०	पाठार्थ टिप्पण . .	“था” निकाला जाये	
११०	४०	.. करने ...	... किये रहने
१११	७	... करने ...	... किये रहने
११३	५	... “वे राज्य क्षेत्र जो” निकाले जायें	
११३	६	... ज्ञात थे ...	... ज्ञात राज्यक्षेत्र
११५	७	... कोतथा ...	... को तथा
११६	११	... सद्यपूर्व ..	... सद्य पूर्व
१२२	२९	... अधिक का ...	... अधिक के कारवास का
१२३	१३	... सम्बन्धी ...	... सम्बद्ध
१२३	३७	... अन्तर्वृत ...	... अन्तर्वृत
१२३	३९	.. “उस” निकाला जाये	
१२४	९	... “इस” निकाला जाये	
१२४	३१	... अन्तर्वृत ...	... अन्तर्वृत
१२४	३८	... के ...	... में
१२५	९	... “उस” निकाला जाये	
१२५	३०	... म ही ...	... में ही
१२७	१	... छठी ...	... छठी (षष्ठ)
१२७	५	.. प्रस्तुत ...	... उस (प्रस्तुत)
१२७	१७	.. ग्विोर्ट ..	... प्रतिवेदना
१३१	१३	... कर निर्धारण ...	... आगम निर्धारण
१३१	२२	... व्योपार ...	... वाणिज्य
१३४	१८	... कमीशन ...	... आयोग
१३५	४०	... प्रदेश ...	... क्षेत्र
१३६	३	... (सूची १ सद्यसूची) ...	... सूची—१ सद्यसूची
१३६	१९	... से ...	... ऐसे
१३६	२२, ३०, ३२	... विदेशी ...	... विदेशीय
१३६	२४	... वाणिज्यद्वितीय ...	... कान्सोलर (वाणिज्यद्वितीय)
१३६	३६, ३७	... सामुद्रिक } वायु में अपराध }	... वाह्य समुद्र तथा (वायु) नभ में, राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध की गई सामुद्रिक उकैतिया, घोरापराध तथा अपराध.



पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
१३७	१	... निरोधा,	... निरोधा,
१३७	८	. . (प्रेषणालय)	. (प्रेषालय)
१३७	६, १०	... ,	... ,
१३७	१०	... वमानिक	... वैमानिक
१३७	२८	. . सत्र की रेलें	... सव अयोमार्ग (सव की रेलें) ;
१३७	३०, ३२	... छोटी रेलों	... गोल अयोमार्ग (छोटी रेलों)
१३७	३१	... ,	... ;
१३७	३६, ४०	... भारत आपरीक्षण विभाग . ,	
१३८	२७	... एजेन्सिया	... अभिकर्तृत्व (एजेन्सिया)
१३८	६	... विदेशी	. . विदेशीय
१३९	१०	... .	... ;
१३९	१२	... निर्वाचन,	... निर्वाचन ;
१३९	२०	... प्रवजन	... प्रवजन
१३९	२६	... मछली पकडना और पालना	मत्स्य और मात्सिकी (मछली पकडना और पालना)
१३९	२७	. . तथा	... तथा विभाजन ,
१३९	३३	... करो	... वलिया
१३९	३५	. लेख-अशो	... लेख, अशो
१३९	३६, ३९	... कर	. . वलि
१३९	३८	... कर	... वलिया
१४०	२, ४	... कर	... वलिया
१४०	५	. . उपयोग	... उपभोग
१४०	६	... तथा प्रमीलक	... तथा अन्य प्रमीलक
१४०	६	... और प्रमीलक	. . और प्रमीलक ;
१४०	६	. . भेषज	. . भेषज ,
१४०	७	... नहीं है	. . नहीं है ,
१४०	७	... "किन्तु .	" नई लकीर आरम्भ होनी चाहिये.
१४०	१२	. "तथा" निकाला जाये	
१४०	१६	इन दोनों में अनुल्लिखित . .	में अनकित
१६०	२२	. ,	. ;
१६०	२७	. . रेलवे	(रेलवे) अयोमार्ग
१४०	२९	प्रयोग	उपयोग
१४१	१, २	. पुस्तकालय . सन्धाए	राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा अर्थ सन्धारित पुस्तकालय, कौतुकालय और अन्य ऐसी सन्धाए.

पृष्ठ	लकीर	अशुद्ध	शुद्ध
१४१	२०	... शिक्षा	... शिक्षा,
१४१	२२	... संचार	... संचार,
१४१	२३	... छोटी रेले	... (छोटी रेले) गौण अयोमार्ग
१४१	२४	...	...
१४१	२४	... अन्तर्देश जलमार्ग	... अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात,
१४१	२५	... "उन पर यातायात"	निकाले जायें
१४१	३१	... जिस म	... जिसमें
१४१	३३	... तथा	...
१४२	७	... २६.	... २६. (मात्सिकी)
१४२	१०, १३	...	...
१४२	२७	... वैज्ञानिक	... वैज्ञानिक
१४२	३७, ३८	... कर	... बलि
१४३	१, २	... कर	... बलि
१४३	३	... अन्तर्देश	... अन्तर्देशीय
१४३	५, ७	... कर	... बलि
१४३	८	... मनुष्यों के	... मानव
१४३	९	... अन्य	... और अन्य
१४३	२५	... उपयोग	... उपभोग
१४३	२८	... वस्तुओं	... चीजों
१४३	३३	... के सम्बन्ध की	... से सम्बन्ध
१४३	३६	... नहीं	... सम्मिलित नहीं
१४४	२	... विधी	... विधि
१४४	१०	... विधान	... सविधान
१४४	१६, १८, २२	...	...
१४४	२०	... "तथा" निकाला जाये	
१४४	३१	... करो	... बलियां
१४५	७	...	...
१४५	१२	... वृत्तिहीनता	... सेवायुक्तिहीनता
१४५	१३	... व्यापार	... व्यापार (श्रमिक)
१४५	१६	... बिजली	... बिजली (विद्युत)
१४५	१७, १९	... अन्तर्देश	... अन्तर्देशीय
१४५	२१	... अवसृष्ट	... निवारक अवसृष्ट
१४५	२४	... स्थानादेय	... स्थानादेय
१४५	२५	... प्रयोजनार्थ	... प्रयोजनार्थ (प्रयोजन के लिये)
१४५	२७	... शुल्क नहीं	... शुल्क सम्मिलित नहीं

